केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५

(CENTRAL SALES TAX ACT 1956)

(As Amended up to date)

लेखक

प्रो० एम० एल० अग्रवाल

एम० कॉम०, बी० ए० कॉम०

अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग,

अग्रवाल कॉलिज, जयपुर

सदस्य, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स,

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

१९६२

साहित्य भवन

शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक

आगरा

प्राक्कथन

'केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम' नामक यह पुस्तक विश्वविद्यालयो के बी० कॉम० के छात्रो की सुविधा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यापारी वर्ग के लिये लिखी गई है। इस विषय पर हिन्दी भाषा मे अभी तक कोई पुस्तक नही लिखी गई है तथा अंग्रेजी भाषा मे भी ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नही है जो कि बी० कॉम० के विद्यार्थियो की आवश्यकता को पूरी कर सके। अत. इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यह पुस्तक प्रस्तुत की जा रही है।

पुस्तक मे त्रुटियो का होना स्वाभाविक है। पाठको से नम्र निवेदन है कि वे पुस्तक की त्रुटियो के सम्बन्ध मे लेखक का ध्यान आकर्षित करते रहे।

लेखक

विषय-सूची

अध्याय १

अधिनियम का परिचय तथा उसके उद्दे ,

(Introduction of the Act and its Objects)

सक्षिप्त शीर्षक तथा क्षेत्र (Short Title and Extent)—यह अधिनियम केन्द्री बिक्री-कर अधिनियम १६५६ कहलाता है तथा समस्त भारत मे लागू होता है। सन् १६५६ मे, ज *यह अधिनियम प्रथम बार भारत मे लागू किया गया था, उस समय यह जम्मू तथा काश्मीर राज्य व* छोड कर समस्त भारत मे लागू होता था परन्तु सन् १६५८ के सशोधन अधिनियम द्वारा इस अधिनिय के क्षेत्र मे जम्मू व काश्मीर राज्य भी सम्मिलित कर लिया गया है।

अधिनियम के लागू होने की तिथि (Date of Commencement of the Act)—अ नियम की धारा ६ व धारा १५ को छोडकर शेष अधिनियम सामान्य रूप से ५ जनवरी १६५७ से ल किया गया। धारा ६–१ जुलाई १६५७ से तथा धारा १५–१ अक्टूबर १६५७ से लागू की गयी।

बिक्री कर का सक्षिप्त इतिहास (Brief History of Sales Tax Act)

प्रथम विश्व-युद्ध द्वारा उत्पन्न अर्थ-सकट को दूर करने के लिये, सवप्रथम यूरोपियन देशो बिक्री कर लगाया जिनमे फ्रास प्रथम था। भारत मे 'भारत सरकार अधिनियम १६३५' के अन्तर्ग सर्व प्रथम मद्रास प्रात की सरकार ने यह कर सन् १६३६ मे लागू किया। इसके पश्चात् यह कर अन प्रान्तो मे भी धीरे-धीरे अपनाया गया।

'भारत सरकार अधिनियम १६३५' के अन्तर्गत जब विभिन्न प्रान्तों की सरकारो ने अप अलग-अलग बिक्री कर अधिनियम बना लिये थे तब अन्तर्राज्यीय व्यापार (Inter-state trade) प्रयुक्त होने वाले एक ही साल की बिक्री पर अलग-अलग प्रान्तो द्वारा जो भी किसी न किसी उस बिक्री से सम्बन्धित थे, बिक्री कर लगाया जाने लगा। इसका फल यह हुआ कि उत्पादित माल लागत बहुत बढने लग गयी। उदाहरण के लिये, भारत सरकार टाटा नगर से रेलवे के लिये रेल व पटरियाँ खरीदती थी। उसे बिहार सरकार को इसलिये कर देना पडता था कि पटरियाँ उस प्रा त बनती थी, बगाल सरकार को इसलिये कर देना पडता था कि कम्पनी का मुख्य कार्यालय कलकत्ते मे थ और इसलिये वह बिक्री कलकत्ते मे हुई मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रान्त की सरका को इसलिये कर देना पडता था कि उन पटरियो की सुपुर्दगी उस प्रान्त म हुई। अत एक ही पर कई प्रान्तो द्वारा अपने-अपने अधिनियम के अनुसार बिक्री कर वसूल किया जाता था।

जब भारत का सविधान बना जो कि २६ जनवरी १६५० को लागू हुआ तब उसके २८६ द्वारा उपरोक्त कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया। परन्तु अन्तर्नियम २८६ मे दी बाते कुछ सीमा तक एक दूसरे के विपरीत पडती थी। अत सन् १६५६ मे सविधान के इस

८६ मे सशोधन करना पडा। उस सशोधन के फलस्वरूप केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम का बनाना वश्यक हो गया। इस कारण सन् १६५६ मे ससद ने केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम पास किया।

न् १६५६ के सशोधन से पूर्व अन्तर्नियम २८६ की स्थिति

सन् १६५६ के सशोधन से पूर्व अन्तर्नियम २८६ की स्थिति निम्न प्रकार थी* :—

२८६ (१)—एक राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री पर कर नही लगायेगा और न र लगाना अधिकृत ही करेगा यदि ऐसी बिक्री या खरीद :—

(अ) राज्य के बाहर होती हो , या

(ब) भारतीय सीमा मे माल के आयात के अन्तर्गत अथवा भारतीय सीमा से माल के निर्यात के अन्तर्गत होती हो।

स्पष्टीकरण (अ) उप-वाक्य के प्रयोजनार्थ, बिक्री या खरीद उस राज्य मे हुई मानी जायेगी जिस राज्य मे ऐसी बिक्री या खरीद के प्रत्यक्ष फलस्वरूप माल की सुपुर्दगी उसी राज्य मे पभोग के लिये की गयी हो, चाहे माल की बिक्री से सम्बन्धित सामान्य कानून के अन्तर्गत, ऐसी बिक्री ा खरीद के कारण माल का स्वामित्व दूसरे राज्य मे पहुंच गया हो।

(२) सिवाय उन सीमाओ के जिनको ससद कानून के द्वारा नियत करे, एक राज्य का कोई ी कानून माल की बिक्री व खरीद पर कर नही लगायेगा और न कर लगाना अधिकृत करेगा यदि सी बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अन्तर्गत होती हो।

---

286 (1) No law of a State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —

(a) outside the State, or

(b) in the course of import of the goods into, or export of the goods out of the territory of India

Explanation For the purposes of sub-clause (a) a sale or purchase shall be deemed to have taken place in the State in which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption in that State, not withstanding the fact that under the general law relating to sale of goods, the property in the goods has by reason of such sale or purchase passed in another State.

(2) Except in so far as Parliament by law otherwise provide, no law of State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of any goods where such sale or purchase takes place in the course of inter State trade or commerce Provided that the President may by order direct that any tax on the sale or purchase of goods which was being lawfully levied by the Government of any State immediatly before the commencement of the constitution shall, not withstanding that the imposition of such tax is contrary to the provisions of this clause, continue to be levied until 31-3-1951

(3) No law made by the legislature of a State imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale or purchase or any such goods as have been declared by parliament by law to be essential for the life of the community shall have effect unless it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent

परन्तु राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा निर्देश कर सकता है कि माल की बिक्री या खरीद प कोई भी कर जो कि इस संविधान के आरम्भ होने के तत्काल पूर्व किसी राज्य की सरकार द्वा वैधानिक रूप से *लगाया जा रहा था, ३१ मार्च १९५१ तक लगाया जाना जारी रखा जायेगा* चाहे कर का लगाया जाना इस वाक्य के प्रावधानो के विपरीत ही पडता हो।

(३) एक राज्य की विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो कि किसी ऐसे की बिक्री व खरीद पर कर लगाता हो अथवा कर लगाना अधिकृत करता हो, जिसे ससद ने कानून द्वा समाज के जीवन के लिये आवश्यक घोषित कर दिया हो, प्रभावशाली नही होगा जब तक कि *कानून राष्ट्रपति के विचार के लिये सुरक्षित न रखा गया हो तथा उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति* ले ली गयी हो।

इस अन्तर्नियम २८६ की जो बातें एक दूसरे के विपरीत पडती थी वे वाक्य (२) तथ वाक्य (१) के स्पष्टीकरण से सम्बन्धित थी। वाक्य (२) के अनुसार एक राज्य के लिये, अन्तर्राज्यी व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद पर, कर लगाना निषेध था, परन्तु वाक्य १ स्पष्टीकरण इस प्रकार की बिक्री व खरीद पर कर लगाने का अवसर प्रदान करता था क्योकि स्पष्टी करण के अनुसार वह राज्य कर लगा सकता था जहाँ उस माल के उपभोग के लिये सुपुर्दगी गई हो।

बम्बई राज्य Vs. दी यूनाइटेड मोटर्स (इडिया) लिमिटेड, १९५३ के मामले मे सुप्रीम ने यह निर्णय दिया कि वाक्य १ के उपवाक्य (अ) तथा वाक्य १ के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल वही एक राज्य अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार रखना जिस राज्य मे वह माल उसी के उपभोग के लिये सुपुर्द किया गया हो, तथा वाक्य (२) ऐसे पूर्व क राज्य पर अन्तर्राज्यीय व्यापार मे बिक्री पर कर लगाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नही लगाता, चाहे ने उस राज्य को इस प्रकार का कर लगान की अनुमति नही दी हो।

परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह निर्णय 'बगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड Vs. बिहार राज १९५५" के मामले मे बदल दिया।

इस मामले मे यह निर्णय दिया गया कि अन्तर्नियम २८६ का वास्तविक उद्देश्य अन्तर्राज्यी व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद के सम्बन्ध मे राज्यो द्वारा कर लगाने प्रतिबन्ध लगाने से है। राज्यो पर वह प्रतिबन्ध उस समय तक है जब तक कि वह प्रतिबन्ध ससद द्वा वाक्य (२) के अनुसार हटा न दिया जाय। जहाँ तक आयात व निर्यात् के अन्तगत माल की बिक्री खरीद का सम्बन्ध है, कोई भी राज्य उस बिक्री व खरीद पर कर नही लगा सकता। निर्णय मे यह कहा गया कि जो स्पष्टीकरण है, वह वाक्य (२) पर प्रभाव नही डालता, क्योकि वह तो वाक्य (१) स्पष्टीकरण है। परन्तु जब वाक्य (२) के अन्तर्गत ससद किसी राज्य पर अन्तर्राज्यीय व्यापार मे लगाने वाले प्रतिबन्ध को हटा लेती है तब वह स्पष्टीकरण यह निश्चित करने मे काम आता है कि कौनसा राज्य उस दशा मे कर लगाने का अधिकारी होगा।

उपरोक्त निर्णय से परिस्थिति बहुत बदल गयी। राज्यो के सामने यह समस्या उपस्थित कि जो कर उनके द्वारा लगाये व वसूल किय जा चुके थे, उन्हे निरस्त व वापिस किया जाय। दूस जो बजट राज्यो द्वारा पास किये जा चुके थे, उनमे हेर-फेर किया जाय। इनके अतिरिक्त कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई।

राज्य सरकारो की इन कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने ससद द्वारा बिक्री कर नून मान्यता अधिनियम १९५६ (Sales Tax Laws Validation Act, 1956) पास कराया। इस धिनियम के अनुसार १ अप्रैल १९५१ से ६ सितम्बर १९५६ तक राज्यो ने अन्तर्राज्यीय व्यापार व णिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री पर जो कर लगाये थे और वसूल किये थे, वे वैधानिक रूप से ठीक न लिये गये।

शोधन के पश्चात् अन्तर्नियम २८६ की स्थिति

भविष्य की वैधानिक कठिनाइयो को दूर करने के हेतु सन् १९५६ मे सविधान के अन्तर्नियम ८६ मे सशोधन किया गया। सशोधन के फलस्वरूप*

(१) वाक्य का स्पष्टीकरण लोप (delete) कर दिया गया,

(२) वाक्य २ इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया —
'ससद यह निर्णय करने के लिये कानून द्वारा सिद्धात निर्धारित कर सकती है कि वाक्य (१) मे लिखित किसी भी रूप मे माल की बिक्री व खरीद हुई कब समझी जाय।

(३) वाक्य ३ निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया —
"एक राज्य का कोई भी कानून, जहाँ तक कि वह ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाता है अथवा कर लगाना अधिकृत करता है जो कि ससद द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य मे विशेष महत्व के घोषित किये गये हो, कर-रोपण, कर की दर तथा कर की अन्य बातो के सम्बन्ध मे ऐसे प्रतिबन्धों व शर्तों के आधीन होगा जो कि ससद कानून के द्वारा निर्धारित करे।"

इस सशोधन के द्वारा ससद को निम्नलिखित बातो से सम्बधित कानून बनाने को कहा गया—

(१) सिद्धान्त निर्धारित करने के लिये कि वाक्य १ की दोनो अवस्थाओ मे माल की बिक्री या खरीद कब हुई मानी जायगी,

(२) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत विशेष महत्व वाले माल को घोषित करने के लिये, तथा

(३) ऐसे विशेष महत्व वाले माल के सम्बन्ध मे यह निश्चित करने के लिये कि एक राज्य द्वारा लगाया गया कर किन प्रतिबन्धो व शर्तों के आधीन होगा।

---

286 (1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place —
(a) outside the State, or
(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of the territory of India.†

(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause (1) *

(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes or authorises the imposition of a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter-State trade or commerce, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify.*

† Explanation to cl (1) omitted by the Constitution (Sixth Amendment) Act 1956, S 4

* Subs, Ibid, for the original cls. (2) and (3).

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के उद्देश्य (Objects of the Central Sales Tax Act, 1956)

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ के बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(१) निम्नलिखित बातो के निर्धारण के लिये सिद्धान्त निश्चित करना —

(अ) *अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद कब और किन अवस्थाओ मे मानी जाये।*

(आ) राज्य के बाहर माल की बिक्री व खरीद कब और किन अवस्थाओ मे हुई समझी जाय।

(इ) भारत मे आयात व भारत से निर्यात् के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद कब और किन अवस्थाओ मे हुई मानी जाय।

उपरोक्त तीनो बातों के सम्बन्ध मे सिद्धान्तो का निर्धारण करना इसलिये आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को केवल अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य मे प्रयोग होने वाले माल पर बिक्री-कर लगाने का अधिकार है जबकि राज्यो की सरकारो को उपरोक्त तीन बातो मे से किसी एक पर भी बिक्री-कर लगाने का अधिकार नही है। एक राज्य को उस माल की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार है जिसकी बिक्री उसी राज्य के अन्तर्गत हुई हो। अतः यह जानना अवश्यक हो जाता है कि माल का क्रय विक्रय राज्य के बाहर होना कब समझा जायेगा। दूसरे शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि एक राज्य उसी माल की बिक्री पर कर लगा सकता है जो कि निम्नलिखित अवस्थाओ मे नही हुई हो .—

(१) चूँकि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत, (२) राज्य के बाहर तथा (३) भारत मे आयात व भारत से निर्यात् के अन्तर्गत।

(२) *चूँकि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद पर बिक्री-कर लगाना केन्द्रीय सरकार के अधिकार मे है, इसलिये इस अधिनियम द्वारा उस सम्बन्ध मे कर लगाने, कर वसूल करने व कर का वितरण करने के विषय मे नियम बनाना।*

(३) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य मे प्रयोग होने वाले कुछ प्रकार के माल को 'विशेष महत्व' का घोषित करना तथा उन विशेष महत्व वाले माल के सम्बन्ध मे वे शर्ते तथा प्रतिबन्ध निर्धारित करना जिनके अनुसार एक राज्य ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के लिये अपने नियम बना सके।

उपरोक्त तीन उद्देश्य केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ के आमुख (Preamble) मे दिये गये हैं।

अध्याय २

परिभाषाएँ
(Definitions)

अधिनियम की धारा २ में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी हुई हैं उनका विवेचन निम्नलिखित है —

(१) उपयुक्त राज्य (Appropriate State)

(अ) यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के एक या अधिक स्थान एक ही राज्य में स्थित हैं तो उस व्यापारी के लिए उपयुक्त राज्य वही होगा जहाँ पर उसके व्यवसाय के स्थान स्थित हैं।

(आ) यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान विभिन्न राज्यों में स्थित हैं तो प्रत्येक व्यवसाय के स्थान के लिए उपयुक्त राज्य वह होगा जिसमें उसका व्यवसाय का स्थान स्थित है। इस प्रकार उसके भिन्न भिन्न व्यवसाय के स्थान के हिसाब से उसका उपयुक्त राज्य भिन्न भिन्न होगा।

उदाहरण —(१) यदि श्री मुकन्दलाल जी का व्यवसाय जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में स्थित है, तो उनका उपयुक्त राज्य राजस्थान होगा।

(२) यदि उनके व्यवसाय के स्थान कानपुर, जयपुर व पटना में स्थित हैं तो कानपुर के व्यवसाय के लिए उपयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश जयपुर के व्यवसाय के लिए राजस्थान तथा पटना के व्यवसाय के लिए विहार राज्य होंगे।

उपयुक्त राज्य का महत्व—(१) धारा ७ के अनुसार प्रत्येक व्यापारी के लिए जो कि केन्द्रीय विक्री कर अदा करता है, यह आवश्यक है कि वह 'उपयुक्त राज्य' में अपना पंजीयन (Registration) कराये।

(२) धारा ९ के अनुसार केन्द्रीय विक्री-कर के लगाने व वसूल करने के अधिकार केन्द्रीय सरकार की ओर से उपयुक्त राज्य को ही सौंप दिये जाते हैं। यद्यपि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में प्रयोग होने वाले माल पर विक्री कर लगाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार का ही होता है, परन्तु उस कर ... व वसूल करने का कार्य केन्द्रीय सरकार की ओर से उपयुक्त राज्य के अधिकारी ही करते हैं।

... (Dealer)

धारा २ के अनुसार व्यापारी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो कि माल के ...य विक्रय का व्यवसाय ...रता है। व्यापारी शब्द में वह सरकार जो ऐसा करता है, सम्मिलित है।

'व्यापारी' शब्द बड़े महत्व का शब्द है क्योंकि जो विक्री कर लगाया जाता है वह व्यापारी पर ही लगाया जाता है। अतः जो व्यक्ति व्यापारी नहीं है, उस पर विक्री कर नहीं लगाया जा सकता है।

किसी को व्यापारी घोषित करने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है .—

(अ) वह व्यक्ति (Person) हो,

(ब) माल का क्रय विक्रय करता हो, तथा

(स) ऐसा क्रय-विक्रय अपने व्यवसाय के रूप मे करता हो।

व्यक्ति (Person)

इस अधिनियम मे व्यक्ति शब्द की परिभाषा नही दी गई है परन्तु आयकर अधिनियम १९६१ की धारा २ (३१) के अनुसार व्यक्ति (Person) शब्द मे निम्नलिखित सम्मिलित किये जाते है —

(i) अकेला व्यक्ति (Individual),

(ii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार,

(iii) एक कम्पनी,

(iv) एक फर्म,

(v) व्यक्तियो की परिषद् (Association of persons) या अकेले व्यक्तियो की सख्या (A body of individuals) चाहे सम्मिलित हो अथवा न हो,

(vi) एक स्थानीय सरकार (A local authority),

(vii) प्रत्येक कृत्रिम व न्यायिक व्यक्ति (Every artificial juridical person) जो कि उपरोक्त उपवाक्यो मे सम्मिलित न किया गया हो।

व्यापारी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने माल का क्रय तथा विक्रय किया हो और उस माल का क्रय-विक्रय करना उसका व्यवसाय हो। यदि कोई वकील देहली से अपने मित्र के लिए घडी खरीदता है और जयपुर मे उस घडी को अपने मित्र को बेच देता है तो वह व्यापारी नही है क्योकि घडी खरीदना और बेचना उसका व्यवसाय नही है।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रय विक्रय का व्यवसाय किया जाय, वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होना चाहिए। यदि क्रय तथा विक्रय के पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य नही है तो वह क्रेता तथा विक्रेता व्यापारी नही है। कैनन डकरले एण्ड कम्पनी[1] के मामले मे, इजीनियरो को एक-एक फर्म अपने श्रमिको को लाभ रहित मूल्य पर अनाज दिया करती थी और उस अनाज का मूल्य श्रमिको की मजदूरी मे से काट लेती थी। यह तय किया गया कि फर्म व्यापारी नही है।

श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड[2] के मामले मे, करदाता कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियो की सुविधा के लिए लाभहीन उद्देश्य से कैन्टीन चलाता था। उसे व्यापारी नही ठहराया गया।

'व्यवसाय' शब्द की इस अधिनियम मे कोई परिभाषा नही दी गई है परन्तु सामान्यतया व्यवसाय (Business) शब्द व्यापार (Trade) शब्द से बहुत अधिक व्यापक है। 'व्यापार' का अर्थ लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय-विक्रय करना है जबकि व्यवसाय शब्द मे वाणिज्य व उद्योग दोनो सम्मिलित है। व्यापार वाणिज्य का एक अग है। वाणिज्य के अन्तर्गत व्यापार के अतिरिक्त यातायात, गोदाम व अर्थ पूर्ति करने वाली सस्थाओ की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। वाणिज्य व्यवसाय का एक अग है, परन्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी की परिभाषा मे जो 'व्यवसाय' शब्द प्रयोग किया गया है वह माल के क्रय तथा विक्रय तक ही सीमित रखा गया है। अत. व्यापारी कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह लाभ कमाने के उद्देश्य से क्रय व विक्रय का व्यवसाय करता हो।

1. Cannon Dunkerley & Co (Madras) Ltd Vs The State of Madras (1954)
2. Sree Meenakshi Mills Ltd. Vs The State of Madras (1954)

क्या निम्नलिखित व्यक्ति व्यापारी हैं ?

(i) कपड़ा रंगने वाला—यदि एक कपड़ा रंगने वाला ग्राहक द्वारा लाये हुये कपड़े को रंग कर देता है और उसके बदले में अपनी मजदूरी लेता है, तो वह व्यापारी नही है।[1] परन्तु यदि वह रंगरेज स्वयं कपड़ा खरीद कर तथा रंग कर ग्राहक को बेचता है तो वह व्यापारी कहलायेगा।

(ii) मुद्रक (Printer)—एक मुद्रक जो ग्राहक द्वारा दिये गये कागजो पर छपाई करता है, व्यापारी नही है।[2] यदि वह स्वय कागज खरीदकर छपाई कर ग्राहक को बेचता है तो वह व्यापारी कहलायेगा।

(iii) ऋण देने वाला साहूकार—ऋण देने वाला साहूकार व्यापारी नही है।[3]

(iv) दलाल (Broker)—एक दलाल जो कि दलाली के बदले मे क्रेता और विक्रेता को मिलाता है, व्यापारी नही है क्योकि वह स्वय क्रय-विक्रय नही करता है।[4]

(v) कमीशन ऐजेन्ट—एक व्यक्ति जो कमीशन के बदले मे तथा ऐजेन्ट के रूप मे माल के क्रय विक्रय का व्यवसाय करता है, व्यापारी है। एक कमीशन एजेन्ट जो माल को अपने या दूसरे के नाम मे बेचता है, व्यापारी है बशर्ते माल उसके कब्जे मे हो तथा उस माल को बेचने का उसको अधिकार प्राप्त हो[5]।

एक दलाल कभी भी माल पर कब्जा व आधिपत्य नही रखता, इसलिए वह व्यापारी नही है।[6]

पक्का आढतिया सर्वदा व्यापारी होता है। परन्तु कच्चे आढतिये के सम्बन्ध मे कुछ राज्यो के अधिनियमो ने उसे बिक्री कर से छूट दी हुई है बशर्ते कि वे इस सम्बन्ध मे शुल्क देकर लाइसेंस प्राप्त करले। कच्चा आढतिया एक दलाल की तरह ही होता है, वह माल के स्वामित्व का हस्तातरण नही करता है क्योकि माल पर उसका कोई आधिपत्य नही होता। वह तो केवल क्रेता व विक्रेता को मिलाता है और उसके बदले मे कमीशन लेता है। परन्तु वे आढतिये जो अपने नियोक्ता (Principal) की ओर से बेचने व रुपया वसूल करने का अधिकार रखते है व्यापारी कहलाते है।

(vi) डाक्टर—एक डाक्टर जो रोगियो का निरीक्षण करके दवा देता है, व्यापारी नही है क्योकि वह विक्रेता नही है।[7] परन्तु यदि कोई डाक्टर रोगियो का इलाज करने के साथ-साथ दवाइयाँ भी बेचता है, अर्थात् विक्रय के लिये दवाइयो का स्टॉक रखता है, तो ऐसी दवाइयो के विक्रय के लिये व्यापारी कहलायेगा।

(vii) कृषक (Agriculturist)—एक कृषक जो अपने खेत मे अनाज पैदा करता है और अपनी आवश्यकता पूरी करने के पश्चात् अधिक अनाज को बाजार मे बेचता है, तो वह व्यापारी नही है क्योकि अनाज का क्रय-विक्रय करना उसका व्यवसाय नही है।[8]

(viii) नीलामकर्त्ता (Auctioneer)—नीलामकर्त्ता 'व्यापारी' होता है क्योकि वह माल का विक्रय करता है। नीलाम किये जाने जाने वाला माल उसके आधिपत्य मे रहता है और उसे माल को बेचने का अधिकार प्राप्त रहता है।

---

1. Chauthmal Champalal of Nagpur Vs The State (1952)
2. Rajasthan Printing and Litho Works Ltd In Re (1952
3. The State of Madras Vs N R K Gounder & Sons (1954)
4. C. P. Coal Trading & Distributing Co Vs Comm of Sales Tax (1954)
5. Kandula Radhakrishna Rao & Others Vs The Province of Madras (1952)
6. Dinanath Mahadev Dalal of Nagpur Vs The State (1952)
7. J. P. Dixit Vs The State 1952)
8. Raja Visheshwar Vs Province of Bihar (1951)

(ix) कलाकार (Artist)—यदि एक चित्रकार तथा फोटोग्राफर किसी ग्राहक के लिये चित्र बनाते है तो वे व्यापारी नही है। यदि एक फोटोग्राफर आयात किये गये सामान को बेचता है तो उस पर उसे बिक्री कर देना पडेगा।[1]

(x) ठेकेदार (Contractor)—एक ठेकेदार जो किसी बाँध की मरम्मत के लिये श्रमिक प्रदान करता है, व्यापारी नही है चूँकि उसने कोई माल नही बेचा।[2]

(xi) दर्जी (Tailor)—एक दर्जी जो ग्राहको द्वारा दिये गये कपडे की सिलाई करता है, व्यापारी नही है। परन्तु यदि वह स्वयं कपडा खरीद कर सिलाई करके वस्त्र बनाता है और उनको बेचता रहता है तो वह व्यापारी कहलायेगा।

(xii) आकस्मिक विक्रेता (Casual Seller)—आकस्मिक विक्रेता व्यापारी नही होता क्योकि विक्रय करना उसका व्यवसाय नही होता।

Mistry Dayabhai Kesurbhai Vs. The State of Bombay के मामले मे निर्णय किया गया कि यदि फर्नीचर का निर्माता आकस्मिक रूप से चीनी के बर्तन (Crockery) बेचता है तो चीनी के बर्तनो की बिक्री पर उसे कर नही देना पडेगा।

इसी प्रकार Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Coimbator Divis Vs. Sri Lakshmi Saraswati Motor Service, Gudiyattam (1954) के मामले मे यह निर्णय किया गया कि यदि एक मोटर ट्रान्सपोर्ट सर्विस कम्पनी अपनी अयोग्य बसो को बेचती है तो वह कम्पनी उस बिक्री के लिये व्यापारी नही है।

'घोषित माल' (Declared Goods) ।९।५

घोषित माल का अर्थ उस माल से है जो कि धारा १४ के अन्तर्गत विशेष महत्त्व के घोषित किये गये हैं तथा जो अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य मे प्रयोग होते है।

विधान अन्तर्नियम २८६ के वाक्य (३) के अनुसार ससद को अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य मे प्रयोग होने वाली विशेष महत्त्व की वस्तुओ को घोषित करने का अधिकार दिया गया है तथा उन वस्तुओ के सम्बन्ध मे ऐसे प्रतिबन्ध व शर्तें लगाने का अधिकार दिया गया है जिनके अनुसार ही विभिन्न राज्य उन पर कर लगा सके। अत: इस अधिकार का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम मे धारा १४ के अन्तर्गत घोषित माल की सूची दी हुई है तथा धारा १५ के अन्तर्गत वे प्रतिबन्ध व शर्तें दी हुई हैं जिनके अनुसार प्रत्येक राज्य उस माल पर कर लगा सकता है।

(४) माल (Goods)

माल शब्द मे सभी प्रकार की सामग्री, वस्तुएँ जिन्स पदार्थ (Commodities) तथा अन्य सभी प्रकार की चल सम्पत्ति सम्मिलित की जाती है परन्तु इसमे समाचार-पत्र, अभियोग के योग्य दावे (Actionable claims), स्कन्ध (Stocks), पूँजी अश तथा प्रतिभूतियाँ सम्मिलित नही की जाती है।

बिक्री कर के सम्बन्ध मे 'माल' का अर्थ बडा महत्वपूर्ण है क्योकि किसी ऐसी वस्तु के क्रय विक्रय पर जो कि 'माल' नही है, बिक्री कर नही लग सकता है।

भारत के सविधान के अन्तर्नियम ३६६ (१२) के अनुसार माल की परिभाषा निम्नलिखित है :—

"माल शब्द मे सभी सामग्री, जिन्स पदार्थ तथा वस्तुएँ सम्मिलित की जाती है।" माल की बिक्री अधिनियम १९३० के अनुसार माल की परिभाषा निम्नलिखित है :—

1 D Masanda & Co. Vs Com of Sales Tax (1957).
2 Krishna Chandra Acharya Vs the Board of Revenue, Orissa (1955)

"माल का अर्थ अभियोग के योग्य दावे तथा मुद्रा को छोड़कर, प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसमें स्कन्ध व पूंजी अंश, जमीन की फसलें, घास एवं अन्य वस्तुयें जो भूमि से संलग्न हो या भूमि का अंग हो और जिनको विक्रय के पूर्व अथवा विक्रय अनुबन्ध के आधीन अलग करने का ठहराव कर लिया हो, सम्मिलित हैं।"

अत केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम मे जो परिभाषा 'माल' की दी गयी है, वह अन्य उपरोक्त परिभाषाओं से भिन्न है।

चल सम्पत्ति का अर्थ उस सब सम्पत्ति से है जो कि अचल नही है। अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि, भूमि से संलग्न वस्तुएं या वे वस्तुएं जो कि स्थायी रूप पृथ्वी से बांधकर जोड दी गई हो, सम्मिलित होती हैं। परन्तु ऐसी वस्तुएं जो भूमि से जुडी हुई है परन्तु बिक्री के पूर्व जिनको भूमि से अलग कर लिया जाता है तो उन वस्तुओं को जो कि अलग की जा चुकी हैं, माल कहा जाता है क्योंकि अब वे चल सम्पत्ति म गिनी जाती हैं।

अभियोग योग्य दावे वे होते हैं जिनको सम्पन्न कराने के लिये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैधानिक दृष्टि से बाध्य कर सकता है जैसे ऋण।

माल की बिक्री अधिनियम १९३० के अनुसार मुद्रा माल नही है परन्तु बिक्री कर अधिनियम के अनुसार मुद्रा भी माल की श्रेणी म गिनी जाती है।

५) व्यवसाय का स्थान (Place of Business)

व्यवसाय के स्थान मे निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(१) यदि एक व्यापारी एक ऐजेन्ट द्वारा व्यवसाय करता है, तो उस ऐजेन्ट के व्यवसाय का स्थान,

(२) एक संग्रहागार या गोदाम या कोई अन्य स्थान जहाँ एक व्यापारी अपने माल का संग्रह करता हो, तथा

(३) एक स्थान जहाँ व्यापारी अपनी हिसाब-किताब की पुस्तके रखता हो।

६) बिक्री (Sale)

बिक्री का आशय रोकड अथवा स्थगित अदायगी या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल के स्वामित्व के हस्तान्तरण से है। बिक्री शब्द के अन्तर्गत 'भाड़े पर क्रय' पद्धति या अन्य प्रभाग भुगतान पद्धति पर माल का हस्तान्तरण सम्मिलित होता है परन्तु इसम माल की गिरवी, बन्धक अथवा रहन सम्मिलित नही होगी।

बिक्री के लिये निम्नलिखित ३ तत्व आवश्यक है :—

(अ) माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण होना चाहिये,

(ब) हस्तान्तरण व्यापार व व्यवसाय के बीच मे होना चाहिये, तथा

(स) यह किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले म होना चाहिय।

(अ) माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण होना चाहिये—बिक्री के लिये यह आवश्यक है कि विक्रेता से क्रेता को माल की सम्पत्ति का हस्तान्तरण हो। जहाँ माल के बेचने के लिये प्रसंविदा तो कर लिया गया है, माल का आदेश भी दे दिया गया है परन्तु माल की सुपुर्दगी नही दी गई है और उसका स्वामित्व हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो वहाँ वह बिक्री नहीं कहलायेगी। रहन, गिरवी या बन्धक की दशा मे ऋण प्राप्त करने के लिये कुछ समय के लिये माल के समस्त हित का हस्तान्तरण कर दिया जाता है परन्तु, फिर भी रहन, गिरवी या बन्धक बिक्री से भिन्न है क्योंकि बिक्री में स्वामित्व का हस्तान्तरण

हो जाता है जबकि रहन आदि मे केवल थोडे समय के लिये ही माल के समस्त हित का हस्ता।।र होता है।

बिक्री की परिभाषा मे, 'भाडे पर क्रय' पद्धति के अन्तर्गत किया गया सौदा भी सम्मि है। इस पद्धति के अनुसार क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण उस समय तक नही होता तक कि क्रेता अन्तिम किस्त न अदा करदे। अन्तिम किस्त का भुगतान कर देने पर ही अनुबन्ध बिक्री हो जाता है, उससे पूर्व नही। लेकिन बिक्री की उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत 'भाडे पर क्रय' के सौ को भी बिक्री मान लिया गया है तथा इसके सम्बन्ध मे 'माल का हस्तान्तरण' शब्द प्रयोग किय गये हैं कि 'माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण"।

(ब) हस्तान्तरण व्यापार व व्यवसाय के बीच मे होना चाहिये—कोई भी माल के स्वा का हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार 'बिक्री' नही समझा जायेगा जब तक कि वह कर-दाता के ।पा व व्यवसाय से सम्बन्धित न हो अथवा उनके अन्तर्गत न हो क्योकि अन्यथा वह बिक्री आकस्मिक बि हो जायेगी जिस पर यह बिक्री-कर नही लग सकता।

(स) यह किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले मे होना चाहिये—माल की बिक्री नि १९३० के अनुसार माल की बिक्री का प्रतिफल केवल मुद्रा ही हो सकता है जब कि केन्द्रीय बिक्री क अधिनियम के अनुसार मुद्रा के अतिरिक्त अन्य कोई भी मूल्यवान प्रतिफल हो सकता है। अत परोन परिभाषा के अनुसार वस्तु विनिमय (Barter) के आधार पर किये गये सौदे भी 'बिक्री' कहलायेगे।

क्या निम्नलिखित बिक्री हैं ?

(i) अपनी ब्रांच को माल भेजना—*प्रमुख कार्यालय से अपनी ब्राच को माल* बिक्री नही है बल्कि माल का केवल एक स्थान से दूसरे स्थान को हस्तातरण है।[1] चाहे ब्राच उसी राज्य मे स्थित हो जिसमे प्रमुख कार्यालय स्थित है अथवा किसी दूसरे राज्य म।[2]

(ii) पक्के आढ़तिया को माल भेजना—यदि कोई व्यापारी उसी राज्य मे अथवा किसी राज्य मे स्थित किसी पक्के आढतिया को माल भेजता है तो यह बिक्री नही है क्योकि माल का स्वा आढतिया को हस्तातरित नही होता बल्कि नियोक्ता के पास ही रहता है। उस माल की बिक्री उस . ही हुई मानी जाती है जब कि वह आढतिया उस माल को किसी क्रेता को बेच देता है। इस अवस्था यह बिक्री उसी राज्य मे हुई मानी जाती है जहाँ कि पक्का आढतिया अपना व्यवसाय करता है और राज्य उस पर बिक्री कर लगा सकता है।[3]

(iii) मार्ग मे खोये हुए माल का रेलवे से हर्जाना वसूल करना—यदि रेलवे कम्पनी के मार्ग मे खो जाने के *कारण हर्जाना देती है तो वह बिक्री नही है। क्योकि रेलवे कम्पनी को माल* स्वामित्व हस्तातरित नही किया जाता और इस प्रकार वह क्रेता नही बन सकती है।[4]

(iv) अपनी दुकान से अपने उपभोग के लिये सामान लेना—यदि एक व्यापारी अपने घरे उपभोग के लिये अपनी दुकान से अथवा गोदाम से कुछ सामान लेता है तो वह बिक्री नही कहलाये क्योकि वह स्वय अपने आप को माल नही बेच सकता।[5] परन्तु यदि एक साझीदार अपनी फर्म से कुछ सामान लेता है तो वह बिक्री कहलायेगी क्योकि एक साझीदार और उसकी फर्म एक ही नही है बल्कि वे अलग-अलग दो पक्ष है।

---

1. Babubhai Jivabhai Patel Vs the State
2. Sri Ram Gulab Das Vs. Board of Revenue M. P. (1952)
3. Hirji Govindji in Re. 1952 S. T C.
4. Newton Chikli Collieries Ltd. Vs. the State (1952)
5. Behubar Company Ltd. Vs. Commissioner of Taxes A. I. R. (1957) Assam.

(७) बिक्री-मूल्य (Sale Price)

"किसी माल की बिक्री के लिये प्रतिफल के रूप मे किसी एक व्यापारी को दिया जाने वाला वह धन बिक्री-मूल कहलाता है जो कि व्यापार की समान्य प्रथा के अनुसार नगद छूट कम करके परन्तु निम्नलिखित को छोडकर उन सब व्ययो को जोडकर जो कि सुपुर्दगी के समय अथवा उससे पूर्व व्यापारी ने माल के सम्बन्ध म किये हो, ज्ञात किया जाता है —

(अ) किराया भाडा (ब) सुपुर्दगी के व्यय तथा (स) सस्थापन की लागत (Cost of installation) जहा ये व्यय अलहदा चार्ज किये गये हो।"

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार बिक्री-मूल्य निम्नलिखित प्रकार से निकाला जाता है :—

विक्रय की धन राशि जो कि बेची गई वस्तुओ पर प्रति वस्तु की दर से निकाली जाय—(नक्द छूट + माल के सम्बन्ध म किये गये अन्य व्यय, रेल आदि का किराया, सुपुर्दगी के व्यय तथा सस्थापन की लागत को छोडकर।)

नकद छूट (Cash Discount)—बेचे हुए माल का जो बिल या बीजक बनाया जाता है, उसमे नक्द छूट को घटाकर दिखाया जाना चाहिय चाहे बिल का भुगतान तुरत या अवधि के अन्दर किया गया हो अथवा नही। नक्द छूट को घटाकर दिखाना उसी अवस्था म मान्य रहता है जबकि ऐसी छूट व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार ही हो। यदि किसी बाजार मे नक्द छूट को काटने का नियम नही है तो वहा बिल मे से नक्द छूट काटना बिक्री-कर के लिये मान्य नही समझा जायेगा।

माल के सम्बन्ध में किये गये अन्य व्यय—यदि एक व्यापारी के द्वारा कुछ ऐसे व्यय किये जाते हैं जो कि माल को सुपुर्दगी योग्य बनाने के लिये किये जाते है जैसे कि पॅकिंग व्यय, तुलाई के व्यय आदि तो उन व्ययो को विक्रय की धन राशि मे सम्मिलित करके विक्रय-मूल्य ज्ञात किया जाता है।

परिभाषा के अन्तर्गत इन अन्य व्ययो मे (१) किराया भाडा (२) सुपुर्दगी की लागत तथा (३) सस्थापन की लागत सम्मिलित नही है। परन्तु ये तीन व्यय उसी दशा मे सम्मिलित नही किये जाते है। जबकि इनको बिक्री के अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार बिल मे अलहदा चार्ज किया गया हो। यदि बिक्री के अनुबन्ध की शर्तो मे ऐसा कुछ भी नही है कि इनको अलहदा चार्ज किया जाय तो उस दशा म ये व्यय भी बिक्री मूल्य का भाग ही समझे जायेंगे।

उपरोक्त अपवाद वाले ३ व्ययो मे से एक व्यय सुपुर्दगी की लागत भी है। यहाँ सुपुर्दगी की लागत का अर्थ उस व्यय मे है जिसे माल को सुपुर्दगी के योग्य बनाने के पश्चात् किया गया हो जैसे कि गाडी भाडा, कुली व्यय आदि, क्योकि सुपुर्दगी के योग्य बनाने मे अथवा उससे पूर्व जो व्यय किये जाते हैं, वे तो विक्रय मूल्य म सम्मिलित किये ही जाते है।

बीजक बनाने म कुछ ऐसे भी व्यय सम्मिलित कर दिये जाते हैं जिनका सम्बन्ध माल को सुपुर्दगी के योग्य बनाने से नही होता। जैसे कि गौशाला का चन्दा व अन्य धर्मादा आदि। इस प्रकार के व्यय बिक्री-मूल्य का अग नही बन पाते। इसी कारण बिक्री-कर का व्यय भी बिक्री-मूल्य का भाग नही होता।

(८) बिक्री-कर कानून (Sales Tax Law)

"बिक्री कर कानून का" अर्थ उस कानून से है जो कि एक समय म किसी राज्य अथवा राज्य के एक भाग म लागू होता हो तथा इस सम्बन्ध मे स्पष्टतया वर्णित विशिष्ट माल पर अथवा सामान्य तौर मे माल के क्रय व विक्रय पर कर के लगाने का प्राबधान करता हो।

'सामान्य बिक्री-कर कानून' का अर्थ ऐसे कानून से है जो कि एक समय मे किसी राज्य अ राज्य के एक भाग मे लागू होता है तथा जो सामान्य तौर से माल के क्रय व विक्रय पर कर लगाने क प्रावधान करता हो।"

'बिक्री कर कानून' व 'सामान्य बिक्री-कर कानून' का आशय विभिन्न राज्यो मे प्रचलित बिक्र कर कानून से ही है।

(९) विक्रय राशि (Turn Over)

ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध मे जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी है, विक्रय रा का अर्थ उन समस्त विक्रय मूल्यो के योग से है जो उसने एक निर्धारित समय मे तथा निर्धारित क के अनुसार, अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत विभिन्न माल की बिक्री पर प्राप्त कर लि हो अथवा प्राप्य हो।

उपरोक्त परिभाषा से निम्नलिखित बाते स्पष्ट होती है. —

(१) विक्रय राशि का अर्थ एक व्यापारी के उन विक्रय मूल्यो के योग से है जो कि उसने निर्धारित समय मे या तो प्राप्त कर लिये हो अथवा जिनका प्राप्त करना अभी शेष रह गया हो इ प्रकार उधार बिक्री भी विक्रय-राशि मे सम्मिलित होती है।

(२) विक्रय राशि का अर्थ उसी व्यापारी के सम्बन्ध मे ही प्रयुक्त है जो कि इस अधिनियम अन्तर्गत कर देने का दायी हो।

(३) विक्रय राशि का अर्थ ऐसे माल की बिक्री से ही सम्बन्धित है जो कि व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गई हो।

(४) 'निर्धारित समय' का अर्थ उस काल स है जिसके लिये एक व्यापारी अपनी 'बिक्री व विवरण' कर निर्धारण के हेतु प्रस्तुत करता है

(१०) वर्ष (Year)

एक व्यापारी के सम्बन्ध मे, इसका अर्थ उस वर्ष से है जो कि उपयुक्त राज्य के सामान्य बि कर कानून के अन्तर्गत प्रयोज्य हो, तथा जहाँ कही ऐसा वर्ष प्रयोज्य नही है, वहा वर्ष का अर्थ वर्ष होगा।

इस परिभाषा के अनुसार केन्द्रीय बिक्री-कर के लिये वर्ष वही होगा जो कि राज्य के बिक्री के लिये लागू होता हो। परन्तु जहा किसी राज्य के बिक्री कर अधिनियम मे कर निर्धारण वर्ष न नही किया हुआ है, वहा इसका अर्थ वित्तीय वर्ष से होता है। वित्तीय वर्ष वह है जो कि १ अप्रेल प्रारम्भ होकर ३१ मार्च को समाप्त होता है।

यद्यपि इस परिभाषा मे 'गत वर्ष' (Previous year) अथवा 'कर-निर्धारण वर्ष' (Assessment year) का उल्लेख नही किया गया है परन्तु फिर भी राज्य के अधिनियमो के अनुसार स यह स्पष्ट ही है कि 'गत वर्ष' की बिक्री राशि पर कर निर्धारण वर्ष मे कर लगाया जाता है। एक व्या के लिये 'गत वर्ष उसका एकाउन्टिंग वर्ष (Accounting year) होता है जो कि ३१ दिसम्बर, दीवाली व दशहरा या ३१ मार्च को अथवा ३१ मार्च से पूर्व किसी अन्य तिथि को समाप्त होता है 'कर निर्धारण वर्ष' सर्वदा वित्तीय वर्ष ही होता है जो कि ३१ मार्च को समाप्त होता है।

उपरोक्त परिभाषा मे वर्ष का अर्थ 'कर निर्धारण वर्ष' से ही है जिसम गत वर्ष की बिक्री कर लगाया जाता है।

परन्तु कुछ राज्यो मे गत वर्ष व कर निर्धारण वर्ष एक ही होते हैं।

अध्याय ३

विक्री व खरीद के स्थान-निर्धारण के सिद्धान्त

'rinciples for Determining the Situs of Sale or Purchase)

प्रथम अध्याय म हम देख चुके है कि जव भारतीय सविधान के अन्तर्नियम २८६ के सम्बन्ध म विभित न्यायालय एक मत नही रहे तो सन् १६५६ म उस अन्तर्नियम मे सशोधन किया गया। इस पशोधन के फलस्वरूप वाक्य २ के अनुसार ससद को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून के द्वारा वाक्य १ म दिए गये बिक्री व खरीद का निर्णय करने के लिए सिद्धान्त निर्धारित करे।

इन सिद्धान्तो के निर्धारण के लिए ससद ने सन् १६५६ म केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम पास किया। य सिद्धान्त इस अधिनियम के अध्याय २ मे तथा धारा ३, ४ व ५ के अन्तर्गत दिए ए है।

जो सिद्धान्त अधिनियम म दिये गये हैं, वे निम्नलिखित ३ बातो का निर्णय करने के लये हैं —

(१) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद कब समझी जायगी (धारा ३)।

(२) माल की बिक्री व खरीद राज्य के बाहर हुई कब मानी जायगी (धारा ४)।

(३) माल की बिक्री व खरीद आयात व निर्यात के अन्तर्गत हुई कब मानी जायेगा (धारा ५)।

इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित दो बाते समझनी आवश्यक है —

(अ) अधिनियम की धारा ६ के अनुसार, अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्रा व खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर लगाया जाता है। परन्तु इस केन्द्रीय बिक्री-कर के लगाने व वसूल करने का काम धारा ६ के अनुसार उपयुक्त राज्यो के बिक्री-कर प्राधिकारी ही करते है।

(ब) यदि माल का बिक्री व खरीद (१) राज्य के बाहर, अथवा (२) आयात व निर्यात के अन्तर्गत होती है तो उस पर किसी प्रकार का बिक्रा-कर नही लगता है, अर्थात् न तो केन्द्रीय बिक्री-कर ही लगता है और न राज्य बिक्री-कर।

१) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद

धारा ३ के अनुसार माल की बिक्री व खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत मानी जायेगी, यदि बिक्री या खरीद—

(अ) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न करती हो, अथवा

(ब) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के बीच माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रों (Documents of Title to the Goods) के हस्तांतरण करने से हुई हो ।

उपरोक्त दोनो शर्तो मे माल के गमनागमन का समय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पहली शर्त के अनुसार क्रय-विक्रय हो चुकने के पश्चात् गमनागमन उत्पन्न होता है जबकि दूसरी शर्त के अनुसार माल का गमनागमन पहिले आरम्भ हो जाता है तथा उस गमनागमन के बीच मे ही क्रय-विक्रय होता है ।

इन दोनो शर्तों के अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि किसी माल के एक राज्य से दूसरे राज्य को पहुँच जाने के पश्चात् ही कोई बिक्री या खरीद का सौदा होता है तो वह सौदा अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत नही माना जायेगा अर्थात् उस पर केन्द्रीय बिक्री कर नही लगेगा वरन् उस सौदे पर राज्य का ही बिक्री कर लगेगा ।

माल का गमनागमन उत्पन्न होना—पहली शर्त के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत माल की बिक्री व खरीद उसी अवस्था मे मानी जाती है जबकि उस बिक्री व खरीद के फलस्वरूप माल का गमनागमन एक राज्य से दूसरे राज्य को उत्पन्न होता हो ।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सविधान के विषय मे लिखते हुए श्री विलोवी (Willoughby) ने कहा :—

"A mere making of contracts between persons in different States does not constitute inter-State commerce" अर्थात्

विभिन्न राज्यो के व्यक्तियो के बीच अनुबन्ध कर लेने से ही अन्तर्राज्यीय वाणिज्य नही बन जाता ।

अत अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के लिए अनुबन्ध के अतिरिक्त माल का गमनागमन उत्पन्न होना आवश्यक है । The Bengal Immunity Co. 1955 के मामले मे न्यायाधीश श्री वेकन्टारामा अय्यर ने ठीक ही कहा था कि अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत बिक्री तभी कही जा सकती है जबकि २ शर्तें साथ-साथ पूरी होती हो—(१) माल की बिक्री तथा (२) विक्रय के अनुबन्ध के आधीन एक राज्य से दूसरे राज्य को उस माल का यातायात ।

एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के सम्बन्ध मे धारा ३ के स्पष्टीकरण नम्बर दो मे यह स्पष्ट किया गया है "जहाँ माल के गमनागमन का प्रारम्भ व उसकी समाप्ति एक ही राज्य मे होती है तो वह एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन नही समझा जायेगा चाहे वह माल ऐसे गमनागमन के बीच किसी दूसरे राज्य की सीमा मे होकर गुजरा हो ।" उदाहरण के लिए यदि कोई माल राजस्थान से चलकर पजाब होता हुआ पुन: राजस्थान मे अपनी यात्रा समाप्त करता है तो ऐसा गमनागमन दो राज्यो के बीच हुआ नही माना जायेगा ।

माल के गमनागमन उत्पन्न होने का अर्थ यह है कि जब बिक्री की शर्तों के अनुसार कोई एक बिक्रेता उस माल को निक्षेप गृहीता अथवा सार्वजनिक वाहक (Carrier) को सौंप दे तो यह समझा जायेगा कि गमनागमन उत्पन्न हो गया चाहे वह माल अभी उस राज्य से न चला हो । माल की बिक्री अधिनियम १९३० के अनुसार भी यदि विक्रेता बिक्री की शर्तों के अनुसार माल को सार्वजनिक वाहक को सौप देता है तो यही समझा जाता है कि वह क्रेता को सोप दिया गया क्योंकि वह वाहक क्रेता का एजेन्ट समझा जाता है ।

(ब) **मार्ग में माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रों के हस्तांतरण द्वारा बिक्री व खरीद**—यदि माल के गमनागमन के पश्चात् जबकि माल मार्ग मे ही हो, माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के

हस्तातरण द्वारा बिक्री व खरीद होती है तो वह सौदा भी अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत समझा जाता है।

माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो (Documents of title to the goods) के अन्तर्गत सामान्यतया निम्नलिखित विपत्र सम्मिलित किये जाते है —

बीजक, रेलवे रसीद, सुपुर्दगी चालान जहाजी-बिल्टी तथा अन्य वे पत्र जो कि क्रेता को माल की सुपुर्दगी लेने के हेतु आवश्यक होते हो।

इस नियम के सम्बन्ध मे २ बाते पूरी होनी आवश्यक हैं —

(१) माल मार्ग मे ही हो, तथा

(२) अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के हस्तातरण द्वारा बिक्री व खरीद हो।

उदाहरण १—लीवर ब्रदर्स ने बम्बई से १ अप्रेल १९६२ को १०० सनलाइट साबुन की एक पटी जयपुर को भेजी परन्तु जयपुर पहुँचने के पूर्व जयपुर के सौदागर ने ५ अप्रेल १९६२ को यह पेटी देहली वाले सौदागर को अधिकार सम्बन्धी विपत्रो का हस्तातरण करके बेच दी। इस दशा म यह बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हुई मानी जायेगी।

उदाहरण २—कलकत्ते से मोहन ब्रदर्स ने १ जुलाई १९६१ को २०० फाउन्टेनपैन देहली मे 'ब' को भेजे जो कि देहली १० जुलाई, १९६१ को आकर पहुँचे। उसी दिन 'ब' की ओर से 'स' ने देहली मे माल छुडा लिया। ११ जुलाई को 'ब' ने अधिकार सम्बन्धी विपत्रो का हस्तातरण करके उदयपुर माल बेच दिया। यह सौदा अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हुआ नही माना जायेगा।

धारा ३ के स्पष्टीकरण सख्या १ म यह स्पष्ट किया गया है —

"जहाँ माल किसी वाहक को अथवा अन्य निक्षेपगृहीता (Bailee) को प्रेषण के लिये सुपुर्द कर दिया जाता है तो (ब) वाक्य के प्रयोजनार्थ माल का गमनागमन इस सुपुर्दगी के समय प्रारम्भ हुआ मान लिया जायेगा तथा वह गमनागमन ऐसे समय अन्त हुआ माना जायेगा जबकि ऐसे वाहक व निक्षेपगृहीता से सुपुर्दगी ले ली गयी हो।"

यहाँ (ब) वाक्य का अर्थ दूसरी शर्त से है।

इस दूसरी शर्त के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत सौदे ऐसे दो व्यापारियो के बीच भी हो सकते है जो कि एक ही राज्य के निवासी हो।

उदाहरण ३—कोई माल बम्बई से जयपुर भेजा गया। उस माल के जयपुर पहुँचने से पूर्व जयपुर के सौदागर 'अ' ने वह माल विपत्रो का हस्तातरण करके जयपुर के सौदागर 'ब' को बेच दिया। यह सौदा अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत ही हुआ ही समझा जायेगा और इस पर केन्द्रीय बिक्री कर लगेगा।

(२) राज्य के बाहर माल की बिक्री व खरीद

इस सम्बन्ध मे धारा ४ निम्नलिखित है —

(१) धारा ३ म दिये गये प्रावधानो के आधीन जब माल की बिक्री व खरीद उपधारा २ के अनुसार एक राज्य के अन्दर हुई निर्णय की जाती है तो ऐसी बिक्री व खरीद अन्य सब राज्यो से बाहर हुई मानी जाती है

(२) माल की एक बिक्री व खरीद एक राज्य के अन्दर हुई मानी जायेगी यदि माल राज्य के अन्दर है :—

(अ) विशिष्ट (Specific) अथवा निश्चित (Ascertained) माल के सम्बन्ध मे, उस समय जबकि बिक्री का अनुबन्ध किया गया, तथा

(ब) अनिश्चित (Unascertained) अथवा भावी (future) माल के सम्बन्ध मे, उस समय जबकि विक्रेता अथवा क्रेता के द्वारा उस माल को बिक्री के अनुबन्ध के अनुरूप बनाया गया हो चाहे दूसरे पक्ष की सहमति ऐसे अनुरूप बनाने से पूर्व अथवा बाद म ली गयी हो।

स्पष्टीकरण—जहाँ माल एक स्थान से अधिक स्थानो पर स्थित है और उन सब माल की बिक्री व खरीद के लिये जहाँ एक ही अनुबन्ध हो, तो इस उपधारा के प्रावधान इस प्रकार लागू होगे मानो प्रत्येक ऐसे स्थानो पर माल के सम्बन्ध मे अलग-अलग अनुबन्ध किये गय हो।

उपरोक्त धारा ४ मे 'समय' तथा 'स्थान' दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जिनका समझना आवश्यक है।

उपधारा २ यह बतलाती है कि माल की बिक्री व खरीद एक राज्य के अन्दर हुई कब समझी जाती है और उपधारा १ के अनुसार, यदि कोई बिक्री या खरीद किसी राज्य के अन्दर होती है तो वह **अन्य** सब राज्यो से बाहर हुई मानी जाती है। इस प्रकार उपधारा १ के अन्तर्गत वह बिक्री या खरीद सम्मिलित की गयी बतलाई हुई है जो कि उपधारा २ मे नही आती। दूसरे शब्दो मे यह कहा जा सकता है कि जो बिक्री या खरीद किसी राज्य के अन्दर नही हो और न वह अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत की गयी हो तो वह बिक्री राज्य के बाहर हुई मानी जायेगी।

उपधारा १ मे 'धारा ३ मे दिये गये प्रावधानो के आधीन' शब्द जुडे हुए हैं। इन शब्दो का अर्थ यह है कि चाहे बिक्री या खरीद राज्य के अन्दर ही हुई हो अथवा राज्य के बाहर हुई हो परन्तु फिर भी उस पर केन्द्रीय बिक्री-कर लगेगा यदि धारा ३ के अनुसार उस बिक्री या खरीद के फलस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न हुआ हो, अथवा गमनागमन के पश्चात् मार्ग मे विपत्रो के हस्तान्तरण से क्रय व विक्रय हुआ हो।

उदाहरण संख्या ३ मे माल की बिक्री जयपुर मे ही हुई है, 'अ' तथा 'ब' दोनो ही जयपुर के निवासी हैं परन्तु यह सौदा एक ही राज्य के अन्दर हुआ नही माना गया है वरन् अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत हुआ माना गया है। इस प्रकार इस उदाहरण संख्या ३ द्वारा 'धारा ३ मे दिये गये प्रावधानो के आधीन' शब्द स्पष्ट हो जाते है।

राज्य के बाहर बिक्री व खरीद के उदाहरण

उदाहरण १—कानपुर निवासी 'अ' जोधपुर मे अपने पक्के आढतिया 'ब' को माल भेजता है। 'ब' उस माल की बिक्री 'स' को करता है। यहाँ 'अ' के लिये यह बिक्री राज्य के बाहर समझी जायेगी। 'अ' के लिये यह बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत भी नही समझी जायेगी क्योकि उसने अपने पक्के आढतिये को माल भेजा था, बेचा नही था। इस प्रकार 'अ' पर न तो उत्तर प्रदेश का राज्य कर ही लगेगा और न केन्द्रीय-कर ही। जो बिक्री-कर उस माल पर लगेगा, वह राजस्थान मे पक्के आढतिया पर उस समय लगेगा जबकि कि उसने उस माल को 'स' को बेच दिया है।

उदाहरण २—जब कोई प्रमुख कार्यालय अपना माल किसी दूसरे राज्य मे स्थित अपनी ब्राच को भेजता है, तो वह अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत बिक्री नही मानी जाती है और जब वह ब्राच उस माल को बेचती है तो वह बिक्री प्रमुख कार्यालय के लिये राज्य से बाहर हुई समझी जाती है।

एक राज्य के अन्दर बिक्री व खरीद

उपधारा २ के (अ) वाक्य के अनुसार, विशिष्ट अथवा निश्चित माल के सम्बन्ध में बिक्री के अनुबन्ध के समय यदि माल राज्य के अन्दर हो तो वह बिक्री या खरीद उसी राज्य के अन्दर हुई मानी जायेगी।

'विशिष्ट माल' का अर्थ उस माल से है जो कि बिक्री के अनुबन्ध के समय वास्तविक रूप से पहिचाना जा चुका हो और दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त कर चुका हो। विशिष्ट माल की यह परिभाषा 'माल की बिक्री अधिनियम १९३०' की धारा २ (१४) में दी हुई है।

निश्चित माल का अर्थ विशिष्ट माल से मिलता जुलता ही है। 'माल की बिक्री अधिनियम' में इसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी गई है लेकिन Thames Sack and Bag. Co Vs Knowles (1919) के मामले म यह कहा गया था कि निश्चित माल का अर्थ उस माल से है जो कि बिक्री के अनुबन्ध के समय के पश्चात् ठहराव के अनुसार पहिचाना गया हो। उदाहरण के लिये, अगर कुछ माल एक ढेरी म से बेचा जाता है तो वह माल निश्चित किया हुआ उस समय तक नहीं माना जायेगा जबतक कि वह माल उस ढेरी में से अलग न कर लिया हो चाहे सारी ढेरी एक ही प्रकार के किस्म व मूल्य वाले माल की क्यो न हो—Wallace Vs. Breeds (1811) तथा Buswell Vs. Kilborn (1862)।

परन्तु उपधारा २ के (अ) वाक्य म 'बिक्री के अनुबन्ध के समय' शब्द 'विशिष्ट' और 'निश्चित,' दोनों ही प्रकार के माल को लागू होते है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दोनों का अर्थ लगभग समान ही है तथा निश्चित माल का अर्थ केवल माल का अलग करके पहिचानने से है।

उपधारा २ के (ब) वाक्य के अनुसार, अनिश्चित अथवा भावी माल के सम्बन्ध म, यदि माल राज्य के अन्दर उस समय हो जबकि विक्रेता व क्रेता ने उस माल को बिक्री के अनुबन्ध के अनुरूप बनाया हो तो वह बिक्री या खरीद उसी राज्य के अन्दर हुई मानी जायेगी। परन्तु जहाँ तक अनुरूप बनाने के लिये दूसरे पक्ष की सहमति का प्रश्न है, वह तो अनुरूप बनाने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् कभी भी ली जा सकती है।

भावी माल (Future Goods) का अर्थ ऐसे माल से है जो कि अनुबन्ध करते समय तैयार अवस्था म नहीं है बल्कि जो अनुबन्ध होने के बाद ही प्राप्त किया जायेगा अथवा निर्मित किया जायेगा।

अनिश्चित (Unascertained) माल का अर्थ, जैसा कि स्पष्ट है, उस माल से है जो कि निश्चित नहीं हो। निश्चित माल के विषय में ऊपर बतलाया जा चुका है।

'माल की बिक्री अधिनियम' की धारा २३ (२) के अनुसार, जहाँ अनुबन्ध को पूरा करने में, एक विक्रेता किसी क्रेता को माल सुपुर्द कर देता है अथवा वह किसी वाहक व निक्षेप गृहीता को क्रेता तक पहुँचाने के लिये माल सुपुर्द कर देता है तथा वह विक्रेता अपने पास उस माल को बेचने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखता है तो यह समझा जाता है कि उसने माल को बिक्री के अनुबन्ध के अनुरूप शर्त रहित ढंग से बना दिया है।

परन्तु जहाँ विक्रेता माल को बेचने का अधिकार किसी शर्त के आधीन अपने पास सुरक्षित रखता है तो उस माल का स्वामित्व क्रेता को उस समय तक नहीं मिल पाता जब तक कि वह शर्त पूरी नहीं हो जाती है इस बात को समझने के लिये निम्नलिखित निर्णय महत्वपूर्ण है —

The State of Madras (Now Andhra Pradesh) Vs V. P. Venkata Ramaiah & Sons 1958 (9) के मामले म यह निर्णय हुआ कि :—

जहाँ माल की सुपुर्दगी के हेतु रेलवे रसीद विक्रेता के नाम मे बनवाई गयी हो तथा एक *बैंक पर लिखे गये विनिमय-पत्र (B/E) की स्वीकृति की शर्त पर वह बिल्टी क्रेता को भेजी गयी हो तो* वहाँ यह माना जायेगा कि विक्रेता ने माल को पुन: बेचने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया है। ऐसे माल का स्वामित्व क्रेता को तब तक नही मिलेगा जब तक कि वह विनियम-पत्र पर स्वीकृति न दे दे और बैंक से बिल्टी न छुडाले। अत: शर्त पूरी करने की दशा मे बिक्री क्रेता के स्थान पर ही हुई मानी जायेगी और यदि क्रेता किसी दूसरे राज्य का निवासी है तो यह बिकी राज्य के बाहर हुई मानी जायेगी।

उपरोक्त उदाहरण मे बिक्री राज्य के बाहर हुई मानी गयी है क्योकि माल उस समय विक्रेता के राज्य मे नही था।

(३) आयात अथवा निर्यात् के अन्तर्गत बिक्री या खरीद

धारा ५ की उपधारा १ के अनुसार माल की बिक्री या खरीद, भारत की सीमा के बाहर निर्यात के अन्तर्गत केवल तभी मानी जायेगी जब कि वह बिक्री या खरीद माल का ऐसा निर्यात उत्पन्न करती हो अथवा वह माल के अधिकार सम्बन्धी विषयो के उस समय हस्तान्तरित करने से हुई हो जबकि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओ (Customs frontiers) को पार कर गया हो।

धारा ५ की उपधारा २ के अनुसार माल की बिक्री व खरीद, भारत की सीमा के अन्दर आयात के अन्तर्गत केवल तभी मानी जायेगी जबकि वह बिक्री या खरीद माल का ऐसा आयात उत्पन्न करती हो अथवा वह माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के उस समय हस्तान्तरित करने से हुई हो जब कि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओ को पार न कर पाया हो।

भारतीय सविधान के अन्तर्नियम २८६ (१) के अनुसार निर्यात अथवा आयात के अन्तर्गत हुई बिक्री या खरीद पर कोई राज्य बिक्री कर नही लगा सकता है। इसी कारण से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि बिक्री व खरीद निर्यात अथवा आयात के अन्तर्गत कब समझी जायेगी।

धारा ५ के प्रावधान धारा ३ के प्रावधानो के समान ही हैं। इन दोनो मे केवल यह अन्तर है कि धारा ३ मे माल का गमनागमन विभिन्न राज्यो के बीच होता है जबकि धारा ५ के अन्तर्गत माल का गमनागमन निर्यात व आयात के अन्तर्गत आगम शुल्क सीमाओ के परे होता है।

माल की बिक्री या खरीद निर्यात के अन्तर्गत (In the course of export) समझी जाती है यदि निम्नलिखित २ शर्तो मे से कोई एक शर्त पूरी होती हो :—

(१) यदि माल की बिक्री या खरीद के फलस्वरूप माल का निर्यात उत्पन्न होता हो,

(२) इसके पश्चात् कि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओ को पार कर चुके, उस माल की बिक्री व खरीद अधिकार-विपत्रो के हस्तातरण से हुई हो। इसी प्रकार माल की बिक्री या खरीद आयात के अन्तर्गत समझी जाती है यदि निम्नलिखित २ शर्तो मे से कोई एक शर्त पूरी होती हो :—

(१) यदि माल की बिक्री या खरीद के फलस्वरूप माल का आयत उत्पन्न होता हो।

(२) इसके पूर्व कि माल भारत की आगम शुल्क सीमाओ को पार कर भारत मे आ जाये, उस माल की बिक्री व खरीद अधिकार-विपत्रो के हस्तातरण से हुई हो।

निर्यात एव आयात की उपरोक्त दशाओ मे यदि माल की बिक्री या खरीद अधिकार-विपत्रो के हस्तातरण से होती है तो दोनो दशाओ मे यह आवश्यक है कि अधिकार-विपत्रो का हस्तातरण उस समय ही हो जब कि माल भारत की सीमा से बाहर ही हो। इसलिए यदि विपत्रो का हस्तातरण भारतीय बन्दरगाह पर होता है तो वह बिक्री या खरीद निर्यात व आयात के अन्तर्गत नही समभी जायेगी।

स्टेट ऑफ ट्रावनकोर कोचीन Vs दी बाम्बे कम्पनी १६५२ के मामले मे यह तय किया गया "यदि माल की यात्रा आरम्भ होने से पूर्व माल का स्वामित्व विदेशी क्रता को मिल जाता है और इस प्रकार वह बिक्री राज्य के अन्दर ही पूर्ण हो जाती है तो वह बिक्री निर्यात के अन्तर्गत हुई ही मानी जायेगी। इसका कारण यह है कि माल की बिक्री के फलस्वरूप माल का निर्यात उत्पन्न हो गया था। माल का निर्यात उस दशा मे उत्पन्न हो जाता है जबकि माल निर्यात के लिए विदेशी क्रेता अथवा उसके ऐजेन्ट यानी वाहक व निक्षेप गृहीता को बिक्री की शर्तों के अनुसार सौंप दिया गया हो।

अध्याय ४

अन्तर्राज्यीय बिक्री-कर
(Inter-State Sales Tax)

अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व
(Liability to Tax on Inter-State Sales)

धारा ६ मे अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व दिया हुआ है। अत यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है।

धारा ६ (१)

इस अधिनियम मे दिये गये अन्य प्रावधानो के आधीन प्रत्येक व्यापारी ऐसी तिथि से जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी गजट (Official Gazette) मे विज्ञप्ति द्वारा नियुक्त करे परन्तु वह तिथि जो ऐसी विज्ञप्ति की तिथि से कम से कम ३० दिन बाद की ही हो, उन सभी बिक्रियो पर इस अधिनियम के आधीन कर देने का दायी होगा, जो कि ऐसी विज्ञप्त तिथि से किसी वर्ष मे अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गई हो।

इस धारा के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जो तिथि सरकारी गजट मे घोषित की जाती है उस तिथि से प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक वर्ष मे अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गयी ि । पर कर देने के लिये उत्तरदायी होगा। तिथि के बारे मे इस धारा मे यह कहा गया है कि ऐसी ति घोषणा की तिथि से कम से कम ३० दिन बाद की होनी चाहिए।

इस नियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने २६ मार्च १९५७ को सरकारी गजट मे घोषणा । कि अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देने का दायित्व १ जुलाई १९५७ से आरम्भ होगा। अत यहाँ पर जो तिथि निश्चित की गई, वह घोषणा की तिथि से ३ माह से अधिक बाद की तिथि रही थी जो नि नियमानुकूल ही है क्योकि धारा ६ मे 'कम से कम ३० दिन बाद' शब्द प्रयोग किये गए है। इस धारा ६, १ जुलाई १९५७ से ही लागू हुई है।

धारा ६(१) की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) प्रत्येक व्यापारी १ जुलाई १९५७ से केन्द्रीय बिक्री कर देने का दायी है।

(२) यह बिक्री कर उस बिक्री पर लगाया जाएगा जो कि व्यापारी ने अन्तर्राज्यीय व वाणिज्य के अन्तर्गत किसी एक वर्ष मे की हो।

धारा ६ (२)

धारा ६ (२) कुछ इस प्रकार के माल की उत्तरवर्ती बिक्री (Subsequent sale) को कर मुक्त करती है जो कि धारा ८ की उपधारा ३ मे वर्णित किया हुआ है।

यदि उस प्रकार के माल की अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बिक्री होती है और वह बिक्री —

(अ) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न करती है, अथवा

(ब) एक राज्य से दूसरे राज्य के गमनागमन के बीच माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के हस्तान्तरण से होती है,

तो उस माल की किसी उत्तरवर्ती बिक्री पर इस अधिनियम के अन्तगत कर नही लगेगा बशर्ते कि वह उत्तरवर्ती बिक्री माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के हस्तान्तरण से माल के गमनागमन के बीच किसी पजीकृत व्यापारी (Registered dealer) को की गयी हो।

इस उपधारा मे आगे कहा गया है कि —

ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री कर-मुक्त नही होगी जब तक कि विक्रय करने वाला व्यापारी नियत ढग से नियत अधिकारी को एक सर्टीफिकेट प्रस्तुत न करे। वह सर्टीफिकेट उस पजीयत व्यापारी द्वारा भरा जाना चाहिए तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिससे माल खरीदा गया था तथा उस सर्टीफिकेट मे सभी नियत विवरण भी दिया जाना चाहिए।

धारा ६ (२) की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

(१) इस उपधारा के प्रावधानो पर उपधारा (१) का कोई प्रभाव नही पडता अर्थात् चाहे उपधारा (१) मे कुछ भी दिया हो तो भी उपधारा (२) लागू होती है।

(२) यह उपधारा जिस प्रकार के माल की उत्तरवर्ती बिक्री को कर मुक्त करती है वह माल धारा ८ की उपधारा (३) मे वर्णित है।

(३) प्रथम बिक्री के पश्चात् जो विक्रियाँ होती हैं वे उत्तरवर्ती बिक्रियाँ कहलाती हैं।

(४) प्रथम बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत होनी चाहिये तथा उत्तरवर्ती बिक्रियाँ भी अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत होनी चाहिये।

(५) कर मुक्त होने के लिये आवश्यक है कि उत्तरवर्ती बिक्री माल के अधिकार सम्बन्धी विपयो के हस्तातरण से, माल के गमनागमन के बीच अर्थात् जब माल मार्ग मे ही हो तथा किसी पजीयत व्यापारी को ही की गई हो।

(६) कोई उत्तरवर्ती बिक्री कर-मुक्त नही होगी, जब तक कि विक्रय करने वाला व्यापारी नियत ढग से नियत अधिकारी (Prescribed Authority) को एक सर्टीफिकेट प्रस्तुत न करे।

यह सर्टीफिकेट उस पजीयत व्यापारी द्वारा भरा जाना चाहिये व हस्ताक्षरित होना चाहिये जिससे माल खरीदा गया था।

उदाहरण १—'अ' अन्तर्राज्यीय व्यापार के अन्तर्गत 'ब' को उस माल की बिक्री करता है जिस माल का वर्णन धारा ८ की उपधारा (३) मे दिया हुआ है। 'ब' माल के निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने से पूर्व, उसके अधिकार विपत्रो का हस्तातरण करके 'स' को माल बेच देता है। यहां जो बिक्री 'स' को की गयी है वह उत्तरवर्ती बिक्री कहलायेगी। माल की बिक्री को कर-मुक्त करने के लिये यह

आवश्यक होगा कि 'ब' एक सार्टिफिकेट 'अ' से भरवा कर तथा हस्ताक्षरित करवा कर नियत अधिकारी को नियत ढग से प्रस्तुत करे। इस उदाहरण मे 'अ' 'ब' 'स' को पजीयत व्यापारी माना है।

इस सार्टिफिकेट के दो फार्म हैं—ई, प्रथम (E I) तथा ई, द्वितीय (E II) जो कि अपनी आवश्यकतानुसार प्रयोग किये जाते हैं।

ई प्रथम (E I) फार्म—यह फार्म दो प्रकार के व्यापारियो द्वारा निर्गमित किया जाता है—(१) विक्रय करने वाले उस व्यापारी के द्वारा जिसने धारा ३ (अ) के अन्तर्गत बिक्री के हेतु माल का प्रथम बार गमनागमन आरम्भ किया हो, अथवा (२) इस व्यापारी के द्वारा जिसे कि धारा ३ (ब) के अन्तर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमना गमन के बीच प्रथम बार अन्तर्राज्यीय बिक्री की हो।

ई द्वितीय (E II) फार्म—यह फार्म भी दो प्रकार के व्यापारियो के द्वारा निर्गमित किया जाता है—(१) धारा ६ (२) (अ) मे वर्णित बिक्री की श्रृङ्खला मे प्रथम अथवा उत्तरवर्ती हस्तातरण करने वाला अथवा (२) धारा ६ (२) (ब) मे वर्णित बिक्री की श्रृङ्खला मे द्वितीय अथवा उत्तरवर्ती हस्तातरण करने वाला।

उपरोक्त उदाहरण मे 'अ' ई प्रथम (E I) फार्म भरेगा तथा 'ब' ई द्वितीय (E II) फार्म भरेगा। यदि 'स' उस माल को 'द' को बेचता है तो 'स' भी द्वितीय (E II) फार्म ही भरेगा।[1]

उत्तरवर्ती बिक्री के बारे मे यह बात समझ लेनी आवश्यक है कि यह बिक्री धारा ६ (२) (अ) तथा ६ (२) (ब) दोनो के अन्तर्गत की जा सकती है परन्तु दोनो दशाओ मे जब भी उत्तरवर्ती बिक्री की जायगी, वह बिक्री माल के मार्ग मे, अधिकार पत्रो के हस्तातरण द्वारा तथा पजीयत व्यापारी को ही की जानी चाहिये ताकि वह कर-मुक्त हो सके।

धारा ८—केन्द्रीय बिक्री-कर की दरें

यह धारा अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बिक्री पर कर की दरो का वर्णन करती है।

उपधारा (१)

धारा ८ (१) के अनुसार यदि एक व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत—

(अ) सरकार को किसी भी प्रकार का माल बेचता है, अथवा

(ब) सरकार के अतिरिक्त किसी पजीयत व्यापारी को केवल वह माल बेचता है जो कि इस धारा की उपधारा (३) मे वर्णित है, तो उस व्यापारी को इस अधिनियम के अधीन कर देना पडेगा जो कि उसकी विक्रय राशि (Turnover) का २% होगा।

इस उपधारा के अनुसार सरकार को किसी भी प्रकार का माल बेचने पर केन्द्रीय कर विक्रय राशि का केवल २% लगेगा। यदि कोई माल जो कि उपधारा (३) मे वर्णित है, सरकार के अतिरिक्त किसी पजीयत व्यापारी (Registered dealer) को बेचा जाय तो भी विक्रय करने वाले व्यापारी द्वारा २% ही केन्द्रीय बिक्री कर देना पडेगा।

---

१. E forms का प्रयोग समझने के लिये इसी अध्याय मे उदाहरण सख्या २ को देखिये तथा अध्याय ७ मे केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) नियम १९५७ का १७ सी नियम देखिये।

उपधारा (४)

उपधारा (१) से ही सम्बन्धित उपधारा (४) है जिसमे कहा गया है कि —

अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत किसी बिक्री के लिये उपधारा १ के प्रावधान लागू नही होंगे जब तक कि माल का विक्रेता व्यापारी नियत अधिकारी को नियत ढंग से निम्नलिखित घोषणा-पत्र व सार्टीफिकिट प्रस्तुत न करे—

(अ) घोषणा-पत्र—यह उस पंजीयत व्यापारी द्वारा भरा गया तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये जिसको कि माल बेचा गया है। घोषणा पत्र का नियत फार्म नियत अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिये तथा उसमे नियत विवरण होना चाहिए।

(ब) सार्टीफिकेट—यदि माल सरकार को बेचा गया है जो कि पंजीयत व्यापारी नही है, तो यह सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा भरा गया व हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसका फार्म भी नियत है।

उपरोक्त (अ) वाक्य के लिये 'सी' फार्म प्रयोग मे आता है तथा (ब) वाक्य के लिये 'डी' फार्म प्रयोग मे आता है।

उपधारा (२)

जिस व्यापारी की विक्रय राशि (Turn over) अथवा उसका कोई भाग यदि किसी ऐसी बिक्री से सम्बन्धित है जो कि उपधारा (१) मे सम्मिलित नही होती परन्तु अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की जाती है, तो उस व्यापारी को उस विक्रय राशि पर निम्नलिखित प्रकार से कर देना पडेगा —

(अ) घोषित माल के सम्बन्ध मे, यह कर उपयुक्त राज्य के अन्दर ऐसे माल की बिक्री व खरीद को लागू होने वाली दर पर निकाला जायगा, तथा

(ब) घोषित माल के अतिरिक्त अन्य माल के सम्बन्ध मे, इस कर की गणना १०% की दर पर ~~पर अथवा उस दर पर जो कि उपयुक्त राज्य मे ऐसे माल की बिक्री व खरीद को लागू होती हो, इन इन दोनो मे जो भी दर ऊँची हो, की जायेगी~~ ,

और ऐसी गणना करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक ऐसा व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत कर अदा करने के लिये दायी समझा जायेगा चाहे वह वास्तव मे उस कानून के अन्तर्गत ऐसा दायी न हो।

उपधारा २ उस बिक्री से सम्बन्धित है जो कि :—

(१) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गई हो, तथा

(२) उपधारा (१) मे नही आती हो।

इस उपधारा के अनुसार बिक्री कर विक्रय राशि पर निम्नलिखित दरो से लगेगा —

(१) यदि बिक्री ऐसे माल की की गयी है जो कि घोषित (Declared) है तो कर की दर वही होगी जो कि उपयुक्त राज्य (Appropriate State) मे ऐसे माल की बिक्री व खरीद के लिए लागू होती है। यह दर घोषित माल के लिए अलग अलग राज्य अपने नियमो मे निर्धारित करते हैं परन्तु केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम की धारा १५ के अनुसार यह दर बिक्री या खरीद के मूल्य के २% से अधिक नही हो सकती है।

घोषित माल का अर्थ उस माल से है जो कि इस अधिनियम की धारा १४ के अन्तर्गत 'विशेष महत्व' के घोषित किये गए हैं।

(२) यदि बिक्री अघोषित माल से सम्बन्धित है तो कर निम्नलिखित दो दरों में से जो भी ऊँची हो, उस पर लगाया जायेगा :—

(१) सात प्रतिशत, व

(२) वह दर जो कि उपयुक्त राज्य में ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर लागू होती हो।

विभिन्न राज्य अपने बिक्री कर—नियमों के अन्तर्गत अघोषित माल की दर नियत करते रहते हैं। इस प्रकार के माल की बिक्री व खरीद पर कर की दर न्यूनतम ७% है।

उपधारा (१) व उपधारा (२) में चाहे कुछ भी दिया हो यदि उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत किसी व्यापारी द्वारा की गयी किसी भी माल की बिक्री या खरीद सामान्यतया कर मुक्त है या उस पर सामान्यतया ऐसी दर पर कर लगना है जो कि २% से कम हो (चाहे उसे कर कहा जाय अथवा फीस या कोई अन्य नाम दिया जाय) तो इस अधिनियम के अन्तर्गत उनकी विक्रय राशि पर दिये जाने वाला कर जहाँ तक कि उसकी विक्रय राशि अथवा विक्रय राशि का भाग ऐसे माल की बिक्री से सम्बन्धित है, शून्य होगा अथवा अवस्थानुसार कम दर पर लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ माल की बिक्री या खरीद, उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत सामान्यतौर पर कर से मुक्त नहीं समझी जायेगी यदि उस कानून के अन्तर्गत वह किसी विशिष्ट अवस्थाओं व विशिष्ट शर्तों के आधीन मुक्त की गई है अथवा जिसके सम्बन्ध में कर विशिष्ट स्थलों (Stages) पर लगाया गया हो अथवा माल की विक्रय राशि के सम्बन्ध में कर किसी अन्य प्रकार से लगाया गया हो।

इस उपधारा २ (अ) के अनुसार अन्तर्राज्यीय माल की बिक्री व खरीद पर कर या तो शून्य होगा अथवा अवस्थानुसार कम दर पर लगाया जायेगा यदि—

(१) किसी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानूनों के अन्तर्गत एक व्यापारी द्वारा की गयी किसी भी माल की बिक्री या खरीद सामान्यतया कर-मुक्त है, अथवा

(२) ऐसी बिक्री या खरीद पर सामान्यतया २% से कम दर पर कर लगता हो। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि उपरोक्त प्रकार से कर-मुक्त होना अथवा कम दर पर कर देना 'सामान्य' अवस्था में ही होना चाहिए, 'विशिष्ट' अवस्था में नहीं। यदि कोई व्यापारी कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में, व विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत कर-मुक्त हो जाता है या कम दर पर कर देता है तो वह उपधारा २ (अ) के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के हेतु न तो कर-मुक्त ही हो सकेगा और न उसको कम दर पर कर देने का लाभ ही मिल सकेगा।

उपधारा २ में कहा गया है कि 'कर की गणना करने के लिये प्रत्येक व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत कर अदा करने के लिये दायी समझा जायेगा चाहे वह वास्तव में उस कानून के अन्तर्गत ऐसा दायी न हो।' इस वाक्य में तथा उपधारा (२ अ) के प्रावधानों में कोई मतभेद नहीं है, यह बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिये।

व्यापारी का दायी होना एक दूसरी बात जबकि उस पर कम दर पर कर लगाना एक भिन्न बात है। उपधारा २ का यह वाक्य किसी व्यापारी को दायी बनाने तक ही सीमित है परन्तु उपधारा २ (अ) के अन्तर्गत यह माना जा चुका है कि वह व्यापारी दायी है लेकिन फिर भी किसी उपयुक्त राज्य के कानून के आधीन उस पर सामान्य तौर से कर कम दर से लगता है अथवा लगता ही नहीं है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि इन दोनों उपधाराओं के प्रावधानों में मतभेद है।

उपधारा ३

यह उपधारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपधारा के अन्तर्गत जिस माल का वर्णन किया गया है, वह माल धारा ६ (२) को तथा धारा ८ (१) (ब) को प्रभावित करता है।

इस उपधारा के अन्तर्गत जो माल दिया गया है वह निम्नलिखित है —

(अ) घोषित माल के सम्बन्ध मे, उस श्रेणी या उन श्रेणियो का माल है जो कि पंजीयत व्यापारी के पजीयन सार्टीफिकेट (Certificate of registration) मे वर्णित है तथा जिसे उस पजीयत व्यापारी ने पुन बिक्री (Resale) के हेतु खरीदा है।

(ब) घोषित माल के अतिरिक्त अन्य माल के सम्बन्ध मे, उस श्रेणी या उन श्रेणियों का माल है जो कि पजीयत व्यापारी के पजीयन सार्टीफिकेट मे वर्णित है तथा जिसे उस पजीयत व्यापारी ने निम्नलिखित उद्दश्यो के हेतु खरीदा है :—

(i) पुन विक्रय के लिये, अथवा

(ii) इस सम्बन्ध मे बनाए गए केन्द्रीय सरकार के नियमो के आधीन निम्नलिखित कार्यों मे *अपने उपयोग के लिये :—*
बिक्री के लिए माल का निर्माण व विधिवत् करना (Manufacturing or Processing), या खान खोदने का कार्य, या विद्युत अथवा किसी अन्य शक्ति का उत्पन्न करना व वितरण करना।

(स) बारदाना अथवा अन्य ऐसी सामग्री जो कि माल खरीदने वाले पजीयत व्यापारी के पजीयन सार्टीफिकेट मे वर्णित है और जो बिक्री के हेतु माल के पैकिंग मे काम आने के लिये हो।

(द) बारदाना अथवा अन्य ऐसी सामग्री जो कि निम्नलिखित का पैकिंग करने मे प्रयोग की गई है —

(१) किसी ऐसे माल या ऐसे माल की श्रेणियाँ जो कि वाक्य (अ) व (ब) मे कही गई है तथा जो व्यापारी के पजीयन सार्टीफिकेट मे वर्णित हैं, अथवा

(२) उस बारदाने या सामग्री का ही पैकिंग करने के लिए जो कि वाक्य (स) मे कही गई है और जो व्यापारी के पजीयन सार्टीफिकेट मे वर्णित है।

इस उपधारा ३ मे जो माल दिया हुआ है, यदि उसे किसी पजीयत व्यापारी को बेचा जाता है तो विक्रय करने वाले पजीयत व्यापारी को अपनी विक्रय राशि का केवल 2% बिक्री कर देना पडेगा [धारा ८ (१) (ब)] बशर्ते कि क्रय करने वाला पजीयत व्यापारी विक्रेता को 'सी' फार्म भर कर भेजे [धारा ८ (४) (अ)]

बिक्री कर अधिनियम के अनुसार, विक्रेता जो बिक्री-कर देता है उसे वह क्रेता से वसूल कर लेता है। इसलिये क्रेता, बिक्री कर की ऊँची दर से बचने के लिये 'सी' फार्म विक्रेता को भेजता है।

धारा ६ (२) के आधीन यदि इस माल की जो कि उपधारा (३) मे दिया हुआ है, उत्तरवर्ती बिक्री की जाती है तो उस उत्तरवर्ती बिक्री पर कोई कर नही लगता बशर्ते कि ई-प्रथम व ई द्वितीय फार्म इसके प्रावधानो के अनुसार प्रयोग किये गये हो।

उदाहरण २—आगरे का 'अ' व्यापारी बम्बई के 'ब' व्यापारी को माल बेचता है, माल के बम्बई पहुँचाने से पूर्व 'ब' उस माल को देहली के 'द' को बेच देता है। माल वही है जो कि धारा ८ (३) मे वर्णित है तथा ये तीनो व्यापारी पजीयत व्यापारी हैं। यह ज्ञात करना है कि बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानो का लाभ उठाते हुए बिक्री का क्या ढग होना चाहिये।

हल—ब व्यापारी अ के पास माल के आदेश के साथ 'सी फाम भेजेगा और उससे माल के साथ-साथ E I फाम भेजने की प्राथना करेगा क्योकि वह उस माल की उत्तर वर्ती बिक्री करना चाहता है। अ माल भेज देगा तथा E I फाम भेज देगा। 'अ उस माल की बिक्री पर २% बिक्री कर देने का उत्तरदायी है, वह उस बिक्री कर को ब से वसूल कर लेगा। अ बिक्री कर प्राधिकारियो को सतुष्ट करने के लिये ब से प्राप्त सी फाम प्रस्तुत करेगा अब ब माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो का हस्तातरण करके माल के माग मे ही उस माल का द को बेचता है। यहा द सी' फाम ब को भेजेगा और ब E II फाम द को भेजेगा। माल बेचने पर ब कोई अतिरिक्त बिक्री कर नही देने का उत्तरदायी नही होगा क्योकि वह उत्तरवर्ती बिक्री है अत ब कोई अतिरिक्त बिक्री कर द से वसूल नही करेगा। वह द से केवल बीजक का मूल्य जिसमे 'अ द्वारा चाज किया गया २% बिक्री कर सम्मिलित है वसूल करेगा। बिक्री-कर अधिकारियो को सतुष्ट करने के लिये कि यह बिक्री धारा ८ (२) के अन्तगत की गई थी ब उन अधिकारियो को द से प्राप्त सी फाम तथा अ से प्राप्त E I फाम प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार यदि द किसी अन्य पजीयत व्यापारी को नियमानुकूल माल बेचता है तो वह उसस सी फाम प्राप्त करेगा तथा उसको E II फाम भेजेगा और अपने बिक्री कर अधिकारियो के सामने ब से प्राप्त E II फाम व उस अन्य व्यापारी से प्राप्त सी फाम प्रस्तुत करेगा ताकि उस बिक्री पर धारा ६ (२) के अन्तगत कर न लगे।

उपधारा (३) म दिये गये माल का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसक सम्बन्ध मे निम्नलिखित प्रमुख हैं —

(१) इस माल से सम्बन्धित जो इस अधिनियम मे छूट या लाभ प्राप्त है वे केवल पजीयत व्यापारी के लिये है अपजीयत व्यापारी के लिये नही।

(२) धारा ८ (१) (ब) के आधीन इस माल के विक्रय पर केवल २% बिक्री-कर लगता है।

(३) धारा ६ (२) के आधीन की गयी इस माल की उत्तरवर्ती बिक्री कर मुक्त होती है।

(४) इस माल से सम्बन्धित छूट प्राप्त करने के लिये यह अवश्य है कि वह माल पजीयत व्यापारी के पजीयन सार्टिफिकेट मे अवश्य लिखा हो। यदि कोई ऐसा माल है जो भले ही उपधारा ३ के अन्तगत आता है परन्तु वह व्यापारी के पजीयत सार्टिफिकेट मे नही लिखा हुआ है तो उस व्यापारी को उस माल से सम्बन्धित छट नहा मिलेगी।

(५) घोषित माल का अथ उस माल से है जो कि धारा १४ म विशेष महत्त्व का घोषित किया गया है। इस घोषित माल के सम्बन्ध मे छूट प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि वह पुन बिक्री के लिये ही खरीदा गया हो।

(६) अघोषित माल पुन बिक्री के लिये ही हो सकता है तथा उस व्यापारी के द्वारा अपने उपयोग के लिये भी हो सकता है। परन्तु उपयोग के सम्बन्ध मे यह आवश्यक है कि निम्नलिखित कार्यो के लिय ही उपयोग किया जाय —

बिक्री हेतु माल का निर्माण विधिवत करना खान खोदने का काय तथा विद्युत व किसी अन्य शक्ति का उत्पन्न व वितरण करना।

(७) बारदाने तथा पैंकिग के अन्य समान के बारे मे :—

(अ) वह समान जो कि बिक्री के माल का पैंकिग करने के लिये क्रय किया गया हो, तथा

(ब) वह सामान जो कि निम्नलिखित का पैंकिग करने के लिये प्रयोग किया गया हो :—

(i) वह माल जो कि उपधारा ३ अ तथा ३ ब मे वरिणत है, तथा

(ii) जो बारदाना या पैंकिग का सामान उपधारा ३ स के अनुसार खरीदा गया है, उनकी बिक्री उनका ही पैंकिग करने के लिए हेतु इस उपधारा मे सम्मिलत किया हुआ है ।

उपधारा ५

चाहे इस धारा मे कुछ भी दिया गया हो, यदि राज्य की सरकार सतुष्ट है कि जन हित मे ऐसा करना आवश्यक है तो वह सरकारी गजट मे विज्ञप्ति करके निर्देश दे सकती है कि ऐसे माल व माल की श्रेरिणयो के सम्बन्ध मे, जो कि विज्ञप्ति मे लिखे गये है, तथा ऐसी शर्तो के अधीन जिनको वह लगाना उचित समझे, किसी राज्य मे व्यवसाय का स्थान रखने वाले व्यापारी के द्वारा उस बिक्री पर उस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर नही दिया जायेगा जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वारिणज्य के अन्तर्गत उस व्यवसाय के स्थान से की गई हो, अथवा वह निर्देश दिया जा सकता है कि ऐसी बिक्री पर उपधारा १ या उपधारा २ मे निर्धारित दर से ऐसी कम दर पर कर लगाया जायेगा जो कि विज्ञप्ति मे वरिणत की जाय ।

यह धारा बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि राज्य सरकार को इस धारा के प्रावधानो के अनुसार यह अधिकार दिया गया है कि वह अन्तर्राज्यीय व्यापार में लगाने वाले कर को मुक्त करदे अथवा कर की दर को कम करदे, यदि ऐसा करना जन हित में हो ।

यह अधिकार पहले केन्द्रीय सरकार को ही मिला हुआ था परन्तु इस अधिनियम मे १६५७ मे सशोधन करके यह अधिकार राज्य सरकारो को सौप दिया गया । राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन विज्ञप्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओ पर कर की दरें घटाती रहती है अथवा, उन वस्तुओ को कर मुक्त करती रहती है ।

अध्याय ५

व्यापारियों का पंजीयन

(Registration of Dealers)

धारा ७ (१) के अनुसार—प्रत्येक व्यापारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी है, ऐसी अवधि के अन्दर जो इसके हेतु नियत की जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत पजीयन के लिये एक प्रार्थना-पत्र उपयुक्त राज्य मे ऐसे प्राधिकारी को देगा जिसे केन्द्रीय सरकार सामान्य व विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, तथा प्रत्येक ऐसे प्रार्थना पत्र मे वे सभी विवरण होगे जो कि नियत किये जाय ।

इस उपनियम की प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं :—

(i) **करदायी व्यापारी के लिये पजीयन आवश्यक**—इस धारा के अनुसार ऐसे प्रत्येक व्यापारी के लिये पजीयन कराना आवश्यक है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी हो । इसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यापारियो के लिये जो राज्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत बिक्री-कर देने के दायी हैं परन्तु केन्द्रीय बिक्री कर के लिये दायी नही हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना पजीयन कराना आवश्यक नही है परन्तु यदि वे पजीयन कराना चाहे तो वे करा सकते हैं । इस अधिनियम की धारा ६ के अनुसार, [illegible] व्यापारी अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत की गयी बिक्री पर केन्द्रीय क[illegible] देने का दायी होता है । इसलिये ऐसे व्यापारियो के लिये जिनका दायित्व धारा ६ [illegible] अनुसार निर्धारित है, यह आवश्यक है कि वे अपना पजीयन धारा ७ के प्रावधानो [illegible] अन्तर्गत करायें ।

(ii) **पजीयन कराने की अवधि**—केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एव विक्रय राशि) [illegible] १९५७ के नियम ४ (१) अनुसार, पजीयन के लिये प्रार्थना-पत्र व्यापारी द्वारा उस ति[illegible] से ३० दिन के अन्दर ही दिया जाना चाहिये जिस तिथि को वह व्यापारी इस [illegible] के अन्तर्गत कर देने के लिये दायी हुआ था ।

इस अधिनियम के अनुसार एक व्यापारी कर देने के लिये धारा ६ के अन्तर्गत दायी हो[illegible] है । धारा ६, १ जुलाई १९५७ को लागू की गयी थी । अत उन व्यापारियो के लिये जो कि १ जुला[illegible] १९५७ को अन्तर्राज्यीय व्यापार करते थे, पजीयन की अन्तिम तिथि ३१ जुलाई १९५७ हुई । [illegible] व्यापारियो के लिये पजीयन कराने की कोई अवधि नियत नही है । [धारा ७ (२)]

(iii) **उपयुक्त राज्य मे प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देना**—यदि एक व्यापारी एक ही रा[illegible] मे व्यवसाय के एक या अधिक स्थान रखता है तो उसके लिये उपयुक्त राज्य वही रा[illegible] है जहाँ कि उसके व्यवसाय स्थान हैं ।

परन्तु यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान एक से अधिक राज्य मे हैं तो प्रत्येक अलग राज्य वाले स्थान के लिये वह उपयुक्त राज्य समझा जायेगा जिस राज्य मे वह स्थान स्थित है ।

केन्द्रीय बिक्री-कर नियम, १६५७ के नियम २ मे यह कहा गया है यदि एक व्यापारी एक राज्य मे व्यवसाय के एक से अधिक स्थान रखता है तो वह सब स्थानो के सम्बन्ध मे एक ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमे इन नियमो के प्रयोजनार्थ वह व्यवसाय का प्रमुख स्थान भी लिखेगा । व्यापारी यह प्रार्थना-पत्र अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान से सम्बन्धित नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।" परन्तु यदि किसी व्यापारी के व्यवसाय के स्थान विभिन्न राज्यो म स्थिति है तो उसको भिन्न भिन्न राज्यो मे पजीयन कराना पडेगा ।

प्रार्थना-पत्र ऐसे को दिया जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

प्रार्थना-पत्र मे विवरण—इस अधिनियम के अन्तर्गत पजीयन करने के लिये 'ए' फार्म (A form) मे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना पडता है यह फार्म निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये ।

व्यक्तिगत व्यसाय के लिये व्यवसाय का स्वामी, फार्म के लिय एक साझीदार, हिन्दू अविभाजित परिवार के लिये कर्त्ता या प्रबन्धक, कम्पनी के लिये सचालक, प्रबन्ध अभिकर्त्ता अथवा कोई प्रधान पदाधिकारी, सरकार के लिये सरकार के द्वारा अधिकृत कोई पदाधिकारी, अन्य सस्थाओ के लिये व्यवसाय का प्रबन्ध करन वाला प्रधान अधिकारी ।

धारा ७ (२) के अनुसार एक व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत कर देने का दायी माना जायेगा चाहे उस कानून के अन्तर्गत उसके द्वारा की गई बिक्री या खरीद कर-मुक्त हो अथवा उसे कर की वापिसी व छूट स्वीकार की गयी हो ।

इस उपधारा की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) उन व्यापारियो के अतिरिक्त जो धारा ६ के अन्तगत केन्द्रीय बिक्री कर देने के दायी हैं, निम्नलिखित व्यापारी भी इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना पजीयन करा सकते हैं —

(अ) कोई भी व्यापारी यदि वह उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत कर देने का दायी हो, तथा

(ब) जिस राज्य मे बिक्री कर कानून लागू नही है तो कोई ऐसा व्यापारी जो कि उस राज्य मे अपने व्यवसाय का स्थान रखता हो ।

इस उपधारा मे वे व्यापारी आते हैं जो कि उपधारा (१) मे सम्मिलित नही किये गये है तथा उपरोक्त (अ) व (ब) में से कोई एक शर्त पूरी करते हो ।

(1) इस उपधारा के व्यापारियो के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत पजीयन कराना आवश्यक नही है । यह उनकी इच्छा पर ही निर्भर है कि वे पजीयन करायें अथवा नही । सामान्यत पजीयन कराना ही बहुत सी दशाओ मे ठीक रहता है ।

उदाहरण—एक व्यापारी 'अ' राजस्थान मे मोजे बनाता है जिनको वह राजस्थान मे ही बेचता है । अत वह राजस्थान बिक्री-कर कानून के ही अन्तर्गत बिक्री-कर देने का दायी है, केन्द्रीय न बिक्री-कर अधिनियम के अन्तगत नही । अगर यह व्यापारी मोजे बनाने के लिये अन्य राज्यो से कच्चा माल मँगाता है तो उसके लिये अच्छा यह है कि वह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तगत अपना पजीयन कराले ताकि उसे कच्चे माल पर 1% ही बिक्री कर देना पडे । इस व्यापारी के लिये केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत पजीयन कराना आवश्यक नही है क्योकि वह तो

क्रेता है, विक्रेता नही। परन्तु यदि वह अपना पंजीयन नही कराता है तो कच्चे माल का विक्रेता इस व्यापारी से बजाय २% बिक्री कर के अधिक दर पर कर वसूल करेगा।

(ii) इस उपधारा के व्यापारियो के लिये पजीयन कराने की कोई अवधि नियत नही है। केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ की नियम सख्या ४ (२) मे यह कहा गया है कि धारा ७ (२) के अन्तर्गत पजीयन के लिये इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् कभी भी प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

धारा ७ (३) के अनुसार—यदि वह अधिकारी जिसको उपधारा (१) या (२) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, सतुष्ट हो जाता है कि प्रार्थना-पत्र इस अधिनियम के प्रावधानो के व नियमो के अनुसार ही है, तो वह प्रार्थी का पजीयन कर लेगा तथा नियत फार्म मे पजीयन का सार्टीफिकेट उसको प्रदान कर देगा। सार्टीफिकेट मे धारा ८ (१) के प्रयोजनार्थ माल की श्रेणी या श्रेणियाँ भी उल्लेखित की जायेगी।

इस उपधारा से सबन्धित केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ की नियम सख्या (५) मे कहा गया है।

नियम ५ (१)—आवश्यक जाँच करने के पश्चात् जब विज्ञप्त प्राधिकारी (Notified authority) सतुष्ट हो जाता है कि प्रार्थना-पत्र मे दिया गया विवरण सही व पूरा है तथा नियम ४ (३) मे लिखी गई फीस चुका दी गई है तो वह उस प्रार्थी व्यापारी का पंजीयन कर लेगा तथा उसे 'बी' फार्म (Form B) मे एक सार्टीफिकेट जारी कर देगा। वह प्राधिकारी व्यवसाय के प्रमुख स्थान के अतिरिक्त *राज्य के अन्य प्रत्येक व्यवसाय स्थान के लिए भी ऐसे सार्टीफिकेट की एक प्रति देगा।*

नियम ५ (२)—यदि विज्ञप्त अधिकारी प्रार्थना-पत्र के विवरण की सत्यता व पूर्णता के बारे मे सतुष्ट नही है अथवा नियम ४ (३) मे वर्णित फीस नही चुकाई गई है तो वह लिखित कारण देकर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर देगा।

परन्तु इससे पूर्व कि प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया जाय, प्रार्थी को इस मामले मे सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जायेगा और उसे इस बात का भी अवसर दिया जायेगा कि वह उक्त विवरणो को ठीक व पूरा कर सके तथा नियम ४ (३) की आवश्यकताओ को पूरा कर सके।

नियम ४ (३) के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर ५) फीस लगती है ऐसी फीस कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप मे प्रार्थना-पत्र पर लगाई जाती है। *अधिनियम की धारा ८ (१) (ब) के अनुसार यदि* वह माल जो कि धारा ८ (३) मे दिया गया है, किसी पजीयत व्यापारी को बेचा जाता है तो ... व्यापारी को विक्रय राशि पर २% बिक्री कर देना पडता है। इसके लिये धारा ७ (३) के ... यह आवश्यक है कि व्यापारी के पजीयन सार्टीफिकेट मे वह माल वर्णित किया जाय जिसके लिये उसका पजीयन हुआ है। वह उसी माल के सम्बन्ध मे पजीयत व्यापारी समझा जायेगा जो माल उसके सार्टीफिकेट मे दिया गया है।

धारा ७ (४) के अनुसार :

(अ) उस व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर जिसे सार्टीफिकेट प्रदान किया गया था, ... जहाँ कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तो व्यापारी को उचित नो... देकर, उस प्राधिकारी द्वारा सार्टीफिकेट सशोधित किया जा सकता है ... वह जारी किया था, यदि वह, सतुष्ट है कि पजीयत व्यापारी द्वारा व्यवसाय के नाम, स्थान अथवा प्रकृति के बदलने के कारण, अथवा उस माल की श्रेणी

श्रेणियो को बदलने के कारण जिनमे कि वह व्यवसाय करता है, अथवा किसी अन्य कारण से, उसको जारी किये गये पजीयन सार्टीफिकेट मे सशोधन की आवश्यकता है, या

(ब) उस अधिकारी द्वारा सार्टीफिकेट निरस्त किया जा सकता है जिसने इसे जारी किया था, यदि वह पजीयत व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाता है कि व्यापारी ने व्यवसाय करना बन्द कर दिया है अथवा व्यापारी विद्यमान नही है अथवा धारा ७ (२) के अनुसार पजीयत व्यापारी उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत कर देने के लिये दायी नही रहा है, अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है ।

पजीयन सार्टीफिकेट के सशोधन से सम्बन्धित केन्द्रीय बिक्री कर नियम १६५७ का नियम ७ (१) महत्त्वपूर्ण है जो कि निम्नलिखित है —

यदि एक व्यापारी यह चाहता है कि उसको जारी किये गये सार्टीफिकेट मे कुछ सशोधन कर दिये जाये तो वह इस उद्देश्य के लिये विज्ञप्त प्राधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र देगा जिसमे वह इच्छित सशोधन लिखेगा तथा ऐसा सशोधन करने के कारण भी लिखेगा । वह इस प्रार्थना-पत्र के साथ अपना सार्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियां जो कि उसको प्रदान की गयी थी, नत्थी करेगा । वह प्राधिकारी कारणो से सतुष्ट होने पर सार्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियो मे ऐसे सशोधन कर देगा जो कि वह आवश्यक समझे ।

नियम ६ के अनुसार, पजीयन सार्टीफिकेट को निरस्त करने के पूर्व विज्ञप्त प्राधिकारी व्यापारी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगा । यदि पजीयन निरस्त कर दिया जाता है तो व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को पजीयन सार्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ यदि उसको प्रदान की गई हैं समर्पित कर देगा ।

धारा ७ (५) के अनुसार—एक पजीयत व्यापारी अपने पजीयन के निरसन के हेतु उस प्राधिकारी को जिसने कि उसे सार्टीफिकेट प्रदान किया था, एक नियत ढग से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो कि वर्ष के अन्त होने से कम से कम ६ माह पूर्व किया जाना चाहिये, तथा यदि व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर अदा करने का दायी नही है तो प्राधिकारी पजीयन को निरस्त कर देगा और जहाँ वह ऐसा करता है वहाँ वह निरसन वर्ष के अन्त होने पर ही प्रभावशाली होगा ।

इस उपधारा के अनुसार एक व्यापारी अपने पजीयन के निरसन के लिये स्वय प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है । अतः पजीयन का निरसन दो प्रकार से होता है—(१) प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने पर [उपधारा ४ (ब)] तथा (२) व्यापारी के प्रार्थना-पत्र देने पर (उपधारा ५) । यदि व्यापारी प्रार्थना-पत्र देकर अपने पजीयन का निरसन चाहता है तो उसको नियत अवधि मे ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । ऐसी अवधि सीमा पहली प्रकार के निरसन मे निर्धारित नही है जहाँ कि प्राधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने से निरसन होता हो ।

केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १६५७ का नियम १० इस उपधारा (५) से सम्बन्धित है । नियम १० मे यही लिखा है कि व्यापारी को धारा ७ (५) मे दिये गये नियत समय के अन्दर विज्ञप्त प्राधिकारी को पजीयन के निरसन के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये । प्रार्थना-पत्र के साथ सार्टीफिकेट व उसकी प्रतियां, यदि कोई प्रदान की गयी हो, प्रस्तुत की जानी चाहिये तथा ऐसे प्रार्थना-पत्र पर उस धारा के प्रावधानो के अनुसार विचार किया जायेगा ।

पजीयन सार्टीफिकेट से सम्बन्धित अन्य नियम

केन्द्रीय बिक्री-कर नियम १९५७ की नियम सख्याये ६ व ८ निम्नलिखित हैं .—

नियम ६—पजीयन का सार्टीफिकेट व्यवसाय के उस प्रमुख स्थान पर रखा जायेगा जो कि सार्टीफिकेट मे लिखा हुआ है तथा इस सार्टीफिकेट की एक प्रति राज्य के अन्दर प्रत्येक अन्य व्यवसाय-स्थान पर भी रखी जायेगी ।

इसी सम्बन्ध मे केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ के नियम ३ मे कहा गया है कि पजीयन सार्टीफिकेट के धारक के लिये यह आवश्यक है कि वह इस सार्टीफिकेट को अपने उस व्यवसाय के भवन मे एक प्रमुख स्थान पर लटका कर रखे जिस व्यवसाय के सम्बन्ध मे वह सार्टीफिकेट उसको जारी किया गया है ।

नियम ८—यदि पजीयन सार्टीफिकेट खो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है अथवा उसके अक्षर मिट जाते है तो व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर तथा २) रु० फीस देकर ऐसे सार्टीफिकेट की अनुलिपि (Duplicate) प्राप्त कर सकता है ।

यह जो फीस दी जाती है, वह कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप मे ही होती है ।

अध्याय ६

कर-आरोपण, कर-वसूली तथा अर्थ-दण्ड

(Levy and Collection of Tax and Penalties)

कर-आरोपण व कर-वसूली

कर लगाने तथा कर वसूल करने के सम्बन्ध मे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार हैं, वे धारा ६ तथा ६ (अ) द्वारा राज्य सरकार को सौंप दिये गये है। इसलिये केन्द्रीय बिक्री-कर के निर्धारण की विधि व कार्यप्रणाली वही है जो कि एक राज्य मे बिक्री-कर के लिये अपनायी जाती है।

धारा ६ (१) के अनुसार "अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत जो माल की बिक्री की गयी हो, चाहे ऐसी बिक्री धारा ३ के (अ) वाक्य के अन्तर्गत हुई हो अथवा (ब) वाक्य के अन्तर्गत हुई हो, ऐसी बिक्री पर कर उपधारा (३) मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार भारत सरकार द्वारा ऐसे राज्य म लगाया व वसूल किया जायेगा जिस राज्य से माल का गमनागमन आरम्भ हुआ हो।

परन्तु एक राज्य से दूसरे राज्य को गमनागमन के बीच माल भी उस बिक्री के सम्बन्ध मे जो कि उसी माल की प्रथम बिक्री की उत्तरवर्ती बिक्री हो तथा ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री धारा ६ (२) के अन्तर्गत नही आती हो तो कर उस राज्य मे लगाया या वसूल किया जायेगा जहाँ से उत्तरवर्ती बिक्री करने वाले पंजीयत व्यापारी ने ऐसे माल के क्रय करने के लिये धारा ८ (४) के (अ) वाक्य के प्रयोजनार्थ फार्म प्राप्त किया हो।"

६ (१) धारा की प्रमुख बातें

(i) कौन से राज्य मे कर लगाया या वसूल किया जायेगा ?—यह धारा इस बात को स्पष्ट करती है कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत जो कर लगाया जायेगा अथवा वसूल किया जायेगा वह उसी राज्य म होगा जहाँ से माल का गमनागमन आरम्भ हुआ था, चाहे उस माल की बिक्री धारा ३ (अ) के अनुसार हुई हो अथवा धारा ३ (ब) के अनुसार हुई हो।

धारा ३ के अनुसार माल की बिक्री या खरीद अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत हुई मानी जायेगी यदि बिक्री या खरीद—

(अ) एक राज्य म दूसरे राज्य को माल का गमनागमन उत्पन्न करती हो, अथवा

(ब) एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के गमनागमन के बीच माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो के हस्तातरण से हुई हो।

अत चाहे माल की बिक्री गमनागमन के बीच ही क्यो न हुई हो उस बिक्री पर उसी राज्य मे कर लगाया या वसूल किया जायेगा जिस राज्य से माल का गमनागमन आरम्भ हुआ था।

उदाहरण १—जयपुर का 'अ' व्यापारी बम्बई के 'ब' व्यापारी को बिक्री के अनुबध के अन्तर्गत माल भेजता है तो यहाँ उस बिक्री पर जो कर लगाया जायेगा, वह राज्यस्थान राज्य मे लगेगा तथा उस कर की वसूली भी राजस्थान राज्य मे ही होगी क्योकि यह माल राजस्थान राज्य से चलना आरम्भ हुआ था।

उदाहरण २—यदि कलकत्ते का 'क' व्यापारी अपनी बम्बई ब्राच को कुछ माल भेजता है और वह उस माल को गमनागमन के बीच ही 'ग' को माल के अधिकार सम्बन्धी विपत्रो का हस्तातरण करके बेच देता है। तो यहा 'ग' को की गयी बिक्री पर जो कर लगेगा वह पश्चिम बगाल राज्य मे ही लगेगा तथा वही वसूल किया जायेगा।

अब प्रश्न उत्तरवर्ती बिक्री के विषय मे आता है कि उत्तरवर्ती बिक्री पर कर किस राज्य मे लगेगा अथवा वसूल किया जायेगा।

हम देख चुके है कि धारा ६ (२) के अनुसार उत्तरवर्ती बिक्री पर कोई कर नही लगता यदि उस धारा की शर्तें पूरी होती हो। धारा ६ (२) उसी माल की उत्तरवर्ती बिक्री को कर-मुक्त करती है जो कि धारा ८ (३) मे वर्णित है। यदि कोई उत्तरवर्त्ती बिक्री ऐसे माल की की जाती है जो धारा ८ (३) मे वर्णित माल से सम्बन्धित नही है अथवा वह बिक्री धारा ६ (२) की अन्य शर्तों को जो कि पिछले अध्याय मे पढ चुके है, पूरी नही करती है, तो वह कर मुक्त नही होगी। इस दशा मे ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री पर कर उस राज्य मे लगेगा अथवा वसूल किया जायेगा जिस राज्य से उत्तरवर्ती बिक्री करने वाले व्यापारी ने उस माल को क्रय करने के लिये 'सी' फार्म प्राप्त किया था।

उदाहरण ३—यदि कलकत्ते का 'क' व्यापारी देहली के 'द' व्यापारी को कुछ माल बिक्री के अनुबन्ध के अन्तर्गत भेजता है। यह माल ऐसा है जिसकी उत्तरवर्ती बिक्री धारा ६ (२) के अन्तर्गत कर मुक्त नही है। 'द' व्यापारी इस माल को उत्तर-प्रदेश के व्यापारी 'उ' को माल के सम्बन्धी अधिकार विपत्रो का हस्तातरण करके उस समय बेच देता है जबकि माल मार्ग ही म है और वह देहली नही पहुँचा है। यहाँ 'उ' को की गयी बिक्री पर देहली राज्य मे कर [illegible] जायेगा क्योकि 'द' ने 'सी' फार्म देहली से प्राप्त किया था और उसे प्राप्त करने के पश्चात् 'क' को भेजा था। यहाँ यह माना जायगा कि 'उ' [illegible] बिक्रीकर के आधीन पजीयत व्यापारी नही है। यदि वह पजीयत [illegible] होता और उसके द्वारा खरीदा गया माल उसके पजीयन सार्टीफिकेट मे लिखा हुआ होता तो 'द' द्वारा जो बिक्री की गयी है वह उसके लिए धारा ६ (२) के अन्तर्गत कर मुक्त होती।

उपरोक्त उदाहरण म दो प्रकार की बिक्रिया हैं —

(अ) प्रथम बिक्री—जो कि 'क' ने 'द' को की है। यहाँ 'क' 2% बिक्री-कर देने के लिये दायी है और वह इसे 'द' से प्राप्त कर लेगा यदि (१) 'द' एक पजीयत व्यापारी है, तथा (२) वह माल धारा ८ (३) के अन्तर्गत है।

(ब) उत्तरवर्ती बिक्री—जो कि 'द' ने 'उ' को की है। यहाँ 'द' धारा ८ (२) के अनुसार बिक्री कर देने के लिये दायी होगा और वह उसे 'उ' से प्राप्त कर लेगा क्योकि 'उ' पजीयत व्यापारी नही है।

(ii) कौन सी सरकार द्वारा यह कर लगाया व वसूल किया जावेगा ?—इस कर को लगाने व वसूल करने का अधिकार भारत सरकार को ही है परन्तु भारत सरकार ने उपधारा ३ के अन्तर्गत ये अधिकार राज्य सरकारो को सौंप दिये हैं। अत राज्य सरकारें इस कर को भारत सरकार की ओर से व्यापारी पर लगाती हैं तथा उनसे वसूल करती हैं। उपधारा ३ का अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि भारत सरकार ने राज्य सरकारो को इस कर के निर्धारण करने की कार्य प्रणाली नियत करने का भी अधिकार दिया है।

धारा ९ (२) के अनुसार धारा १० ए के अन्तर्गत लगाया गया अर्थ-दड, उपधारा ३ के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्य मे वसूल किया जायेगा .—

(अ) धारा १० के (ब) अथवा (द) वाक्य मे लिखे हुए अपराध के सम्बन्ध मे वह राज्य जिसने कि माल क्रय करने वाले व्यक्ति ने ऐसे माल के क्रय करने के सम्बन्ध म धारा ८ (४) के (अ) वाक्य के प्रयोजनार्थ फार्म प्राप्त किया था,

(ब) धारा १० के (स) वाक्य मे लिखे हुए अपराध के सम्बन्ध मे वह राज्य जिसने माल क्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना पजीयन करा लेना चाहिये था यदि वह अपराध नही किया गया होता।"

यह उपधारा अर्थ दड से सम्बन्धित है जिसका अध्ययन हम आगे धारा १० तथा १० ए के अन्तर्गत करेंगे। यहाँ इस उपधारा का उद्देश्य यह ज्ञात कराना है कि यह अर्थ-दड भारत सरकार द्वारा धारा ९ की उपधारा ३ के प्रावधानो के अनुसार किस राज्य मे वसूल किया जायगा।

धारा ९ (३) के अनुसार "उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत जो प्राधिकारी उपस्थित समय म कर के निर्धारण, कर की वसूली तथा कर की अदायगी का निष्पादन करने के लिय अधिकृत किये गये हैं, वे भारत सरकार की ओर से तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये नियमो के आधीन उसी प्रकार से उस ऐसे कर का निर्धारण, कर की वसूली तथा कर की अदायगी का निष्पादन करेंगे, जिस कर मे अर्थ-दड भी सम्मिलित है तथा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय है, जिस प्रकार की राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत माल की बिक्री या खरीद पर कर का निर्धारण किया जाता है तथा कर की वसूली व अदायगी की जाती है, तथा इसके प्रयोजनार्थ वे सभी तथा किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो कि उनको राज्य क सामान्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत प्राप्त हैं, तथा ऐसे कानून के प्रावधान जिनमे विवरण-पत्र, पुनरावेदन, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण, सदर्भ अर्थ-दड एव राजीनामे वाले अपराध सम्बन्धी प्राविधान सम्मिलित हैं, तदानुसार लागू होंगे।

परन्तु यदि किसी राज्य मे अथवा राज्य के किसी भाग मे सामान्य बिक्री-कर कानून लागू नहीं है तो केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध मे नियम बनाकर इस उपधारा मे वर्णित सभी अथवा कुछ मामलों के लिय आवश्यक प्रावधान बना सकती है, तथा ऐसे नियमो म यह प्रावधान कर सकती है कि किसी भी नियम का भग करना ऐसा अर्थ-दड से दडनीय होगा जो कि ५००) रु० तक हो सकता है, और जहाँ अपराध लगातार चलता रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये ५०) रु० तक अर्थ-दड लग सकता है। जितने दिनो तक वह अपराध चलता रहे।"

धारा ९ (३) की प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं .—

(१) जो प्राधिकारी उपयुक्त राज्य म राज्य की बिक्री-कर का निर्धारण (assessment), बिक्री-कर की वसूली (collection) तथा अदायगी का निष्पादन (enforcement of payment) करते हैं, वे प्राधिकारी ही केन्द्रीय बिक्री-कर के सम्बन्ध म इन कार्यों को करेंगे।

(ii) उक्त प्राधिकारी इन कार्यों को भारत सरकार की ओर से तथा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमो के अधीन करेंगे ।

(iii) अर्थ-दण्ड (penalty) के निर्धारण, उसकी वसूली तथा अदायगी के निष्पादन के सम्बन्ध मे भी इन प्राधिकारियो को वे सभी अधिकार प्राप्त है जोकि उनको कर (tax) के सम्बन्ध मे प्राप्त हैं ।

(iv) प्राधिकारियो को जो अधिकार व शक्तियाँ राज्य के सामान्य बिक्री कर कानून के अन्तर्गत प्राप्त हैं, उन अधिकार व शक्तियो को केन्द्रीय बिक्री-कर के सम्बन्ध मे भी उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ।

(v) राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के प्रावधान केन्द्रीय बिक्री-कर के निम्नलिखित मामलो के सम्बन्ध मे भी लागू होंगे —

विवरण पत्र (Returns), पुनरावेदन (appeal), पर्यवेक्षण (reviews), पुनरीक्षण (revisions), सदर्भ (references) अर्थ-दड (penalties) तथा राजीनामे वाले अपराध (compounding offences)।

(vi) जहाँ किसी राज्य मे अथवा राज्य के किसी भाग मे सामान्य बिक्री-कर कानून लागू नही है, वहा केन्द्रीय सरकार इस उपधारा मे वर्णित मामलो के लिये आवश्यक प्रावधान बना सकती है तथा नियम भग करने के लिये दड घोषित कर सकती है जो कि अधिक से अधिक ५००) रु० तक हो सकता है तथा लगातार चलने वाले अपराधो के सम्बन्ध मे प्रति अपराध के दिवस के लिये ५०) प्रति दिन तक हो सकता है ।

इस उपधारा मे कहा गया है कि राज्य के प्राधिकारी केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमो के अधीन कार्य करेंगे । ऐसे नियम दो है —

(१) केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एव विक्रय राशि) नियम १९५७, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा १३ (१) के अन्तर्गत बनाये गये हैं तथा जो पजीयन व विक्रय राशि से ही प्रमुखत सम्बन्धित है, तथा

(२) केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७, जो कि राजस्थान राज्य ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा १३ (३) व (४) के अन्तर्गत बनाये हैं ।

ये दोनो प्रकार के नियम अध्याय ७ मे दिये गये है तथा महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय बिक्री कर (राजस्थान) १९५७ की नियम सख्या २१, २२ तथा २३ मे कहा गया है कि निम्नलिखित मामलो मे केन्द्रीय कर के लिये वे प्रावधान ही लागू होंगे जोकि राज्य बिक्री कर पर लाग होते है ।

केवल पजीयत व्यापारियो द्वारा कर की वसूली (Collection of Tax to be only by Registered Dealears)

धारा ९ (अ) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि पंजीयन व्यापारी नही है, अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत, माल की बिक्री के सम्बन्ध मे इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के रूप म कोई धन राशि वसूल नही करेगा, तथा जो वसूली पजीयत व्यापारियो द्वारा की जायेगी, वह केवल इस अधिनियम तथा अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमो के अनुसार ही की जायेगी ।"

यहाँ पजीयत व्यापारियो द्वारा कर वसूल करने का अर्थ उस कर से है जिसके देने के लिये पजीयत व्यापारी, विक्रेता होने के नाते दायी होते है, परन्तु वे उस कर को क्रेता से वसूल कर लेते हैं । इस धारा मे यह स्पष्ट किया गया है कि वे केवल पजीयत व्यापारी ही क्रेताओ से कर की वसूली कर सकते है, अपजीयत व्यापारी नही ।

क्रेताओ से कर वसूल करने के सम्बन्ध मे केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ की नियम सख्या ६ 'क्रेताओ से कर वसूल करना' प्रमुख है। इस नियम मे कहा गया है कि व्यापारी द्वारा माल की बिक्री के लिये कैशमीमो या क्रेडिट मीमो जारी करना चाहिये जिसमे बिक्री-मूल्य तथा बिक्री-कर अलग-अलग दिखाने चाहिये। उसे इन मीमो की नकल भी अपने पास रखनी चाहिये। ऐसे व्यापारी द्वारा एक अलग हिसाब भी रखा जाना चाहिये जिसमे वह दिन प्रतिदिन की कर-वसूली दिखलाये तथा साथ मे कैश-मीमो व क्रेडिट मीमो का नम्बर व तिथि भी लिखे। जो कैश मीमो या क्रेडिट मीमो जारी किया जाय, वह एक जिल्द बंधी पुस्तक से होना चाहिये जिसमे उसकी नकल व मूल प्रति के पृष्ठो पर क्रम से सख्या पडी हो।

अर्थ-दण्ड (Penalities)

धारा १० के अनुसार यदि कोई व्यक्ति—

(अ) धारा ७ की आवश्यकतानुसार अपना पजीयन नही कराता है, या

(ब) पंजीयत व्यापारी होने पर किसी श्रेणी का माल क्रय करने मे झूठा प्रदर्शन करता है कि उस श्रेणी का माल उसके पजीयन सर्टीफिकेट मे लिखा हुआ है, या

(स) पजीयत व्यापारी न होने पर, अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत माल का क्रय करते समय झूठा प्रदर्शन करता है कि वह पजीयत व्यापारी है; या

(द) धारा ८ (३) के (ब) वाक्य मे लिखित प्रयोजन के लिये माल का क्रय करने के पश्चात्, बिना किसी उचित कारण के, माल का उस प्रयोजन के हेतु उपयोग नहीं करता है,

(य) धारा ८ की उपधारा ४ के प्रयोजनार्थ नियत किसी ऐसे फार्म को अपने अधिकार मे रखता है जो कि उसने अथवा उसके नियोक्ता (Principal) अथवा उसके अभिकर्ता (Agent) ने इस अधिनियम के अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमो के पावधानो के अनुसार प्राप्त नहीं किया है,

(र) धारा ९ अ मे दिये गये प्रावधानो को भग करते हुए कर के रूप मे कोई धन राशि वसूल करता है, तो उसको ६ महीने तक की साधारण कैद हो सकती है, अथवा उस पर अर्थ-दण्ड लग सकता है अथवा दोनो ही दण्ड मिल सकते है, तथा जब वह अपराध एक लगातार चलने वाला अपराध है तो उस पर दैनिक अर्थ-दण्ड लग सकता है जो कि अपराध के दिनो के लिए ५०) रु० प्रतिदिन तक हो सकता है।

अभियोग चलाने के स्थान पर अर्थ-दंड लगाना (Imposition of Penalty in lieu of Prosecution)

धारा १० (अ) के अनुसार—"यदि कोई व्यक्ति धारा १० के (ब), (स) तथा (द) वाक्य के अन्तर्गत अपराध का दोषी है तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत उसको पजीयन सर्टीफिकेट प्रदान किया है अथवा जो ऐसा सर्टीफिकेट प्रदान करने के योग्य है, उस (व्यक्ति) को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर तथा लिखित आदेश देकर उस पर अर्थ-दड लगा सकता है जो कि उस कर की ड्योढी धनराशि से अधिक नही होगा जो कर माल की बिक्री के सम्बन्ध मे इस अधिनियम के अन्तर्गत लगता यदि उसने कोई अपराध नही किया होता।"

हस्तक्षेप्य अपराध (Cognizance of Offences)

धारा ११ के अनुसार—(अ) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे अपराध के विषय मे हस्तक्षेप नही करेगा जो कि इस अधिनियम अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमो के अनुसार दंडनीय हो

जब तक कि उस न्यायालय ने उस सरकार से पूर्व आज्ञा प्राप्त न करली हो जिसके क्षेत्र मे यह अपराध *किया गया है*, अथवा *जब तक उस न्यायालय ने उस सरकार के ऐसे अधिकारी से पूर्व आज्ञा प्राप्त न* करली हो जो कि सरकार ने इस सम्बन्ध मे सामान्य व विशिष्ट आदेश द्वारा नियत किया हो, तथा एक प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट व एक प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय इन अपराधो पर कार्यवाही नही करेगा।

(ब) इस अधिनियम के अन्तर्गत दडनीय सभी अपराध हस्तक्षेप्य (cognizable) तथा प्रतिभूति योग्य (bailable) होगे।

इस धारा की प्रमुख बाते निम्नलिखित है —

(i) एक न्यायालय उन अपराधो के सम्बन्ध मे जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके नियमो के अन्तर्गत दडनीय है, उस दशा मे ध्यान दे सकता है जबकि न्यायालय ने सरकार से ऐसा करने *की पूर्व अनुमति ले ली हो। अनुमति प्रदान करने वाली वही सरकार होती है जिसके क्षेत्र के अन्दर वह अपराध किया गया हो। अनुमति* प्रदान करने का कार्य एक सरकार द्वारा किसी प्राधिकारी को सौपा जा सकता है।

(ii) यदि न्यायालय को उस मामले मे हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल जाती है तो केवल वही न्यायालय इस सम्बन्ध मे हस्तक्षेप कर सकता है अथवा कार्यवाही कर सकता है जोकि प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट व प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे का न हो।

(iii) जो अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत दडनीय है, वे सभी हस्तक्षेप्य तथा प्रतिभूति योग्य है। हस्तक्षेप्य अपराध वह होता है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर अपराध का सदेह होने पर *बिना किसी वारट के उसको गिरफ्तारी की जा सके।* ऐसे अपराधो की जाँच-पडताल करने का अधिकार सामान्यतया अधिकृत प्राधिकारी को होता है जो कि मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना ही उन अपराधो मे जाच पडताल कर सकता है।

हस्तक्षेप्य अपराध के सम्बन्ध मे जैसे ही किसी अधिकृत प्राधिकारी को कोई सूचना मिलती है अथवा वह स्वय किसी ऐसे अपराध के किये जाने का सदेह करता है तो वह उस अपराध के सम्बन्ध मे एक रिपोर्ट उच्च प्राधिकारियों को भेज देता है तथा वह स्वयम् उस मामले मे वही छानबीन करना आरम्भ कर देता है। ऐसे अपराध की छान-बीन करने के लिये उस अधिकारी को भवन मे प्रवेश करने की तथा किसी सामान को अपने अधिकार म लेने की अनुमति रहती है।

केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ को नियम सख्या ११ कर-निर्धारक-प्राधिकारियो को अधिकार देती है, जिसके अनुसार वे भवन म प्रवेश कर सकते है, व हिसाब-किताब की बहियो का निरीक्षण कर सकते है तथा उनको अपने अधिकार मे ले सकते है। नियम सख्या १२ के अनुसार उनको पजीयन सर्टीफिकेट का निरीक्षण करने के लिये भवन म प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रतिभूति योग्य अपराध वे होते है जहाँ दोषी व्यक्ति को व्यक्तिगत अथवा रुपयो की प्रतिभूति देने पर छोडा जा सकता है। अत इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषी कर दाताओ व व्यापारियो को प्रतिभूति प्रदान करने पर छोडा जा सकता है।

हानि-रक्षा (Indemnity)

नियम १२ के अनुसार—"सरकार के किसी भी ऐसे अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई अभियोग ही चलाया जा सकता है और न कोई अन्य कानूनी कार्यवाही ही की जा सकती है जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा उसके नियमो के अन्तर्गत सद्विश्वास के साथ कोई कार्य किया हो अथवा वह करना चाहता हो।"

अध्याय ७

नियम
(Rules)

धारा १३ (१) के अनुसार—केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति करके, निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित नियम बना सकती है —

(a) पंजीयन (Registration) से सम्बन्धित नियम—प्रार्थना-पत्र देने की विधि, प्रार्थना-पत्र में दिए जाने वाला विवरण, पंजीयन को स्वीकार करने की विधि, अवस्थाएं जिनमें पंजीयन अस्वीकृत किया जा सकता है, तथा फार्म जिसमें सार्टीफिकेट प्रदान किया जायगा।

(b) विक्रय राशि (Turnover) से सम्बन्धित नियम—विक्रय राशि की अवधि, अधिनियम के अन्तर्गत किसी माल की बिक्री के सम्बन्ध में विक्रय राशि निर्णय करने का ढंग, तथा कटौतियाँ जो कि विक्रय राशि के निर्णय करने में की जा सकती हैं।

(c) पंजीयन को निरस्त करने (cancellation) से सम्बन्धित अवस्थायें व शर्तें जिनके अन्तर्गत पंजीयन निरस्त किया जा सकेगा।

(d) माल का क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा घोषणा-पत्र में दिया गया विवरण तथा उस घोषणा-पत्र का फार्म।

(dd) इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले सार्टीफिकेट व घोषणा-पत्रों के विवरण तथा उनके फार्म।

(e) निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग होने वाले माल अथवा माल की श्रेणी के सूचियन सम्बन्धी नियम —

विक्रय के हेतु माल का निर्माण व विधिवत् करना, खान खोदने का कार्य, तथा विद्युत या किसी अन्य शक्ति का उत्पन्न करना व वितरण करना।

(f) धारा ६ की उपधारा २ के परन्तुक (Proviso) से सम्बन्धित बातें जिनके लिए प्रावधान किया जाय।

(g) इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क।

धारा १३ (२) के अनुसार—उपधारा (१) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार जो नियम बनायेगी, वे नियम शीघ्र संसद की दोनों सभाओं के सामने रखे जायेंगे तथा वे नियम ऐसे परिवर्तन के अधीन होंगे जो कि संसद उसी अधिवेशन में अथवा तत्कालीन बाद के अधिवेशन में करे।

धारा १३ (३) के अनुसार—राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिये नियम बना सकती हैं परन्तु वे नियम ऐसे होने चाहिये जो कि उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के, तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न पड़ते हों।

धारा १३ (४) के अनुसार—उपधारा (३) मे दिये गय अधिकारो के अनुसार राज्य सरकारे निम्नलिखित सभी अथवा कुछ बातो के सम्बन्ध मे नियम बना सकती है —

(a) पजीयत व्यापारियो की सूची का प्रकाशन, इन सूचियो म समय-समय पर हुए सशोधन, तथा ऐसी सूचियो म दिय जाने वाला विवरण।

(b) अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत होने वाली बिक्री से सम्बन्धित खातो (Accounts) के रखने क तरीके व फार्म।

(c) व्यापारी द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध म सूचनाएं प्रदान करना—माल का स्टाक, माल का खरीद, बिक्री तथा सुपुर्दगी, तथा उसक व्यवसाय से सम्बन्धित कोई अन्य बात जिसकी सूचना देना इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

(d) इस अधिनियम के अन्तर्गत रखे जाने वाला हिसाब की पुस्तके, खाते तथा विपत्रा का निरीक्षण, ऐसी हिसाब की पुस्तको, खातो तथा विपत्रो का तलाश करने के लिये सभी उचित समय मे उस भवन मे प्रवेश करना जहाँ कि वे रखे हुए ह अथवा जहा कि उनके रखे जाने का सदेह है, तथा ऐसी पुस्तको, खातो तथा विपत्रो को अपने अधिकार मे ले लेना।

(e) प्राधिकारी जिनसे धारा ८ (४) के अन्तर्गत लिखे गये फार्म प्राप्त किये जा सकते ह उन फार्मो के प्राप्त करने की शर्तें तथा उनकी फीस, उन फार्मो का लेखा रखने तथा उनको सरक्षण मे रखने का तरीका, तथा ऐसे फार्मो को प्रयोग करने व घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के तरीके।

(f) एक अविभाजित हिन्दू परिवार, सस्था, क्लब, सोसायटी, फर्म या कम्पनी के मामले मे अथवा ऐसे व्यक्ति के मामले म जो कि किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक प्रन्यासी आदि की तरह व्यवसाय चलाता हो, एक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना जिसम उस व्यक्ति का नाम लिखा जाय जो कि राज्य मे उस व्यापारी के व्यवसाय का प्रबन्धक समझा जायेगा, तथा ऐसा फार्म निर्धारित करना जिसमे ऐसी घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिये।

(g) एक व्यापारी के द्वारा चलाये गये व्यवसाय के स्वामित्व मे अथवा उसके व्यवसाय के नाम, स्थान व स्वभाव म परिवर्तन की सूचना देने से सम्बन्धित समय व ढग जिसमे यह सूचना दी जाय तथा वे प्राधिकारी जिनको यह सूचना दी जाय।

धारा १३ (५) के अनुसार—धारा १३ के अन्तर्गत कोई नियम बनाने मे राज्य सरकार यह निर्देश कर सकती है कि किसी नियम को भग करने से व्यापारी अर्थ दड का भागी होगा जो कि ५००) तक हो सकता है और यदि वह अपराध लगातार चलता रहे, तो ५०) तक प्रतिदिन के लिय जब तक कि वह अपराध चलता रहे, अर्थ-दड का भागी हो सकता है।

केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एव विक्रय राशि) नियम १९५७ [Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules 1957]

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६, की धारा १३ (१) मे प्रदत्त शक्तियो के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये है —

१ ये नियम केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एव विक्रय राशि) नियम १९५७ कहलायेंगे।

२. इन नियमो मे —(ए) 'अधिनियम' (Act) का अर्थ केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ से है,

(एए) 'प्राधिकृत अधिकारी' (Authorised officer) का अर्थ उस अधिकारी से है जो कि धारा ८ (४) के 'बी' वाक्य के अन्तर्गत प्राधिकृत किया गया है,

(बी) 'विपत्र' (form) का अर्थ उस विपत्र से है जो कि इन नियमो से साथ लगे हुए है,

(सी) 'विज्ञप्त प्राधिकारी (Notified authority) का अर्थ उस प्राधिकारी से है जोकि धारा ७ (१) म वर्णित है ।

(सीसी) 'नियत प्राधिकारी' (Prescribed Authority) का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो कि धारा ६ (३) के अन्तर्गत प्राधिकृत किया हुआ है अथवा धारा १३ (४) के (ई) वाक्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत किया गया है ।

(डी) 'धारा' (Section) का अर्थ अधिनियम की धारा से है ।

(डी डी) 'हस्तांतरणकर्त्ता' (Transferor) का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो कि धारा ३ के (बी) वाक्य के अनुसार बिक्री करता हो ।

(ई) 'सग्रहागार' (Warehouse) का अर्थ ऐसे अहाते, भवन व जहाज से है जिसम व्यापारी बिक्री के हेतु माल का स्टाक रखता हो ।

पजीयन का प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration)

३ (१) धारा ७ के अनुसार पजीयन का प्रार्थना पत्र व्यापारी के द्वारा 'ए' फार्म (A form) मे, भरकर विज्ञप्त अधिकारी को दिया जायेगा, तथा

(ए) निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा, हस्ताक्षरित होगा —

व्यवसायी क स्वामी के द्वारा, फर्म के मामले मे—किसी एक साझेदार द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले म—परिवार के प्रबन्धक व कर्त्ता द्वारा, एक कम्पनी के मामले मे जो कि कम्पनी अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत समामेलित है—एक सचालक, प्रबन्ध अभिकर्त्ता या उसका कोई प्रधान अधिकारी, सरकार के मामले मे—सरकार द्वारा प्राधिकृत एक पदाधिकारी, सस्था के मामले मे—व्यवसाय का प्रबन्ध करने वाला एक प्रधान अधिकारी, तथा

(बी) वह प्रार्थना पत्र उक्त 'ए' फार्म मे लिखे हुए ढग से सत्यापित (Verified) किया जायेगा ।

(२) यदि एक व्यापारी एक राज्य मे व्यवसाय के एक से अधिक स्थान रखता है तो वह सब स्थानो के सम्बन्ध मे एक ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमे इन नियमो के प्रयोजनार्थ वह व्यवसाय का प्रमुख स्थान भी लिखेगा तथा व्यापारी यह प्रार्थना पत्र अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान से सम्बन्धित विज्ञप्त प्राधिकारी को ही प्रस्तुत करेगा।

यहा व्यवसाय का प्रमुख स्थान वही होगा जो कि उसने राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत घोषित किया है।

४. (१) धारा ७ (१) के अन्तर्गत पजीयन के हेतु प्रार्थना-पत्र उस तिथि से ३० दिन के अन्दर ही प्रस्तुत किया जायेगा जिस तिथि को वह व्यापारी अधिनियम के अन्तर्गत कर देने के लिये दायी हुआ था ।

(२) धारा ७ (२) के अन्तर्गत पंजीयन के हेतु प्रार्थना पत्र अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय दिया जा सकता है ।

(३) उपनियम (१) तथा (२) के अन्तर्गत पजीयन कराने के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर ५) रु० फीस लगेगी । ऐसी फीस कोर्ट फीस की स्टाम्प के रूप मे प्रार्थना पत्र पर लगायी जायेगी ।

५. (१) आवश्यक जाँच करने के पश्चात् जब विज्ञप्त प्राधिकारी सतुष्ट हो जाता है ; प्रार्थना-पत्र मे दिया हुआ विवरण सही व पूरा है तथा नियम ४ (३) मे लिखी गयी चुका दी गयी है तो वह उस प्रार्थी व्यापारी का पजीयन कर लेगा तथा उसे बी (B form) मे एक सर्टीफिकेट जारी कर देगा। वह प्राधिकारी व्यवसाय के प्रमुख के अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रत्येक व्यवसाय-स्थान के लिये भी ऐसे सर्टीफिकेट की प्रति देगा।

(२) यदि विज्ञप्त अधिकारी प्रार्थना-पत्र के विवरग की सत्यता व पूर्णता के बारे सतुष्ट नही है अथवा नियम ४ (३) मे वर्णित फीस नही चुकाई गयी है तो वह लि कारण देकर प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर देगा परन्तु इससे पूर्व कि प्रार्थना-पत्र अस्वी कर दिया जाता है प्रार्थी को इस मामले मे सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया ज और उसे इस बात का भी अवसर दिया जायेगा कि वह उक्त विवरणो को ठीक व कर सके तथा नियम ४ (३) की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

६ पजीयन का सार्टीफिकेट जो कि नियम ५ (१) के अन्तर्गत प्रदान किया गया है, के उस प्रमुख स्थान पर रखा जायेगा जो कि सार्टीफिकेट मे लिखा हुआ है तथा सार्टीफिकेट की एक प्रति राज्य के अन्दर प्रत्येक अन्य व्यवसाय स्थान पर भी रखी जायेगी।

७. (१) यदि एक व्यापारी यह चाहता है कि उसको प्रदान किये गये सर्टीफिकेट मे कुछ सशोधन कर दिये जाँय तो वह इस उद्देश्य के लिये विज्ञप्त प्राधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देगा जिसमे वह इच्छित सशोधन लिखेगा तथा ऐसा सशोधन कराने के कारण लिखेगा। वह इस प्रार्थना-पत्र के साथ अपना सर्टीफिकेट तथा उसकी प्रतिया जो कि उसको प्रदान की गयी थी, नत्थी करेगा। यह अधिकारी, कारणो से सतुष्ट होने सर्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियो मे ऐसे सशोधन कर देगा जो कि वह आवश्यक समझे।

(२) नियम ६ के प्रावधान इस सशोधित सर्टीफिकेट व प्रतियो को उसी प्रकार ल होगे जैसे कि वे मूल सर्टीफिकेट व मूल प्रतियो को लागू होते थे।

८. (१) यदि पजीयन सर्टीफिकेट जो कि व्यापारी को प्रदान किया गया था, खो जाता है नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है अथवा उसके अक्षर मिट जाते है, तो वह व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर तथा २) रु० की फीस देकर ऐसे सार्टीफिकेट का 'अनुलिपि' (Duplicate) प्राप्त कर सकता है।

(२) उपनियम (१) म जो फीस दी जायगी वह कोर्ट फीस स्टाम्प के रूप मे होगी।

पंजीयन का निरसन (Cancellation of Registration)

९ (१) धारा ७ (४) के अन्तर्गत एक व्यापारी के पजीयन सर्टीफिकेट को निरस्त करने व सशोधित करने से पूर्व विज्ञप्त-प्राधिकारी व्यापारी को सुनवाई का एक प्रदान करेगा।

(२) यदि पजीयन सर्टीफिकेट मे कुछ सशोधन किया जाना है तो व्यापारी वि प्राधिकारी को सर्टीफिकेट तथा उसकी प्रतियाँ जो कि उसको प्रदान की गयी थी सशोधन के लिये प्रस्तुत करेगा।

(३) यदि पंजीयन निरस्त कर दिया जाता है तो व्यापारी विज्ञप्त प्राधिकारी को पजीयन सर्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ, यदि उसको प्रदान की गयी हो, समर्पित कर देगा ।

१० यदि कोई व्यापारी धारा ७ (५) के अन्तर्गत अपने पंजीयन को निरस्त कराना चाहता है तो वह उस धारा मे दिये गये नियत समय के अन्दर विज्ञप्त प्राधिकारी को इस कार्य क लिये एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा । प्रार्थना-पत्र के साथ सर्टीफिकेट व उसकी प्रतियाँ यदि कोई प्रदान की गयी हो, प्रस्तुत की जायेगी तथा ऐसे प्रार्थना-पत्र पर उस धारा के प्रावधानो के अनुसार विचार किया जायेगा ।

विक्रय राशि का निर्णय (Determination of Turnover)

११. (१) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर देने वाले व्यापारी के सम्बन्ध मे विक्रय राशि की अवधि वही होगी जिसक लिये उपयुक्त राज्य के सामान्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत वह विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये दायी है ।

परन्तु एक ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध मे जो कि उपयुक्त राज्य के बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत विवरण-पत्र प्रस्तुत करने का दायी नही है, विक्रय राशि की अवधि तिमाही होगी जो कि वित्तीय वर्ष मे ३० जून, ३० सितम्बर, ३१ दिसम्बर तथा ३१ मार्च को समाप्त होगी ।

(२) धारा ८ के प्रयोजनार्थ एक व्यापारी की विक्रय राशि निर्णय करने मे बिक्री-मूल्यो के योग (*Aggregate of sale-prices*) मे मे निम्नलिखित धन राशि घटायी जायेगी :—

(अ) निम्नलिखित सूत्र के हिसाब से जो धन राशि निकलती हो

$$\frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्यो का योग}}{\text{१००} + \text{कर की दर}}$$

$$\frac{\text{Rate of tax} \times \text{Aggregate of sale prices}}{100 + \text{rate of tax}}$$

परन्तु उपरोक्त सूत्र के आधार पर कोई कटौती (Deductions) नही की जायेगी अगर विक्रय मूल्यो के योग म से वह कर राशि घटादी गयी है जो कि पजीयत व्यापारी ने धारा ९ ए के प्रावधानो के अनुसार वसूल की थी ।

स्पष्टीकरण—(अ) जहाँ एक व्यापारी की विक्रय राशि पर विभिन्न दरो से कर लगता है तो यह सूत्र विभिन्न दरो की विभिन्न विक्रय-राशियो के लिये अलग-अलग लागू किया जायेगा ।

(ब) व्यापारी को क्रेताओ द्वारा वापिस किये माल का विक्रय मूल्य यदि वह माल सुपुर्दगी की तिथि से ३ माह के अन्दर ही वापिस किया गया हो ।

बशर्ते माल को वापिस करने का तथा माल की धन राशि को नकद लौटाने अथवा हिसाब मे समायोजन करने का प्रमाण नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया हो ।

उदाहरण १—मान लीजिये एक व्यापारी १०० रु० की वस्तुएं बेचता है और वह २% बिक्री-कर लगाता है । विक्रय राशि का विवरण-पत्र भेजते समय वह विक्रय मूल्य का योग १०२) रु० दिखलाता है, तो यहाँ धारा ८ के लिये विक्रय राशि (Turnover) ज्ञात करनी है :—

$$\text{विक्रय राशि} = \text{विक्रय मूल्य का योग} - \frac{\text{कर की दर} \times \text{विक्रय मूल्य का योग}}{१०० + \text{कर की दर}}$$

$$= १०२ - \frac{२ \times १०२}{१०० + २}$$

$$= १०० \text{ रु०}$$

परन्तु यदि व्यापारी ने विवरण-पत्र मे शुद्ध विक्रय राशि ही लिख दी है अर्थात् बजाय १०२) रु० के १००) रु० ही लिखे हैं तो वहाँ यह सूत्र लागू करने की आवश्यकता नही है।

उदाहरण २—एक व्यापारी के विक्रय मूल्यो की धन राशि ४०८) रु० है जिसमे २% बिक्री कर सम्मिलित है। एक ग्राहक १००) रु० की एक वस्तु को ३ माह के अन्दर वापिस कर देता है तो धारा ८ के लिये विक्रय राशि ज्ञात करनी है :—

विक्रय राशि = विक्रय मूल्य का योग—(सूत्र के हिसाब से ज्ञात धन राशि + वापिस किये गये माल का विक्रय मूल्य)

$$= ४०८ - \left(\frac{२ \times ४०८}{१०० + २} + १०० \text{ रु०} \right)$$

$$= ३०० \text{ रु०}$$

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वापिस किये गये माल के १००) रु० ही घटाये जायेगे न कि १०२) रु० (१०० + २% बिक्री कर)। व्यापारी ने ग्राहक को १०२) रु० ही लौटाये होंगे, इस प्रकार उसके पास ४०८—१०२ = ३०६ रु० ही हैं जिनमे ६) बिक्री-कर है तथा ३००) विक्रय मूल्य। यहाँ कर निर्धारक प्राधिकारी भी धारा ८ के हेतु ३००) रु० पर २% बिक्री कर की ही गणना करेगा।

१२ (१) धारा ८ की उपधारा ४ मे घोषणा-पत्र तथा सार्टीफिकेट कहे गये हैं, वे क्रमश: 'सी' फार्म तथा 'डी' फार्म मे है।

फार्म 'सी' मे दी गई घोषणा जो कि १ अक्टूबर १९५८ के तत्काल पूर्व लागू थी, ३० सितम्बर १९६२ तक आवश्यक सशोधनो के साथ प्रयोग की जा सकती है।

धारा ६ की उपधारा (२) मे जो सार्टीफिकेट कहे गए है, वे अवस्थानुसार ई प्रथम (E I) या ई द्वितीय (E II) फार्म है।

कतिपय प्रयोजनों के हेतु माल का निर्दिष्ट करना (Prescription of Goods for Certain Purposes)

१३. धारा ८ की उपधारा ३ के (ब) वाक्य मे जो माल कहे गए हैं जिनको एक पंजीयत व्यापारी बिक्री हेतु माल का निर्माण व विधिवत् करने मे, खान खोदने मे, तथा विद्युत या अन्य शक्ति के उत्पादन व वितरण करने के कार्यों मे उपयोग कर सकता है, निम्नलिखित प्रकार के होंगे जैसे कि :—

कच्चा माल, मशीनरी, प्लाट, उपस्कार (equipments) औजार, स्टोर्स, मशीन के अतिरिक्त पुर्जे (spare parts), उपसाधन (accessories), ईंधन तथा स्नेहक द्रव्य (lubricants)।

केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७

धारा १३ की उपधारा ३ व ४ के अन्तर्गत राज्य की सरकारो को केन्द्रीय बिक्री-कर से सम्बन्धित नियम बनाने के अधिकार मिले हुए है। इन अधिकारो के फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाये है। उन्हे केन्द्रीय बिक्री-कर (राजस्थान) नियम १९५७ कहते है। ये नियम राजस्थान राजपत्र मे ४ मार्च १९५७ को प्रकाशित हुए तथा इसी तिथि से लागू हुए माने गये।

इन नियमो से सम्बन्धित प्रमुख बाते निम्नलिखित है :—

पजीयन-सर्टीफिकेट (Registration Certificate)

नियम ३—पजीयन सर्टीफिकेट के धारक के लिये यह आवश्यक है कि वह इस सर्टीफिकेट को अपने उस व्यवसाय के भवन मे एक प्रमुख स्थान पर लटका कर रखे जिस व्यवसाय के सम्बन्ध मे वह सर्टीफिकेट उसको निर्गमित किया गया है।

पजीयन की विधि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमो मे दी हुई है।

विक्रय-राशि का विवरण पत्र तथा अन्य विवरण पत्र व लेखे (Return of Turnover and other Returns and Statements)

नियम ४ विक्रय-राशि का विवरण पत्र—प्रत्येक व्यापारी जो केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कर देने का दायी है, सी० एस० टी० १ (C S. T I) फार्म म अपनी विक्रय राशि का विवरण कर-निर्धारक-प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यह विवरण उसके द्वारा अथवा उसके एजन्ट द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित होना चाहिये।

यह विवरण पत्र व्यापारी के द्वारा स्वय प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा डाक द्वारा भेजा जा सकता है।

यह विवरण-पत्र प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के प्रति तिमाही समय के लिये जोकि जून, सितम्बर दि० व मार्च की अन्तिम तिथि को समाप्त होता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ये तिथियाँ उस व्यापारी के लिये है जिसका लेखा वर्ष (Accounting year) ३१ मार्च को समाप्त होता हो, अन्य अवस्थाओ म तिमाही की तिथियाँ उनके लेखा वर्ष के अनुसार होती है। यह विवरण पत्र तिमाही की तिथि समाप्त होने के पश्चात्, आने वाले ३० दिनो के अन्दर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

जहाँ किसी तिमाही काल मे व्यवसाय बन्द व हस्तातरित कर दिया जाता है तो ऐसी बन्द व हस्तातरित होने की तिथि के अगले ३० दिनो के अन्दर ही विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये जो कि इस तिमाही के आरम्भ की तिथि से व्यवसाय के बन्द व हस्तातरित होने की तिथि तक का होना चाहिये।

व्यापारी के लिए यह आवश्यक है कि वह विवरण पत्र के साथ 'कर के जमा करने की रसीद' भी नत्थी करे। जब तक यह रसीद नत्थी नही की जायेगी, यह समझा जायगा कि विवरण-पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया। यदि कर जमा नही किया गया है तो कर अधिकारी व्यापारी को एक सप्ताह के अन्दर कर के जमा कराने का तथा उसको रसीद भेजने का आदेश देगा।

नियम ६—एक व्यापारी को अपने विक्रय राशि के विवरण-पत्र म अपने व्यवसाय की सभी शाखो की विक्रय राशि का विवरण सम्मिलित करना चाहिये। वह अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान का विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसम सभी शाखो की विक्रय राशि दी जायेगी। यह व्यापारी इस बात की सूचना कि सभी शाखो की विक्रय राशि विवरण-पत्र मे सम्मिलित करली गयी है, प्रत्येक ऐसे कर निर्धारक-प्राधिकारी को देगा जिसका सम्बन्ध उसकी शाखो स पडता हो।

नियम ६ ए—यदि व्यापारी प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र मे कोई गलती महसूस करता है तो वह दूसरा पत्र प्रस्तुत कर सकता है परन्तु ऐसा दूसरा विवरण-पत्र, अगली तिमाही के विवरण-पत्र के प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये, बाद मे नही।

नियम ६ बी—केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत जो रुपया सरकारी कोषालयो (Treasuries) मे जमा कराना होगा, वह सी एस. टी. ५ (C. S. T. 5) फार्म के चालान द्वारा ही जमा किया जा सकेगा। यह फार्म सरकारी कोषालय से तथा बिक्री-कर-अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

व्यापारियो द्वारा हिसाब के खातों का रखा जाना (Accounts to be Maintained by Dealers)

नियम ७ : हिसाब कैसे रखा जाय—प्रत्येक कर देने वाला व्यापारी सी. एस. टी. ६ (C.S.T.6) फार्म मे अपने क्रय, विक्रय तथा स्टाक का ठीक हिसाब रखेगा।

प्रत्येक कर दायी निर्माणकर्त्ता (Manufacturer) कच्चे व पक्के माल के सम्बन्ध मे एक स्टाक-बही रखेगा।

नियम ८ : विभिन्न दरो पर कर लगाने वाले माल का अलग-अलग हिसाब—निम्नलिखित माल के सम्बन्ध मे प्रत्येक करदायी व्यापारी अलग-अलग हिसाब रखेगा—

(अ) वह माल जिस पर धारा ८ (१) के अनुसार 2% की दर से कर लगता हो, तथा

(ब) वह माल जिस पर धारा ८ (२) के अनुसार अन्य दरो पर कर लगता हो।

नियम ९ . क्रेताओं से कर वसूल करना—एक कर-देय व्यापारी द्वारा जो कि क्रेताओ से बिक्री मूल्य के अतिरिक्त बिक्री कर वसूल करता हो, कैशमीमो या क्रेडिट मीमो निर्गमित किया जाना चाहिये जिसमे बिक्री-मूल्य तथा बिक्री-कर अलग-अलग दिखाये गये हो। उसे इन मीमो की नकल भी अपने पास अवश्य रखनी चाहिये। ऐसे व्यापारी द्वारा एक अलग हिसाब भी रखा जाना चाहिये जिसमे वह दिन प्रति दिन की कर-वसूली दिखलाये तथा साथ मे कैश मीमो व क्रेडिट मीमो का नम्बर व तिथि भी लिखे। जो कैश मीमो या क्रेडिट मीमो निर्गमित किया जाय, वह एक जिल्द बंधी पुस्तक से होना चाहिये जिसमे उसकी नकल व मूल प्रति के पृष्ठो पर क्रम से सख्या पडी हो।

नियम १० : हिसाब किताब-को सुरक्षित रखना—जिस लेखा वर्ष (Accounting Year) से हिसाब-किताब सम्बन्धित है, उस वर्ष से अगले पाँच वर्षों तक यह हिसाब-किताब करदेय व्यापारी द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिये। हिसाब-किताब मे वे सभी कैश मीमो, क्रेडिट मीमो तथा वाउचर सम्मिलित है जो कि माल के उत्पादन, स्टाक, क्रय, विक्रय तथा सुपुर्दगी से सम्बन्ध रखते है।

अधिकारियो की शक्तियाँ (Powers of Officers)

नियम ११ . हिसाब की बहियों व विपत्रों का निरीक्षण करने, उन पर कब्जा करने तथा भवन में प्रवेश करने की शक्ति—कर-निर्धारक प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत बिक्री कर विभाग का कोई भी निरीक्षक निम्नलिखित का निरीक्षण कर सकता है .—

व्यापारी के व्यवसाय से सम्बन्धित सभी खाते, रजिस्टर तथा अन्य विपत्र, उसके अधिकार मे उपस्थित माल तथा उसका कार्यालय, गोदाम, कारखाना, जहाज व गाडी अथवा कोई भी स्थान जहाँ उसका व्यवसाय चलता हो।

कोई कर निर्धारक अधिकारी अथवा कोई ऐसा निरीक्षक उपरोक्त बातो के लिये किसी ऐसे कारखाने, गोदाम, कार्यालय, दुकान अथवा किसी ऐसे अन्य स्थान मे प्रवेश पाने की शक्ति रखता है जहाँ कि हिसाब की बहियाँ व विपत्र रखे हो। वह हिसाब की बहियों व विपत्रों को अपने अधिकार मे ले सकता है। यदि वह उनको अधिकारो मे लेता है तो वह उन पुस्तको व विपत्रो की सूची बनाकर व्यापारी को देगा जो कि उसने अपने अधिकार मे ली है।

कोई भी अधिकारी किसी व्यापारी की पुस्तकों व उसके विपत्रों को अपने अधिकार मे उस समय तक नही ले सकता जब तक कि उसने बिक्री कर कमिश्नर से अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से ऐसा करने की लिखित आज्ञा न प्राप्त करली हो।

नियम १२ पजीयत सर्टीफिकेट को देखने की शक्ति—यदि कोई भी कर-निर्धारक-अधिकारी अथवा बिक्री-कर विभाग का निरीक्षक सभी उचित समय मे धारक से पजीयन सर्टीफिकेट दिखाने की माँग करता है तो धारक को वह सर्टीफिकेट दिखलाना पड़ेगा और यह सर्टीफिकेट देखने के लिय उस अधिकारी को व्यापारी के कारखाने, गोदाम, कार्यालय, दुकान तथा ऐसे अन्य स्थान मे प्रवेश पाने का अधिकार होगा जहाँ कि यह सर्टीफिकेट सामान्यतया रखा जाता है अथवा रखा जाना चाहिये। निरीक्षक का प्रवेश पाने का अधिकार उसी अवस्था मे होता है जबकि लिखित कारणो पर किसी विशेष मामले मे कर-निर्धारक-अधिकारी ने उसे ऐसा करने का अधिकार दे दिया हो।

व्यवसाय के परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना प्रदान करना (Information to be Furnished regarding Change of Business)

नियम १३ व्यवसाय के परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना प्रदान करना—यदि कोई कर देय व्यापारी—

(अ) अपने व्यवसाय को अथवा व्यवसाय के किसी भाग को अथवा अपने व्यवसाय के स्थान को बेच देता है या समाप्त कर देता है, अथवा उसे व्यवसाय के स्वामित्व मे परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है, अथवा

(ब) अपने व्यवसाय को बन्द कर देता है या अपने व्यवसाय का स्थान बदल देता है अथवा व्यवसाय का एक नया स्थान खोलता है, अथवा

(स) अपने व्यवसाय का नाम व स्वभाव बदल देता है अथवा जिस प्रकार के माल मे वह व्यापार करता है, उस प्रकार के माल मे परिवर्तन कर देता है, तो

वह ऐसे परिवर्तन के २५ दिनो के अन्दर उस कर-निर्धारक अधिकारी को सूचना देगा जिसके क्षेत्र मे व्यवसाय का वह स्थान स्थित है, और अगर कोई ऐसे व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका वैधानिक प्रतिनिधि उस प्राधिकारी को सूचना देगा।

पजीयत व्यापारियो की सूची का प्रकाशन (Publication of List of Registered Dealers)

नियम १४ पजीयत व्यापारियो की सूची—राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत जो ऐसी सूची रखी जाती है, उस सूची के अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा ७ (१) के अन्तर्गत एक अन्य सूची रखी जायेगी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पजीयन करने वाला अधिकारी रखेगा।

उक्त सूची वर्णमाला क्रम मे रखी जायगी तथा उसमे जो भी सशोधन होंगे, तुरन्त ही लिख दिये जायेंगे।

ऐसी सूची म दिये जाने वाले विवरण वही होंगे जो कि राज्य बिक्री-कर कानून के प्रयोजनार्थ सामान्य विषय-तालिका रजिस्टर (General Index Register) मे दिये गये होते हैं।

नियम १५ : सूची का प्रकाशन—पजीयन करने वाला अधिकारी, प्रति ६ माह के पश्चात्, अपने क्षेत्र के पजीयत व्यापारियो की सूची राजस्थान गजट म प्रकाशित करेगा तथा जहाँ ऐसा प्रकाशन व्यवहार्य नही है वहाँ वह सूची किसी ऐसे अन्य ढग से प्रकाशित की जायेगी जैसा कि बिक्री-कर-कमिश्नर, राजस्थान निर्देश दे।

धारा ८ (४) के अन्तर्गत घोषणा-पत्र की प्रति भेजना [Sending Copy of Declaration *under Section 8 (4)*]

नियम १६ : धारा ८ (४) के अन्तर्गत घोषणा-पत्र की प्रति भेजना—अधिनियम की धारा ८ (४) के अन्तर्गत जिस घोषणा-पत्र के बारे मे कहा गया है, वह 'सी' फार्म से सम्बन्धित है। इस नियम के अनुसार पजीयत व्यापारी द्वारा अपनी विक्रय राशि का विवरण-पत्र भेजने के साथ-साथ क्रेताओ से प्राप्त 'सी' फार्म भी कर-निर्धारक-प्राधिकारी को भेजना चाहिये जो कि उसी अवधि से सम्बन्धित हो जिस अवधि का विवरण-पत्र भेजा गया है।

नियम १७ : घोषणा-पत्र से सम्बन्धित नियम—(१) जब एक पंजीयत व्यापारी दूसरे पंजीयत व्यापारी से कोई ऐसा माल खरीदना चाहता है जो कि उसके पंजीयन सार्टीफिकेट मे वर्णित है तथा वह कर उस दर से देना चाहता है जो कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे माल से सम्बन्धित है (अर्थात् 2%) तो वह कर-निर्धारक-प्राधिकारी मे खाली घोषणा-पत्र जो कि 'केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एवं विक्रय राशि) नियम १९५७' के नियम १२ मे दिया हुआ है (अर्थात् 'सी' फार्म), एक ऐसा शुल्क देने पर जो कि राज्य सरकार ने नियत किया हो, प्राप्त कर सकता है। पंजीयत विक्रेता को भेजने से पूर्व यह आवश्यक है कि यह फार्म क्रेता-व्यापारी द्वारा अथवा उसके किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा जो कि उत्तरदायी व्यक्ति हो, भरा जाना चाहिये तथा हस्ताक्षरित होना चाहिये। इसके पश्चात् क्रेता व्यापारी फार्म की पर्णिका (Counterfoil) को अपने पास रख लेता है तथा इसके शेष दोनो भागो को जो कि 'मूल-प्रति' (Original) तथा 'अनुलिपि' (Duplicate) कहलाते है, विक्रेता-व्यापारी के पास भेज देता है।

५०००) रु० के मूल तक के कई सौदे एक एक घोषणा-पत्र मे लिखे जाते है। यह धन-राशि राज्य सरकार द्वारा बढाई या घटाई जा सकती है वर्ना सामान्यतया प्रति सौदे के लिये एक अलग पत्र प्रयोग किया जाना चाहिये।

(२) एक पजीयत व्यापारी जो कि दूसरे पजीयत व्यापारी को माल बेचता है, क्रेता से प्राप्त 'सी' फार्म की 'मूल प्रति' को C. S T. I फर्म के साथ नत्थी करके कर-निर्धारक प्राधिकारी के पास भेजता है तथा 'अनुलिपि' को अपने पास रख लेता है। C. S T. I फर्म विक्रय राशि का विवरण-पत्र है। यदि कर-निर्धारक अधिकारी चाहे तो वह 'अनुलिपि' को भी देख सकता है।

(३) एक क्रेता व्यापारी न तो कोई ऐसा घोषणा-पत्र विक्रेता को भेजेगा और न विक्रेता व्यापारी ही ऐसा कोई घोषणा-पत्र स्वीकार ही करेगा जो कि कर-निर्धारण-प्राधिकारी द्वारा व्यर्थ व अवैध घोषित कर दिया गया हो।

(४) प्रत्येक पजीयत व्यापारी ऐसे घोषणा-पत्रो की सुरक्षा के लिये स्वय उत्तरदायी होगा। यदि उन पत्रो के खो जाने से अथवा चोरी हो जाने से सरकार को प्रत्यक्ष रूप से आय की हानि उठानी पडती है तो उस हानि को पूरा करने का दायित्व उसी व्यापारी पर होगा।

(५) इन घोषित पत्रो को रखने वाला प्रत्येक पजीयत व्यापारी C. S. T. 3, फार्म के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा जिसमे कर-निर्धारक-प्राधिकारी से प्राप्त प्रत्येक फार्म का सत्य व पूर्ण हिसाब रखा जायेगा। किसी फार्म के खोजाने व चोरी जाने पर, व्यापारी तुरन्त ही कर-निर्धारक प्राधिकारी को सूचना देगा तथा वह ऐसे कदम उठायेगा जिनका आदेश इस सम्बन्ध मे कर-निर्धारक-प्राधिकारी देगा जैसे कि सार्वजनिक नोटिस देना आदि। फार्म के खो जाने, नष्ट हो जाने व चोरी चले जाने का हवाला उस रजिस्टर के 'टिप्पणी खाने' (Remark column) मे दिया जाना आवश्यक है।

(६) यदि किसी पजीयत व्यापारी का पंजीयन सार्टीफिकेट निरस्त कर दिया गया हो तो वह व्यापारी उन घोषणा-पत्रो को कर-निर्धारक प्राधिकारी को वापिस कर देगा जो कि उसके द्वारा प्रयोग नही किये गये हैं।

(७) एक पंजीयत व्यापारी इन घोषणा-पत्रो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे व्यापारी को हस्तातरित नही करेगा। वह उनको केवल उपनियम १ के अनुसार ही वैधानिक ढंग से विक्रेता व्यापारी को भेज सकता है।

(८) एक घोषणा-पत्र जिसकी उपनियम ५ के अन्तर्गत किसी कर-निर्धारक-प्राधिकारी को रिपोर्ट की गई है उपनियम १ के प्रयोजनार्थ वैध नही समझा जायेगा।

(९) जिन घोषणा पत्रो की रिपोर्ट उपनियम ५ के अन्तर्गत कर-निर्धारक-प्राधिकारियो द्वारा प्राप्त हुई है, उनकी सूची प्राधिकारियो द्वारा सरकारी गजट मे प्रकाशित की जायेगी।

(१०) राज्य सरकार एक विज्ञप्ति द्वारा घोषित कर सकती है कि एक किसी विशेष क्रम, डिजाइन व रग के घोषणा-पत्र एक अमुक तिथि से व्यर्थ व अवैध समझे जांय। इस विज्ञप्ति की प्रतियाँ अन्य राज्यो को भी भेजी जाती हैं ताकि वे राज्य भी अपने सरकारी गजटो मे यह विज्ञप्ति प्रकाशित करदे। इसी प्रकार यदि अन्य राज्यो से ऐसी विज्ञप्ति राजस्थान राज्य को प्राप्त होती है तो वह राजस्थान गजट मे प्रकाशित की जानी चाहिये।

(११) जब उपनियम १० के अनुसार कुछ घोषणा-पत्र व्यर्थ या अवैध घोषित कर दिये जाते है तो घोषणा-पत्रो के व्यर्थ होने की घोषित तिथि से पूर्व सभी पंजीयत व्यापारी उन व्यर्थ व अवैध पत्रो को कर-निर्धारक-प्राधिकारियो को वापिस कर देगे तथा उनके बदले मे नये फार्म प्राप्त कर लेगे।

एक व्यापारी को नये फार्म उस समय तक निर्गमित नही किये जायेंगे जब तक कि वह पुराने का हिसाब-किताब प्रस्तुत न करे तथा शेष फार्मो को न लौटा दे।

नियम १७ ए खोये हुए घोषणा-पत्रों के दुरुपयोग को रोकने की विधि (***Procedure to Guard against Misuse of Declaration Forms Lost***)—घोषणा-पत्रो के खोये जाने व चोरी जाने आदि के सम्बन्ध मे नियम १७ के अन्दर भी कुछ प्रावधान दिये गये है। उन प्रावधानो के अतिरिक्त इस नियम १७ ए के अन्तर्गत ऐसे निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं जो कि ऐसे घोषणा-पत्र के दुरुपयोग को रोक सकते है —

(१) जो व्यापारी किसी रिक्त अथवा भरे हुए फार्म के खोये जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने की रिपोर्ट करता है उसे क्षतिपूरक-बन्ध (Indemnity Bond) के रूप म प्रतिभूति देनी होगी। जहाँ ऐसे फार्म की हानि मार्ग म ही (in transit) हुई हो जबकि क्रेता ने उसे विक्रेता को भेजा हो अथवा विक्रेता ने कर-निर्धारक-प्राधिकारी को भेजा हो तो अवस्था के अनुसार क्रेता अथवा विक्रेता ऐसी प्रतिभूति प्रदान करेगा।

(२) यदि क्रेता द्वारा यह प्रतिभूति दी जाती है तो वह उस अधिकारी को तथा वह धन राशि प्रतिभूति के रूप मे देगा जिसके लिये कर निर्धारक प्राधिकारी आदेश दे। यहाँ वही कर-निर्धारक-प्राधिकारी आदेश देगा जिससे कि फार्म प्राप्त किये गये थे। यह प्राधिकारी आदेश देते समय सभी अवस्थाओ को ध्यान मे रखेगा तथा वह अवधि भी नियुक्त करेगा जिसमे यह प्रतिभूति जमा करनी चाहिये।

(३) यदि विक्रेता द्वारा यह प्रतिभूति दी जाती है तो यहाँ आदेश देने वाला कर-निर्धारक प्राधिकारी वह होगा जिसको कि विक्रेता द्वारा विक्रय राशि के सामयिक विवरण-पत्र प्रस्तुत किये जाते हो। यहाँ पर भी यह प्राधिकारी उस मामले की सभी बातो को ध्यान मे रखकर प्रतिभूति की धनराशि व अवधि तय करेगा तथा उस अधिकारी के बारे मे भी तय करेगा जिसे कि वह प्रतिभूति दी जायगी।

(४) खोये हुए, चोरी गये, अथवा नष्ट हुए प्रत्येक फार्म के लिये अलग-अलग प्रतिभूति दी जायगी।

(५) यदि फार्म की हानि विक्रेता द्वारा होती है जबकि वह फार्म मे अथवा उसकी सुरक्षा मे खोया गया हो, चोरी गया हो तथा नष्ट हुआ हो तो वह उस व्यापारी से इस फार्म की अनुलिपि (Duplicate form) प्राप्त करेगा जिसको कि माल बेचा गया था। यदि वह ऐसी अनुलिपि प्राप्त नही कर पाता है तो वह उस फार्म से सम्बन्धित वह बिक्री धारा ८ (१) से बाहर की गयी समझी जायगी।

(६) एक क्रेता व्यापारी जो कि अनुलिपि फार्म निर्गमित करेगा, उस फार्म के तीनो भागो के पृष्ठो के ऊपर लाल स्याही से निम्नलिखित वाक्य लिखेगा तथा वाक्य के नीचे तिथि डालकर अपने हस्ताक्षर करेगा —

"I hereby declare that this is the duplicate of the declaration form No signed on .. .. . and issued to ....who is registered dealer of .. . (state) and whose registration certificate number is ... ."

"मैं घोषित करता हूँ कि यह घोषणा-पत्र सख्या··· ···की अनुलिपि है जो कि · · ··· ति को हस्ताक्षरित किया गया था तथा ·· ·· ········· को जो कि ······· (राज्य) का पजीयत है और जिसकी पजीयन सार्टीफिकेट सख्या· ······· ··· है निर्गमित किया गया था।"

नियम १७ बी . क्रय करने वाले उन सरकारी विभागो के द्वारा 'डी' फार्म मे निर्गमित करना जो कि व्यापारी की तरह पजीयत नहीं है (Certificate in Form D to Issued by Purchasing Government Departments not Registered as Dealers)

(१) धारा ८ की उपधारा (१) का लाभ उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का विभाग जो कि एक व्यापारी की तरह पजीयत नही है, विक्रेता व्यापारी को 'डी' फार्म मे भेजेगा। यह 'डी' फार्म केन्द्रीय बिक्री-कर (पजीयन एवं विक्रय-राशि) नियम, १९५७ के नियम १२ (१) मे वर्णित किया हुआ है।

एक फार्म एक ही सौदे के लिये प्रयुक्त किया जायगा परन्तु जहाँ विभिन्न सौदे ५००० रु० त की धन राशि के है, वहाँ उन सबके लिये एक ही फार्म प्रयुक्त किया जा सकेगा।

(२) यह सार्टीफिकेट उन अधिकारियो द्वारा निर्गमित किया जायगा जो कि अधिनियम धारा ८ (४) ब मे बतलाये गये है [अर्थात् सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी (Authorised officer)]।

(३) इस सार्टीफिकेट को विक्रेता के पास भेजने से पूर्व अधिकृत अधिकारी फार्म को तथा फार्म मे निश्चित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(४) अधिकृत अधिकारी की ओर से कोई अन्य अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को फार्म हस्ताक्षर करने व इसे निर्गमन करने का अधिकार दे देगा।

(५) इस सार्टीफिकेट को निर्गमन करने वाला अधिकारी इसकी पर्णिका (counterfoil) को पाँच साल तक अथवा किसी अधिक समय तक जो कि बिक्री-कर कमिश्नर ने निर्धारित किया हो, अधिकार मे रखेगा तथा शेष दोनो 'मूल प्रति' तथा 'अनुलिपि' को विक्रेता के पास भेज देगा।

(६) विक्रेता 'मूल प्रति' को कर निर्धारक अधिकारी के पास भेज देगा। इसकी विधि वही है जो कि नियम १७ मे घोषणा-पत्र के सम्बन्ध मे बतलायी गयी है। कर-निर्धारक प्राधिकारी, यदि चाहे, अनुलिपि भी देख सकता है।

(७) यदि कोई सार्टीफिकेट का फार्म खो जाता है, चोरी चला जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो इस सम्बन्ध मे वही कार्यवाही करनी होगी जो कि नियम १७ तथा १७ ए मे घोषणा-पत्रो सम्बन्ध मे दी हुई है।

परन्तु एक सार्टीफिकेट के खो जाने, नष्ट हो जाने व चोरी हो जाने पर कोई प्रतिभूति देने की आवश्यकता नही होगी।

***नियम १७ सी : धारा ६ (२) के अन्तर्गत सार्टीफिकेट प्रस्तुत करना* [Certificates to be Furnished under Section 6 (2)]**—(१) यदि धारा ६ (२) (अ) के अनुसार प्रथम बिक्री की जाती है अथवा माल सम्बन्धी अधिकार विपत्रो का हस्तातरण करके धारा ६ (२) (ब) के अन्तर्गत प्रथम बिक्री की जाती है तो धारा ६ (२) (अ) के मामले मे विक्रेता व्यापारी, तथा धारा ६ (२) (ब) मे हस्तातरणकर्ता ई प्रथम (E I) फार्म उस पजीयत व्यापारी को निर्गमित करेगा जिसको कि माल बेचा गया है। ऐसा फार्म निर्गमित करने से पूर्व वह अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उस फार्म को पूरी तरह से भरेगा तथा फार्म मे नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह इस फार्म की पर्णिका (counterfoil) को अपने पास रख लेगा तथा शेष दोनो भागो 'मूल प्रति' तथा 'अनुलिपि' को उस पंजीयत क्रेता व्यापारी के पास भेज देगा जिसको कि ऐसी बिक्री की गयी है।

धारा ६ (२) के अन्तर्गत उत्तरवर्ती बिक्री पर कर की छूट प्राप्त करने के लिये, क्रेता व्यापारी, जो कि किसी दूसरे पजीयत व्यापारी को विपत्रो के हस्तातरण द्वारा उत्तरवर्ती बिक्री करता है, कर-निर्धारक-प्राधिकारी को निम्नलिखित फार्म प्रस्तुत करेगा —

(१) 'ई प्रथम' (E I) फार्म की 'मूलप्रति' (original) जो कि उसे विक्रेता व्यापारी से प्राप्त हुई है, तथा

(२) 'सी' फार्म की मूलप्रति जो कि उस व्यापारी से प्राप्त हुई है जिसको कि माल बेचा गया है।

(२) यदि धारा ६ (२) (अ) की एक बिक्री की शृङ्खला मे कोई प्रथम व उत्तरवर्ती बिक्री माल से सम्बन्धित अधिकार-विपत्रो का हस्तातरण करके की जाती है अथवा धारा ६ (२) (ब) की बिक्रियो की शृङ्खला मे कोई द्वितीय व उत्तरवर्ती बिक्री माल से सम्बन्धित अधिकार विपत्रो का हस्तातरण करके की जाती है तो फार्म ई द्वितीय (E II) प्रयोग किया जायेगा। हस्तातरणकर्ता उस फार्म को भरेगा तथा फार्म मे नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करेगा। वह फार्म की पर्णिका (Counterfoil) को अपने रख लेगा तथा शेष दोनो भागो 'मूलप्रति' तथा 'अनुलिपि' को उस पजीयत क्रेता व्यापारी के पास भेज देगा जिसको कि ऐसी बिक्री की गयी है।

एक फार्म एक ही सौदे के लिय प्रयुक्त किया जायेगा परन्तु जहाँ विभिन्न सौदे ५०००) रु० तक की धन राशि के है, वहा उन सब के लिये एक ही फार्म प्रयुक्त किया जा सकेगा।

> **नोट**—धारा ६ (२) (अ) के अन्तर्गत जो अधिकार विपत्रो का हस्तातरण करके बिक्री की जायेगी, वह उत्तरवर्ती ही हो सकती है क्योकि इस धारा मे मूल बिक्री विपत्रो के हस्तानरण से नही होती। विपत्रो के हस्तातरण से जो मूल बिक्री होती है वह धारा ६ (२) (ब) के अन्तर्गत होती है। अत धारा ६ (२) (ब) मे मूल बिक्री के बाद जो उत्तरवर्ती बिक्री होती है, उसमे विपत्रो का द्वितीय बार हस्तातरण होता है जबकि धारा ६ (२) (अ) के अन्तर्गत ऐसी उत्तरवर्ती बिक्री मे प्रथम बार ही विपत्रो का हस्तातरण होता है। इसी सदर्भ मे E II फार्म के अन्दर 'प्रथम हस्तातरणकर्ता' व 'द्वितीय हस्तातरणकर्ता' शब्द प्रयोग किये गये है।

(३) उन सभी दशाओ मे जिनमे E I या E II फार्म के सर्टीफिकेट का आदान-प्रदान किया जाता है, प्रत्येक उस फार्म के साथ क्रेता व्यापारी से प्राप्त 'सी' फार्म नत्थी किया जायेगा।

(४) जहाँ व्यापारी द्वारा धारा ६ (२) के अन्तर्गत बिक्री कर से छूट ली जाती है, वहाँ वह E I या E II फार्म को अपने अन्तिम कर-निर्धारण के पूर्व किसी भी समय कर-निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

(५) उपनियम १ तथा २ के प्रयोजनार्थ एक पंजीयत व्यापारी अपनी आवश्यकतानुसार कर निर्धारक प्राधिकारी से E I तथा E II फार्म प्राप्त कर सकता है। उसे इन फार्मों का लेखा सी० एस० टी—४ (C. S. T.—4) फार्म के अनुसार सत्य व पूर्ण रूप से रजिस्टर मे रखना पड़ेगा।

(६) पजीयत विक्रेता व्यापारी इन फार्मों की प्रणिकाओ को पाँच वर्ष तक अथवा ऐसे अन्य अधिक समय तक जो कि बिक्री-कर कमिश्नर ने निर्धारित किया हो, अपने पास रखेगा।

(७) यदि कर-निर्धारक प्राधिकारी चाहे तो वह E I तथा E II फार्मो की 'अनुलिपि' (Duplicate form) को निरीक्षण के लिये पजीयत विक्रेता व्यापारी से माँग सकता है।

(८) एक पजीयत व्यापारी न तो किसी ऐसे E I व E II फार्मों मे सर्टीफिकेट देगा और न वह स्वीकार ही करेगा जोकि कर-निर्धारक-प्राधिकारी से प्रार्थना-पत्र देकर न प्राप्त किये गये हो, अथवा जो बिक्री-कर कमिश्नर के द्वारा अवैध घोषित कर दिये गये हो।

(९) नियम १७ तथा १७ ए मे जो नियम फार्मों की सुरक्षा, अनुरक्षण, हानि से बचाव, तथा नियत अधिकारी को प्रस्तुति के सम्बन्ध मे दिये गये हैं, वे नियम इन सर्टीफिकेटो को भी लागू होंगे।

परिवार, फर्म, सस्थाओं आदि के सम्बन्ध में घोषणा (Declaration in Case of Families, Firms, Associations etc)

नियम १८—एक हिन्दू अविभाजित परिवार, सस्था, क्लब, सोसायटी, फर्म अथवा कम्पनी जो कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कर देने की दायी है, तथा एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक अथवा प्रन्यासी की तरह व्यवसाय चलाता है तथा ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध मे कर दायी है, कर-निर्धारक-प्राधिकारी को सी० एस० टी—२ (C. S. T.—2) फार्म मे एक घोषणा प्रस्तुत करेगे।

अर्थ-दन्ड (Penalties)

नियम १९ : कतिपय नियमों का उल्लंघन किया जाने पर अर्थ-दन्ड—जो कोई बिना उचित कारण के, तथा इन नियमो का उल्लघन करते हुए, कोई हिसाब नही रखेगा, नक्शा या [illegible] प्रस्तुत नही करेगा, पजीयन प्रमाण-पत्र को लटकाये नही रखेगा, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करेगा, या क्रेडिट मीमो जारी नही करेगा, या उक्त अधिनियम या इन नियमो द्वारा यथाविधि प्राधिकृत [illegible] पदाधिकारी को प्रवेश या निरीक्षण नही करने देगा या हिसाब की किसी पुस्तक को सुरक्षित नही रखे तो वह, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी सिद्ध किये जाने पर, ऐसे अर्थ-दड से दंडनीय होगा जो ५००) रु० [illegible] अधिक न हो और जब अपराध ऐसा हो जो लगातार किया जाता रहे तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जबकि ऐसा अपराध जारी रखा गया हो, ऐसे अर्थ-दड से दडनीय होगा जो कि ५० रु० से [illegible] न हो।

बिक्री-कर-प्राधिकारियो के समक्ष उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति (Persons [illegible]rised to Appear before Sales Tax Authorities)

नियम २० : कौन उपस्थित हो सकता है?—कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राज्य बिक्री-कर [illegible] के अन्तर्गत किसी व्यापारी की ओर से बिक्री-कर प्राधिकारियो के समक्ष मुकद्मे मे उपस्थित होने के लि

प्राधिकृत है, वह केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत भी उन प्राधिकारियो के समक्ष उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत है ।

अन्य प्रावधान (Other Provisions)

नियम २१ : कर का निर्धारण, उसकी वसूली तथा अदायगी (Assessment, collection and enforcement of payment of tax)—यदि केन्द्रीय अधिनियम मे तथा इन नियमो मे कोई अन्य प्रावधान नही है तो केन्द्रीय कर का निर्धारण, कर की वसूली तथा कर की अदायगी को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे धारा ९ (२) के अनुसार वही तरीका होगा जो कि राज्य के बिक्री कर-कानून मे दिया हुआ है ।

नियम २२ : अपील, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण, सदर्भ आदि (Appeals, reviews, revisions, references etc.)—केन्द्रीय कर के निर्धारण, उसकी वसूली तथा अदायगी से सम्बन्धित अपील, पर्यवेक्षण, पुनरीक्षण, सदर्भ आदि के बारे मे धारा ९ (२) के अनुसार वही प्रावधान लागू होगे जो कि राज्य-बिक्री-कर-कानून मे दिये हुए हैं ।

नियम २३ : अपराधों पर अर्थ-दड तथा राजीनामा (Penalties and Compounding of Offences)—केन्द्रीय कर के निर्धारण, उसकी वसूली व अदायगी से सम्बन्धित जो अर्थ-दड व राजीनामे के नियम है, वे धारा ९ (२) के अनुसार वही होगे जो कि राज्य बिक्री-कर कानून मे दिये हुए हैं ।

अध्याय ८

अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य में विशेष महत्त्व का माल

(Goods of Special Importance in Inter-State Trade or Commerce)

हम प्रथम अध्याय मे पढ चुके हैं कि केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम १९५६ के बनाने का एक उद्देश्य यह भी था कि अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य मे प्रयोग होने वाले कुछ प्रकार के माल को 'विशेष महत्व' का घोषित किया जाय तथा उन 'विशेष महत्व' वाले माल के सम्बन्ध मे वे शर्ते तथा प्रतिबन्ध निर्धारित किये जाय जिनके अनुसार एक राज्य ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के लिए अपने नियम बना सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये धारा १४ के अन्तर्गत निम्न माल अन्तर्राज्यीय व व्यापार व वाणिज्य मे विशेष महत्व का घोषित किया गया है —

(१) कोयला जिसमे सभी प्रकार का पत्थर का कोयला (कोक) सम्मिलित है।

(२) कपास, अर्थात् सभी प्रकार की कपास (देशी या आयात की हुई) जो कि अनिर्मित रूप मे हो, चाहे बिनौले निकली हो अथवा नही, गाठो म बँधी हो अथवा नही, परन्तु इसमे कपास क्षय (Cotton waste) सम्मिलित नही है।

(२ अ) सूती बना हुआ कपडा (Cotton fabrics) जो कि केन्द्रीय एक्साइज एव नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की १२ वी मद मे वर्णित है

(२ ब) कपास का सूत, परन्तु उसमे सूत-क्षय (yarn waste) सम्मिलित नही है।

(३) पशु चर्म व खाल (hides and skins), चाहे कच्ची दशा मे हो अथवा परिष्कृत (dressed) दशा मे।

(४) लोहा एव इस्पात, अर्थात्—

(अ) पिग आयरन व आयरन स्क्रैप।

(ब) रौलिंग मिल द्वारा जिस रूप मे उत्पादित की गयी हैं, उसी रूप मे बेची गई आयरन प्लेटस

(स) स्टील स्क्रैप, स्टील इनगाटस, स्टील बिलेटस, स्टील की छडे व सरीये।

(द) १—स्टील प्लेटस।
२—स्टील शीट्स
३—स्टील बार तथा टीन बार (छडे)
४—रौल्ड स्टील सैक्सन्स (Rolled steel sections)
५—टूल एलौय स्टील (Tool Alloy steel)

} रौलिंग मिल द्वारा जिस रूप मे उत्पादित की गयी हैं, उसी रूप मे बेची गयी।

(५) जूट, अर्थात् उन पौधो से निकाला गया छिलका जोकि corchorus capsularis एव corchorus obitoriens किस्म के हो, तथा वे छिलके जो कि mesta व bimli कहलाते है तथा hibiscus cannapinus व hibiscus sabdariffa-varaltissima किस्म के पौधो से निकाले गये हैं, चाहे वह जूट गाँठो मे हो अथवा अन्य प्रकार से हो।

(६) तेल के बीज अर्थात् वे बीज जो वाष्पशीलता रहित ऐसा तेल पैदा करते हो जो कि खाने के काम आता हो, अथवा उद्योग मे, या वार्निश साबुन आदि बनाने मे अथवा चिकनाई के लिये काम आता हो, तथा वाष्पशील तेल जो कि दवाइयो मे सुगन्धियो मे, श्रृङ्गार-सामिग्रियो आदि मे काम आता हो।

(७) रेयान (Rayons) अथवा कृत्रिम रेशम का कपडा जो कि केन्द्रीय एक्साइज एव नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की १२ ए (12 A) मद मे वर्णित है।

(८) चीनी जो कि केन्द्रीय एक्साइज एव नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की ८ वी मद मे वर्णित है,

(९) तम्बाकू जो कि केन्द्रीय एक्साइज एव नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की ९ वी मद मे वर्णित है।

(१०) ऊनी कपडा जो कि केन्द्रीय एक्साइज एव नमक अधिनियम १९४४ की प्रथम सूची की १२ वी मद मे वर्णित है।

धारा १५ के अनुसार—एक राज्य का प्रत्येक बिक्री-कर कानून, जहाँ तक कि वह घोषित माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाता है अथवा कर का लगाना अधिकृत करता है, निम्नलिखित प्रतिबन्धो व शर्तों के आधीन होगा —

(अ) राज्य के अन्दर ऐसे माल की बिक्री व खरीद से सम्बन्धित उस कानून के अन्तर्गत दिया जाने वाला कर उस माल की बिक्री व खरीद के मूल्य के २% से अधिक नही होगा, तथा ऐसा कर एक स्थल (stage) से अधिक स्थलो पर नही लगाया जायेगा।

(ब) जहाँ एक राज्य के अन्दर किसी घोषित माल की बिक्री व खरीद से सम्बन्धित उस कानून के अन्तर्गत एक कर लगाया गया है और ऐसा माल अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बेचा जाता है, तो वह कर जो कि लगाया जा चुका है उस व्यक्ति को ऐसे ढग से तथा ऐसी शर्तों के आधीन लौटा दिया जायगा जो कि उस राज्य म लागू कानून के प्रावधानो मे वर्णित हो।

इस धारा की प्रमुख बाते निम्नलिखित है —

(i) यह धारा उन शर्तों व प्रतिबन्धो को निर्धारित करने के लिए बनाई गयी है जिनके अनुसार एक राज्य ऐसे माल की बिक्री व खरीद पर कर लगाने के लिए अपने नियम बना सके।

(ii) एक राज्य सरकार इन घोषित माल की बिक्री व खरीद पर कर लगा सकती है यदि उस माल का क्रय व विक्रय राज्य के अन्दर ही हुआ हो। परन्तु शर्त यह है कि जो कर लगाया जाय, वह बिक्री या खरीद के मूल्य के २% से अधिक नही होना चाहिये, तथा वह कर एक ही स्थल पर लगना चाहिये।

(iii) यदि किसी राज्य ने घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर लगा दिया है परन्तु बाद म वह माल अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बेचा जाता है तो ऐसे माल पर दोहरा कर लग जायगा, अर्थात् एक कर राज्य बिक्री-कर कानून के अन्तर्गत तथा दूसरा कर केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत । इसीलिए धारा १५ (ब) मे कहा गया है कि उपरोक्त दशा म जो कर राज्य सरकार ने लगाया है वह कर राज्य सरकार द्वारा लौटा दिया जायेगा यदि वह माल बाद मे अन्तर्राज्यीय व्यापार व वाणिज्य के अन्तर्गत बेचा गया हो ।

(iv) निष्कर्ष यह है कि राज्य सरकार घोषित माल की बिक्री या खरीद पर २ प्रतिशत की दर अथवा उससे कम दर पर ही कर लगा सकती है बशर्ते माल की बिक्री राज्य के अन्दर ही हुई हो और वह माल राज्य म उपभोग के लिये काम आये ।

QUESTIONS

1 The enactment of the Central Sales Tax Act, 1956 has a historical back ground Trace its history and state the causes of its enactment

2 What are the objects of the Central Sales Tax Act ? State the factors which led to the determination of those objects

3 Define and discuss the following terms —

(a) Dealer, (b) Goods, (c) Sale, (d) Turnover, (e) Year, (f) Declared Goods (g) Appropriate State

4 State the principles which have to be observed in deciding whether a sale of goods is effected outside the State or inside the State by a dealer Is there any difference between the rates of tax paid on sales effected in the State and those on sales effected outside the State ? *(Univ of Raj T D C Com , 1962)*

5 Examine the provisions of Central Sales Tax Act, 1956 in regard to the rates of tax an sales in the course of inter-state trade and commerce What principles are to be observed in deciding whether a sale of goods is effected outside the State or inside ? *(Uni of Raj T D C Com , 1961)*

6 When is a sale or purchase of goods said to take place in the course of import or export? Does such a sale attract Sales Tax ? Give your views

7 What is subsequent Sale under sec 6 (2) ? Under what circumstances is such a sale exempt from Tax?

8 How can the dealers be registered under the Central Sales Tax Act ? Is it compulsory for all the dealers to be registered under the Act ? What benefits do the registered dealers obtain over the unregistered dealers ? Explain

9 Under what circumstances may the registration of a dealer be cancelled ? Explain

10 How do you decide the rates of tax on the sales effected in the course of inter-State trade and commerce ? Discuss fully.

11 State the use of 'C' and 'D' forms in the inter-State and commerce

12 Enumerate the goods mentioned under section 8 (3) What is the importance of these goods from the view point of sales tax levy ?

13 How is the Central Sales Tax is levied, assessed and collected ? Mention the Sales Tax Authorities engaged in the above work

14 Explain—

(a) in which State the Central Sales Tax is levied and collected ?

(b) which Government has the power to levy assess, enforce the payment of this tax ?

15 What are the rules adopted in Rajasthan for the enforcement of the Central Sales Tax Act in respect of the following —

(a) Submission of Return of turnover by a dealer

(b) Powers of the Officers

(c) Loss of Declaration forms and the procedure to safeguard against the the misuse of Declaration forms so lost

d) Certificates to be furnished under Section 6 (2)

(d) Panalties

16 What goods are considered to be of special importance in the course of Inter State trade and Commerce ? Are there any restrictions in regard to tax on the sales or purchase of these goods within a State ?

APPENDIX

The Central Sales Tax (Registiraton & Turnover) Rules, 1957

FORM A

(*See* rule 3)

Application for registration under Sect on 7 (1)/7 (2) of the Central Sales Tax Act, 1956

To

*I son of , on behalf of the dealer carrying on the business known as . ** within the State of † hereby apply for a certificate of registration under Section 7 (1)/7 (2) of the Central Sales Tax Act 1956 and give the following particulars for this purpose

1. Name of the person deemed to be the manager in relation to the business of the dealer in the said State
2. Status or relationship of the person who makes this application (e g manager, partner proprietor, director, officer in charge of the Government business)
3. Name of the principal place of business in the said State and address th reof
4. Name(s) of the other place(s) in the said State in which business is carried on and address of every such place
5. Complete list of the warehouses in the said State in which the goods relating to the business are warehoused and address of every such warehouse
6. List of the places of business in each of the other States together with the address of every such place (if separate application for registration has been made or separate registration obtained under the Central Sales Tax Act, 1956, in respect of any such place of business, particulars thereof should be given in detail)

---

* Here enter the authority specified in the general or special order issued by the Central Government under Section 7 (1) of the Act

** Here enter the name and style under which the business is carried on

† Here enter the name of the State in which the application for registration is made

7 [1]The business is—
wholly
mainly
partly
partly
partly

8 Particulars relating to registration, licence, permission etc, issued under any law for the time being in force, of the dealer

9 We are members of [2]

10 We keep our accounts in language and script

[3]11 Name(s) and address(es) of the proprietor of the business/partners of the business—all persons having any interest in the business together with their age, father's name, etc

S No	Name in full	Father's/ husband's name	Age	Extent of interest in the business	Present address	Permanent address	Signature[4]	Signature and address of witness attesting signature in col 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12 Business in respective of which this application is made, was first started on

13 The first sale in the course of inter State trade was effected on

14 We observe the[5] calendar and for purposes of accounts our year runs from the (English date)[6] day of (Indian date)[6] day of to the (English date/Indian date) day of

1. Enter here whether business is wholly agriculture, horticulture, mining manufacturing wholesale distribution, retail distribution, contracting or catering, etc, or any combination of two or more of them
2 Here enter the name of the Chamber of Commerce, Trade Association or commercial body, of which the dealer is a member
3 To be filled in if the applicant is not a company incorporated under the Companies Act, 1956 [1 of 1956] or under any other law
4 Signature of each of the persons concerned should be obtained and attested
5 Enter here English, Bengali, Fasli, Hijra Marwari or other calendar followed
6 In filling up these entries dealers who do not observe the English calendar, should give the dates according to their own calendar and the corresponding date of the English calendar Strike out portion or paragraph whichever is not applicable

15 We make up our accounts of sales to date at the end of every month/ quarter/ half year/year.

[1][16 The following goods or classes of goods are purchased by the dealer in the course of inter State trade or commerce for—

(a) resale

(b) use in the manufacture of processing of goods for sale .

(c) use in mining

(d) use in the generation or distribution of electricity or any other form of power

(e) use in packing of goods for sale/reasale]

17 We manufacture the following classes of goods, namely —

18 The above statements are true to the best of my knowledge and belief

Name of the applicant in full
Signature
Status in relation to the dealer

Date

THE CENTRAL SALES TAX (REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957

FORM B

(*See* rule 5)

Certificate of Registration

No (Central)

This is to certify that[2] whose principal place of business within the State of is situated at has been registered as a dealer under Section 7 (1)/7(2) of the Central Sales Tax Act, 1956

The business is—
wholly[3]
mainly
partly
partly
partly

[1][The class(es) of goods spec fied for the purposes of sub sections (1) and (3) of Section 8 of the said Act is/are as follows and the sales of these goods in the course of inter State trade to the dealer shall be taxable at the rate specified in that sub section subject to the provisions of sub-section (4) of the said section

(a) for resale

(b) for use in the manufacture of processing of goods for sale .

(c) for use in mining

---

1 Subs by G S R 896, dated 23rd September, 1958

2 Here enter the name and style under which the business is carried on

3 Enter here whether business is wholly agriculture, horticulture, mining, manufacturing, wholesale distribution, contracting, or catering, etc , or any combination of two or more of them

Strike out whichever is not applicable

(*d*) for use in the generation or distribution *of electricity or any other* form of power

(*e*) for use in the packing of goods for sale/resale

The dealer manufactures processes, or extracts in mining the following *classes of goods or generates or distributes the following form of power, namely—*
]

The dealer's year for the purpose of accounts runs from day of to the day of

The dealer has no additional place of business/has additional place(s) of business as stated below

(*a*) in the State of registration

(*b*) in other States

The dealer keeps warehouses at the following place within the State of *registration*

(1)
(2)
(3)

The certificate is valid from until cancelled

Signed

(Notified authority)

Date (Seal)

FORM C[1]

COUNTERFOIL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES, 1957
Form 'C'
Form of declaration
[*See* Rule 12(1)]

Name of issuing State
Office of issue
Date of issue
Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No
Date from which registration is valid
Serial No

Seal of issuing authority

To
[2](Seller)

Certified that the goods
[3]ordered for in our purchase order No dated

purchased from you as per bill/cash memo stated below[4]

supplied under your chalan No dt are for [3]resale

use in manufacture/processing of goods for sale

use in mining

use in generation/distribution of power

packing of goods for sale/resale
and are covered by my/our registration certificate

DUPLICATE

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES 1957
Form 'C'
Form of declaration
[*See* Rule 12(1)]

Name of issuing State
Office of issue
Date of issue
Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No
Date from which registration is valid
Serial No

Seal of issuing authority

To
[2](Seller)

Certified that the goods
[3]ordered for in our purchase order No dated

purchased from you as per bill/cash memo stated below[4]

supplied under your chalan No dt are for [3]resale

use in manufacture/processing of goods for sale

use in mining

use in generation/distribution of power

packing of goods for sale/resale
and are covered by my/our registration certificate

ORIGINAL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES, 1957
Form C'
Form of declaration
[*See* Rule 12(1)]

Name of issuing state
Office of issue
Date of issue
Name of the purchasing dealer to whom issued along with his Registration Certificate No
Date from which registration is valid
Serial No

Seal of issuing authority

To
[2](Seller)

Certified that the goods
[3]ordered for in our purchase order No dated

purchased from you as per bill/cashmemo stated below[4]

supplied under your chalan No dt are for [3]resale

use in manufacture/processing of goods for sale

use in mining

use in generation/distribution of power

packing of goods for sale/resale
and are covered by my/our registration certificate

---

1 Forms C D E I and E-II subs for old Form C, by G S R 896, dated 23rd September, 1958

the Central Sales Tax Act, 1956	the Central Sales Tax Act, 1956	No dated issued under the Central Sales Tax Act, 1956
Name and address of the purchasing dealer in full	Name and address of the purchasing dealer in full	Name and address of the purchasing dealer in full
Date	Date	Date
(Signature and status of the person signing the declaration)	(Signature *and status of the person* signing the declaration)	(Signature and status of the person signing the declaration)
2 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	2 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	2 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount
3 Name and address of the seller with name of the State	3 Name and address of the seller with name of the State	3 Name and address of the seller with name of the State
4 Strike out whichever is not applicable	4 Strike out whichever is not applicable	4 Strike out whichever is not applicable
(*Note*—To be retained by the purchasing dealer)	(*Note*—To be retained by the selling dealer	(*Note*—To be furnished to the prescribed authority in accordance with the rules framed under section 13 (4) (e) by the appropriate State Government)

FORM D'

COUNTERFOIL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER) RULES 1957

Form 'D'

Form of Certificate for making Government purchases
[*See* (Rule 12 (1)]

(To be used when making purchases by Government not being a registered dealer)
Central Government/Name of the State Government
Name of the Issuing Ministry/Department
Name and address of Office of Issue

To
[1](Seller)

Certified that the goods
[2]ordered for in our purchase order No
dated

purchased from you as per bill/cash memo stated below[3]

supplied under your chalan No
dated are purchased by or on behalf of the Government of

Date *Signature*
Designation of the authorised officer
...nment

DUPLICATE

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957

Form D'

Form of Certificate for making Government purchases
[*See* (Rule 12 (1)]

(To be used when making purchases by Government not being a registered dealer)
Central Government/Name of the State Government
Name of the Issuing Ministry/Department
Name and address of Office of Issue

To
[1](Seller)

Certified that the goods
[2]ordered for in our purchase order No
dated

purchased from you as per bill/cash memo stated below[3]

supplied under your chalan No
dated are purchased by or on behalf of the Government of

Date Signature
Designation of the authorised officer
...o the Government

ORIGINAL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER) RULES, 1957

Form 'D'

Form of Certificate for making Government purchases
[*See* Rule 12(1)]

(To be used when making purchases by Government not being a registered dealer)
Central Government/Name of the State Government
Name of the Issuing Ministry/Department
Name and address of office of Issue

To
[1](Seller)

Certified that the goods
[2]ordered for in our purchase order No
dated

purchased from you as per bill/cash memo stated below[3]

supplied under your chalan No
dated are purchased by or on behalf of the Government of

Date Signature
Designation of the authorised officer
...of the Government or State of

of the Government	of the Government	of the Government
1 Name and address of the seller with name of the State	1 Name and address of the seller with name of the State	1 Name and address of the seller with name of the State
2 Strike out whichever is not applicable	2 Strike out whichever is not applicable	2 Strike out whichever is not applicable
3 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount	3 Particulars of Bill/Cash Memo Date No Amount
(*Note*—To be retained by the authorised officer)	(*Note*—To be retained by the selling dealer)	(*Note*—To be furnished to the prescribed authority in accordance with the rules framed under section 13(3) by the appropriate State Government)

FORM E-I

COUNTERFOIL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES 1957
Form E-I

NAME OF STATE
Serial No
Certificate under sub section (2) of Sec 6
[See rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) (i) by the selling dealer who first moved the goods in the case of a sale falling under Section 3 (a) or (ii) by the dealer who makes the first inter State sale during the movement of the goods from one State to another in the case of a sale falling under section 3 (b)]

A Name of the selling dealer
B (i) Name of the purchasing dealer
(ii) Address (with name of State)

C (i) Name of place and State in which movement commenced
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned by the signatory

D (i) Invoice No and date
(ii) Description quantity and value of goods
(iii) No and date of the declaration Form C received from purchasing dealer with name of State of issue

DUPLICATE

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES 1957
Form E-I

NAME OF STATE
Serial No
Certificate under sub section (2) of Sec 6
[See rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) (i) by the selling dealer who first moved the goods in the case of a sale falling under Section 3 (a) or (ii) by the dealer who make the first inter State sale during the movement of the goods from one State to another in the case of a sale falling under Section 3 (b)]

A Name of the selling dealer
B (i) Name of the purchasing dealer
(ii) Address (with name of State)

C (i) Name of place and State in which movement commenced
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned by the signatory

D (i) Invoice No and date
(ii) Description, quantity and value of goods
(iii) No and date of the declaration Form C received from purchasing dealer with name of State of issue

ORIGINAL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES 1957
Form E-I

NAME OF STATE
Serial No
Certificate under sub section (2) of Sec 6
[See rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) (i) by the selling dealer who first moved the goods in the case of a sale falling under Section 3 (a) or (ii) by the dealer who makes the first inter State sale during the movement of the goods from one State to another in the case of a sale falling under Section 3 (b)]

A Name of the selling dealer
B (i) Name of the purchasing dealer
(ii) Address (with name of State)

C (i) Name of place and State in which movement commenced
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned by the signatory

D (i) Invoice No and date
(ii) Description quantity and value of goods
(iii) No and date of the declaration Form C received from purchasing dealer with name of State of

(iv) No and date of the Railway Receipt/Trip sheet of lorry/or any other document or other means of transport	(iv) No and date of the Railway Receipt/Trip sheet of lorry/or any other document or other means of transport	(iv) No and date of the Receipt/Trip sheet of lorry/or any other document or other means of transport
I/We the selling dealer(s) mentioned above do certify that I/we am/are registered under the Act and am/are holding registration certificate No dated in the State of	I/We the selling dealer(s) mentioned above do certify that I/we am/are registered under the Act and am/are holding registration certificate No dated in the State of	I/We the selling dealer(s) mentioned above do certify that I/we am/are registered under the Act and am/are holding registration certificate No dated in the State of
[1][I/We further certify that (i) I/we will pay/have paid tax under the Act or (ii) no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8, on the sale of the goods covered by document whose particulars are given above, to the appropriate Sales Tax Authority of the State of]	[1][I/We further certify that i) I/We will pay/have paid tax under the Act, or (ii) no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8, on the sale of the goods covered by documents whose particulars are given above, to the appropriate Sales Tax Authority of the State of]	[1][I/We further certify that (i) I/we will pay/have paid tax under the Act, or (ii) no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8, on the sale of the goods covered by documents whose particulars are given above, to the appropriate Sales Tax Authority of the State of]
Signature	*Signature*	*Signature*
Place Status or relationship of the person (e g, manager, partner, proprietor, director officer-in charge of the Government business)	*Place* State or relationship of the person (e g manager, partner, proprietor, director, officer-in charge of the Government business)	*Place* Status or relationship of the person (e g manager, partner, proprietor, director, officer in charge of the Government business)
Dated *Address* (with name of the State)	*Dated* *Address* (with name of the State)	*Dated* *Address* (with name of the State)
N B—To be retained by the dealer issuing the certificate	*N B*—To be retained by the dealer receiving the certificate	[*Note*—To be furnished to the prescribed authority *in accordance with* the rules framed under Section 13 (3) by the appropriate State Government]

1 Subs by G S R 1321, dated 27th November, *1959*

COUNTERFOIL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES, 1957

NAME OF STATE

Form E-II

Serial No

Certificate under sub section (2) of Section 6
[*See* rule (12 (2)]

[To be issued (in duplicate) by the first or subsequent transferor in the series of sales referred to in Section (2) a) or second or subsequent transferor in the series of sales referred to in Section 6 (2) (b)]

A Name of the dealer effecting a sale by transfer of the documents of title to the goods
B (i) Name of the purchasing dealer
(ii) Address (with name of State
C (i) Name of place and State in which movement commenced
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned
D. (i) Invoice No and date
(ii) Depreciation, quantity and value of goods
(iii) No and date of the declaration For C received from purchasing dealer with name of State of issue
(iv) No and date of the Rail way Receipt/Trip sheet of lorry/or any other docu

FORM E II — DUPLICATE

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES, 1957

NAME OF STATE

Form E-II

Serial No

Certificate under sub section 2) of Section 6
[*See* rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) by the first or subsequent transferor in the series of sales referred to in Section 6 (2) (a) or second or subsequent transferor in the series of sales referred to in Section 6 (2) (b)]

A Name of the dealer effecting a sale by transfer of the documents of title to the goods
B (i) Name of the purchasing dealer
(ii) Address (with name of State)
C (i) Name of place and State in which movement commenced
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned
D (i) Invoice No and date
(ii) Description, quantity and value of goods
(iii) No and date of the declaration Form C received from purchasing dealer with name of State of issue
(iv) No and date of the Railway Receipt/Trip sheet of lorry/or any other docu

ORIGINAL

The Central Sales Tax
(REGISTRATION AND TURNOVER)
RULES, 1957

NAME OF STATE

Form E-II

Serial No

Certificate under sub section 2) of section 6
[*See* rule 12 (2)]

[To be issued (in duplicate) by the first or subsequent transferor in the series of sales referred to in Section 6 (2) (a) or second or subsequent transferor in the series of sales referred to in Section 6 (2) (b)]

A Name of the dealer effecting a sale by transfer of the documents of title to the goods
B (i) Name of the purchasing dealer
(ii) Address (with name of State)
C (i) Name of place and State in which movement commenced
(ii) Name of place and State to which the goods have been consigned
D (i) Invoice No and Date
(ii) Description quantity and value of goods
(iii) No and date of the declaration Form 'C received from purchasing dealer with name of State of issue
(ii) No and date of Rail way Receipt/Trip sheet of lorry/or any other docu

tificate No dated in the State of

(b) I/We having purchased the documents of title to the goods during their movement from one State to another referred to in item C above against a certificate No in FormE I/E-II have now effected a subsequent sale during such movement by transferring the same in favour of the purchasing dealer whose address is given in this certificate

*(c) [The dealer from whom I/we purchased the documents of title to the goods during the movement referred to in (b) above has certified (i) that he has paid/will pay the tax, or (ii) that the tax has been/will be paid by any of the preceding transferors of documents of title to goods or (iii) that no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8]

Signature

Place Status or relationship of the person (e g , manager partner proprietor director officer in charge of the government business)

Dated *Address*

(with name of the State)

N B —To be retained by the dealer issuing certificate

tificate No dated in the State of

(b) I/We having purchased the documents of title to the goods during their movement from one State to another referred to in item C above against a certificate No in Form E I/EII, have now effected a subsequent sale during such movement by transferring the same in favour of the purchasing dealer whose address is given in the certificate

*(c) [The dealer from whom I/we purchased the documents of title to the goods during the movement referred to in (b) above, has certified (i) that he has paid/will pay the tax or (ii) that the tax has been/will be paid by any of the preceding transferors of documents of title to goods or (iii) that no tax was payable under the Act in view of the general exemption referred to in sub section (2A) of Section 8]

Signature

Place Status or relationship of the person (e g , manager, partner proprietor, director, officer in charge of the Government business)

Dated *Address*

(with name of the State)

N B —To be retained by the dealer receiving the certificate

and am/are holding registration certificate No dated in the State of

(b) I/We, having purchased the documents of title to the goods during their movement from one State to another referred to in item C above against a certificate No in Form F I/E II, have now effected a subsequent state during such movement by transferring the same in favour of the purchasing dealer whose addre s is given in the certificate

*(c) [The dealer from whom I/we purchased the documents of title to the goods during the movement referred to in (b) above has certified (i) that he has paid/will pay the tax, or (ii) that the tax has been/will be paid by any of the preceding transferors of documents of title to goods or (iii) that no tax was payable under the Act in view of the general exemption reffered to in sub section (2A) of Section 8]

Signature

Place Status or relationship of the person (e g , manager, partner proprietor, director, officer, in charge of the Government business)

Dated *Address*

(with name of the State)

Note—To be furnished to be prescribed authority in accordance with the rules framed under Section 13(3) by the appropriate State Government

1 Subs by G S R 1321, dated 27th November, 1959

FROM C S T 1

(*See Rule 4*)

Form of return of Turnover under the Central Sales Tax Act, 1956

Return for the period from to Registration
Mark and No (Central) Name of the dealer
Status

(Whether individual Hindu undivided family, association club firm company guardian or trustee)

Style of the business

---

1 Gross amount aeceived or receivable by the dealer during the period in respect of sales of goods Rs n P

DEDUCT— Rs nP

(i) Sales of goods outside the State (as defined in section 4 of the Central Act

(ii) Sales of goods in course of export outside India (as defined in section 5 of the Central Act)

2 Balance—turnover on inter-State sales and sales within the State

DEDUCT Turnover on sales within the State

3 Balance—Turnover on inter State sales

DEDUCT—Cost of freight delivery or installation when such cost is separately charged

4 Balance—Total turnover on inter-State sales Rs n P

DEDUCT—Subsequent sales not taxable under sec 6 (2) of the Act

5 Goodswise break up of above

A Declared goods—

(i) sold to registered dealers on prescribed declaration (vide declaration attached)

(ii) sold otherwise

B Other goods—

(i) sold to registered dealers on prescribed declarations (vide declarations attached)

(ii) sold otherwise

Total —

6 (i) Taxable at %Rs on which tax amounts to Rs

(ii) ,,	%Rs	Rs
(iii) ,,	%Rs	Rs
(iv) ,,	%Rs	Rs
(v) ,,	%Rs	Rs
(vi)	%Rs	Rs

7 Total tax payable on Rs amounts to Rs

8 Tax paid, if any, by means of Treasury challan /M O No dated } Rs nP

9 Balance due excess paid if any Rs nP

10 *Declaration* —

(1) I, enclose with this return the orginal copy of each of the declarations received by me in respect of sales made to registered dealers together with a signed list of such declarations

(2) I declare that the statements made and particulars furnished in and with this return are true and complete

Place *Signature*

Date *Status*

ACKNOWLEDGEMENT

Received from a dealer possessing Registration Certificate No a return of Sales Tax payable by him for the period from to with enclosures mentioned therein

Receiving Officer

Place

Date

FORM C T T 2

(*See Rule* 18)

Declaration in case of Families, Associations, Firms etc

With reference to rule 18 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rule 1957, it is hereby declared that Shri shall be dee to be the Manager in relation to the business in the State of Rajasthan of the dealer mentioned below —

1 Name of the dealer
2 Nature of business
3 Address
4 The dealer is a

Hindu Undivided Family*
Association*
Firm*
Club*
Society*
Company*

Concern in which business is carried on by Shri
as a guardian or trustee or otherwise on behalf of Shri

*Strike off the portion inapplicable

Signature and Status of the person signing the declaration

Date ..

Note —The declaration is to be signed —

(i) in the case of a Hindu undivided family, by all the adult members thereof

(ii) in the case of an association by all members of its governing body ,

(iii) in the case of a club, by all members of its governing body

(iv) in the case of a society, by all members of its governing body ,

(v) in the case of a firm by all its partners ,

(vi) in the case of a company, by its managing director or managing agent ,

(vii) in other cases, by the guardian or trustee or other person, carrying on business on behalf of another person, and also by the person on whose behalf the business is carried on, if not under disability

(See Rule 17)

Register of Declaration Forms maintained under Rule 17 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957

Date of receipt	Authority from whom received	Book No	Serial No to	Date of issue	Book No	Serial No	Name and address of seller to whom issued	No and date of order in respect of which issued	Description of goods in respect of which issued	Value of the goods	Seller's cash memo/challan No in reference to which issued	No and date of railway receipt or other carriers challan for the goods	Surrendered to (Sales Tax Authority)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

FORM C S T. 4

Register of Certificate in form EI/EII maintained under Rules 17 (c) of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957

Receipts				Issues											
Date of Receipt	Authority from whom received	Book No	Serial No to . .	Date of Issue	Book No	Serial No	Name and address of purchasing dealer	No and date of Purchar's order in respect of which issued	No and date of declaration form (c) with name of State	Description of goods in respect of which Issued	Value of the goods	Cash memo / Chalan No. in reference to which issued	No and date of railway receipt or other carrier challan for the goods	Surrendered to (sales tax authority)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Particulars to be maintained in Inter State Sales Register

Serial No	Seller's invoice No and date	Name of the State from which goods have been despatched	Name of the State to which the goods have been despatched	Name address and Registration No of the purchasing dealer with name of the State	Name and date of the order of the purchasing dealer	Description of the goods sold quantity etc	Goods sold to registered dealers				Goods sold to unregistered dealer or for other purpose	Sales Price	Amount of Sales Tax collected		Remarks
							For resale	For use in manufacturing or processing of goods for resale	For mining	For generation and distribution of power			with Form C'	without form C'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

les Tax Department

orm C S. T 5

-RECEIPT—(to be given to the depositor for retention by him)

S TAX CHALLAN

Sales Tax (a) Taxes under he Central Sales Tax Act

Invo

ury

Na

the sum of Rs (in words)

of the following —

	Rs	nP
n Fee		
n Fee		
ion Money		
evision		
period		

on/Licence No

llan No

D

19

B

Treasurer

ury/Bank
tamp

sury
Treasury ——— Officer,

ank of Ltd

O for instructions)

Sales Tax Department

Form C S T 5

Part IV—RECEIPT—(to be given to the depositor for transmission to the Sales Tax Officer/Asstt Sales Tax Officer)

SALES TAX CHALLAN

XII—A Sales Tax (a) Taxes under the Central Sales Tax Act

Treasury
Sub Treasury

Received the sum of Rs (in words)

on account of the following —

	Rs	nP
Registration Fee		
Exemption Fee		
Tax		
Penalty		
Composition Money		
Fee for Revision		
for the period		
due from		

Registration/License No

Vide Challan No

Date 19

Date

Treasurer

Treasury/Bank
Stamp

Treasury
Sub-Treasury ——— Officer,

Agent, Bank of Ltd